लोक-सभा वाद विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 50(5)
Date 12-1-78

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol. V contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपए

Price : Four Rupees

विषय सूची/Contents

अंक 39 बुधवार, 27 जुलाई, 1977/5 श्रावण, 1899 (शक)

No. 39 Wednesday, July 27, 1977/Sravana 5, 1899 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 646, 647 और 649 से 651	*Starred Questions Nos. 646, 647 and 649 to 651	1—13
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 25	Short Notice Question No 25	13—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 648 और 652 से 664	Starred Question Nos. 648 and 652 to 664	17—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 4944 से 5061, 5063 से 5065, 5067 से 5097, 5099 से 5110, 5112 से 5134 और 5136 से 5143	Unstarred Question Nos. 4944 to 5061, 5063 to 5065, 5067 to 5097, 5099 to 5110, 5112 to 5134 and 5136 to 5143	61—352 23—136
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	137—140
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	140
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	140
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	
(एक) उत्तर बिहार के कटिहार जिले में पटसन मिलों के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप 3,500 मजदूरों का बेरोजगार हो जाने का समाचार	(i) Reported closure of Jute Mills in Katihar, North Bihar Resulting in unemployment to 3,500 workers	140
(दो) पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग में 28 जुलाई, 1977 से हड़ताल का समाचार	(ii) Reported strike in Jute industry of West Bengal from July 28, 1977	141

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
चाय (संशोधन) विधेयक—	Tea (Amendment) Bill—	141—144
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री पूर्ण सिन्हा	Shri Purna Sinha . .	141
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	142
श्री पायस टिर्की	Shri Pius Tirkey . .	143
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	144
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	146
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia .	147
सभा का कार्य	Business of the House . . .	143—144
बेरोजगारी की समस्या के बारे में प्रस्ताव	Motions re. Unemployment Problem	147
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	147
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan .	150
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . .	152
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra .	153
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua . .	154
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik . .	155
श्री ए० अशोकराज	Shri A. Asokaraj .	156
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	157
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin .	158
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	159
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	160
श्री व्रज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	160
श्री वाई० पी० शास्त्री	Shri Y. P. Shastri .	161
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . .	162
श्री आर० के० अमीन	Shri R. K. Amin . .	163
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	164
श्री कल्याण जैन	Shri Kalyan Jain . .	164
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu . .	165
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	165
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	163
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report . .	163

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 27 जुलाई, 1977/5 श्रावण, 1899 (शक)
Wednesday, July 27, 1977/Sravana 5, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[*Mr. Speaker in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा युगोस्लाविया से 'ओर-बल्क-आयल केरियर' खरीदा जाना

*646 **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम ने युगोस्लाविया सप्लिट शिपयार्ड से अपना चौथा बृहत 'ओर-बल्क-आयल करियर' प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) इसका प्रयोग मुख्यतः किस काम के लिए किया जायेगा; और

(घ) क्या सरकार ऐसा एक और जहाज खरीदने पर विचार कर रही है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) 23.30 मिलियन यू०एस० डालर।

(ग) जहाज का प्रयोग मुख्यतः कच्च तेल या खाद्यान्न के आयात और खनिज लौह के निर्यात का माल ढोने के लिए किया जायेगा।

(घ) जी, नहीं।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मंत्री मैं महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पहले खरीदे गए इस प्रकार के जहाजों का कार्य सन्तोषजनक पाया गया था या कि उनमें कुछ खराबी या खामी पाई गई थी। क्या यह सच है कि इन जहाजों की यहां मरम्मत तक नहीं हो सकती और उन्हें विदेशों में भेजा गया है जहां से ये आ रहे हैं?

श्री मोरारजी देसाई : उनकी निचली तह में दरारें आ गई थीं जिससे उनके कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी मरम्मत हो सकती है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : इन बृहत जहाजों से हमारे आयात और निर्यात व्यापार पर तथा निगम के आर्थिक कार्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री मोरारजी देसाई : ये मालवाहक जहाज उस समय खरीदे गये थे जब ऐसे बृहत जहाजों की बाजार में मांग बढ़ गई थी। उस समय इनसे अधिक मुनाफा कमाया जा सकता था । इसीलिए ये चार जहाज 70 करोड़ रुपये में खरीदे गये थे? इनसे तीन वर्ष तक लाभ होता रहा, लेकिन अब इन चार जहाजों से लगभग 5 करोड़ रुपए की हानि हो रही है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इनका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्रयादेश वास्तव में कब दिया गया था और कब इन जहाजों को प्राप्त किया गया था ? क्या ऐसे जहाजों का देश में ही निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री मोरारजी देसाई : ये क्रयादेश 1971, 1973 और 1974 में दिए गए थे तथा ये जहाज नियत समय पर ही प्राप्त कर लिए गए थे। हमारे जहाज बनाने के कारखानों में इतने बड़े जहाज बनाने की क्षमता नहीं है और इसलिए इन्हें बाहर से खरीदा गया है। प्रश्न ऐसे जहाजों को अपने बेड़े में शामिल करने का नहीं है बल्कि प्रश्न यह है कि इन्हें किस प्रकार से उपयोग किया जाये। अतः हम इनका अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव : भारतीय जहाजरानी निगम के बल्क कैरियरों की कुल जी०आर०टी० क्षमता क्या है और क्या ये विदेशों से कच्चे तेल के आयात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

श्री मोरारजी देसाई : इस समय हमारी इतनी क्षमता है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अशोधित तेल का आयात कर सकते हैं। किन्तु हम अपने बल्क वाहनों की टनेज क्षमता बढ़ा रहे हैं ताकि हम विश्व के श्रेष्ठ बेड़े के साथ स्पर्धा कर सकें।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : क्या माननीय प्रधान मंत्री मुझे यह बतायेंगे कि क्या विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने ऐसे जहाज बनाने आरम्भ कर दिए हैं, और यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री विनोदभाई बी० सेठ : मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे जहाज देश में ही हैं विशेषकर कलकत्ता स्थित गार्डन रीच वर्कशाप में बनाये जा सकते हैं, जहां 26000 डी० डब्ल्यू० टी० के जहाज बनते हैं। दूसरे, क्या ऐसे जहाज हजीरा और पारादीप के शिप-बिल्डिंग यार्ड्स में बनाये जा सकते हैं क्योंकि ये देश के लिए किफायत वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात इस प्रश्न से नहीं उठती है।

श्री वयालार रवि : मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या देश के किसी पत्तन में ऐसे विशाल तेलवाहक जहाज खड़े करने का स्थान नहीं है ?

श्री मोरारजी देसाई : इन चार जहाजों को देश के पत्तनों पर खड़ा किया जा सकता है ?

सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में हरिजनों की प्रतिशतता

*647. **श्रीमती कमला बहुगुणा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल में हरिजनों को भर्ती के उचित अवसर प्रदान कराने के लिए सरकार का विचार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही करने का है ;

(ख) दिनांक 30 मई, 1977 को सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में हरिजनों की प्रतिशतता क्या थी; और

(ग) उनकी प्रतिशतता बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सीमा सुरक्षा बल............14.26 प्रतिशत
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस..........12.00 प्रतिशत

(ग) और अधिक हरिजनों को भर्ती करने के लिए जरूरत पड़ने पर विशेष भर्ती अभियान चलाये जाते हैं और निर्धारित स्तरों में छूट दी जाती है।

Shrimati Kamla Bahuguna : What are the reasons for this small gap ? What is the categorywise percentage of the Harijans employed ?

Shri Charan Singh : The gap is there and we cannot deny this. This gap is reducing gradually. There is only 4 per cent in Class I category. In Class II. which is confined to doctors only, there are 27 officers and the reserved percentage is zero in this category. There are only 4 percent Harijan employees in Class-I and Class-II together. The percentage is 11.77 in Class-III and the percentage in class-IV services is 33%. 80 percent sweepers are there in the service.

Shrimati Kamla Bahuguna : So far as the Class-II posts are concerned may I know whether the candidates were not available or they could not fulfil the norms prescribed by the Police ?

Shri Charan Singh : There have been relaxations in the standards. But I can not say that the candidates were not well qualified or they were not suitable for the posts. But this I can say that the percentage is increasing day by day.

Shri R.N. Rakesh : I want to know from the Minister of Home Affairs when the recruitment quota reserved for S.C. and S.T. persons in the B.S.F. and R.P.F. will be filled ?

Secondly, the physical conditions for direct recruitment in the B.S.F. and R.P.F. are such that the candidates belonging to scheduled Castes cannot fulfil them. Will the Home Minister pass necessary orders for giving some relaxations in those conditions ?

Shri Charan Singh : Mr. Speaker, Sir, It is very difficult to lay down time limit for filling the reserved quota, but efforts will be made to fill the back log as early as possible. I would like to inform the hon. Member regarding relaxations in physica measurement etc. There is minimum height of 5′-7″ for general candidates. But in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates it has been reduced to 5′-5″ and 5′-4″ respectively. It means there is relaxation of 2 inches for scheduled castes and 3 inches for scheduled

tribes. General standard for the chest is 31 inches unexpanded chest and 33inches expanded chest. But in the case of scheduled Castes it is 30 inches and 32 inches respectively and for scheduled tribes it is 30 inches and 32 inches respectively. Minimum educational qualifications for general candidates is 8th class pass, but for scheduled castes and scheduled tribes it is 6th class pass.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Mr. Speaker, Sir, I do agree that full representation should be given to the persons belonging to scheduled castes, scheduled tribes and Harijans in the B.S.F. and R.P.F. services and I feel proud that they have played a verygood role in Jammu and Kashmir. But I want to know from the hon. Minister whether mohammedans will also be given representative in these services ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : क्यों नहीं? न्याय किया जाना चाहिए। ये बहुत नाजुक प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। मैंने तो यही कहा है कि यह मामला इस प्रश्न से पैदा नहीं होता है ।

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We can also demand for the quota. I am surprised, why you are perturbed.

ये सेनाएं जम्मू और कश्मीर की सीमा पर तैनात हैं। क्या मंत्री महोदय अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में विचार करेंगे? (**व्यवधान**) मैं यहां मुसलिम शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

Shri Chhabiram Argal : Mr. speaker, Sir, concessions in height are not being given to them. Even today the candidates belonging to scheduled castes and scheduled tribes with the height of 5 feet 7 inches are taken. Will the Home Minister enquire into this matter ?

Shri Charan Singh : If the hon. member gives me details of the particular where such instructions are not being carried out, I shall definetly get the matter investigated.

अध्यक्ष महोदय : मैं अब इस मामले पर और प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि मैं दो घण्टे की चर्चा की अनुमति दे रहा हूं। और, और प्रश्न करने की अनुमति नहीं दूंगा।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in the Department of Atomic Energy

*649. **Shri Ram Vilas Paswan :** Will the Minister of Atomic Energy be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in various categories of posts in the Department of Atomic Energy; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to fill in the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) The following is the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in various categories of posts in the Department of Atomic Energy :—

Group	SC	ST
A	28	3
B	17	2
C	1061	130
D	929	160

(b) Various steps taken are :—

(a) relaxation of age limit and qualifications for direct recruitment.

(b) reducing prescribed standard in qualifying examinations and trade tests.

(c) reducing quantum of experience for promotion.

(d) issuing separate advertisment for certain posts.

(e) grant of TA for candidates appearing for interview.

Shri Ram Vilas Paswan: I want to know from the Prime Minister the total number ot employees in different categories of posts and the percentage of Harijans in those categories. Is the Prime Minister is aware of the fact that the reserved quota has not been fulfilled and the harijan employees are much less than the reserved quota fixed in each category of posts ?

Shri Morarji Desai : I have no details regarding number of these employees. If it is required I can give it. But the number of the reserved posts is not fulfilled according the fixed reserved quota. By giving such relaxations in the Research Organisations like this the efficiency of research work is effected. But in spite of this efforts are made to give relaxations as far as possible.

Shri Ram Vilas Paswan : The purpose of my question has not been fulfilled because the House is aware that the intention of asking for the data was to know the number of Harijans and tribal employees and the total number of employees which will show the percentage of Harijans and tribal employees in this organisation.

Now the question arises as to what can you do in this matter. You are Prime Minister holding highest post in the Government. Where no strict measures are being taken in your department. How the reservation will be completed. Reservation is not fulfilled by saying that suitable candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available. But this contention is not correct. You also know that even the most efficient and suitable S.C. & S.T. candidates are rejected as unsuitable. They fulfill all the conditions of qualifications, and physical standards, but in spite of this they are ignored

I want to know from the Prime Minister, whether he will assure the House that the prescribed reserved quota as well as the backlog in his Ministry and departments will be completed in a particular period.

Shri Morarji Desai : **There is no question of physical standard. But the question is of efficiency. I have said that efficient and suitable candidates are not available.** More-over the difficulty is that the candidates according to the capacity standard are also not available. Since the nature of work involves special research in the department we can not take risk. If the hon. Member has any complaint that efficient and suitable persons are not taken he may give details of such cases to me. I shall thoroughly enquire into the matter and the injustice done will be removed. But I can not give the assurance which the hon. Member wants.

Shri Ram Vilas Paswan: I mean to say that whether Government will make arrange-ments for training these persons so as to make them efficient and suitable to work in such institutions.

Shri D.N. Tiwary: Such questions are being raised daily, and it shows there is some lacuna in the matter of fulfilling reserved posts. A stereotyped reply is given on the floor of the House that since they are not found upto the standards, they are not recruited would like to know from the Prime Minister whether some measures have been devised for training those persons who are not found upto the standard so that they are brought upto the standard and they are taken into service This problem can be solved if arrangements for training such scheduled castes and scheduled tribes persons to bring them upto the standard are made.

Shri Morarji Desai : If it is found necessary after recruiting them, this can be done. But we will like to make more arrangement of training those persons who are desirous of such training before seeking employment. This is being done.

Shri Ram Kanwar Berwa: Whenever such questions are raised here we the members of Parliament are told that partiality or favouritism is observed in the matter of selection. I want to know whether any member of Scheduled Caste is taken in the selection committee for recruitment purposes, if not, will the Prime Minister make provision for this so that there is no aspersion on the officers ?

Shri Morarji Desai : There is such a provision in Public Service Commission and it is ensured that a member of scheduled Castes is included in the Selection Committee.

An. Hon'ble Member : There is no Scheduled Tribe.

Shri Morarji Desai : If there is no Scheduled Tribe member arrangements will be made for inclusion of Scheduled Tribe member in the selection committee.

तुर्कमान गेट की घटनाओं के बारे में समिति

*650. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्कमान गेट की घटनाओं की जांच करने के लिए कोई तथ्य निर्धारण समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेश-पद क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति को वैसे व्यापक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जैसे जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत जांच आयोग को दिये जाते हैं, और

(घ) इस मामले में किसी आयोग की नियुक्ति न करने अथवा न्यायिक जांच न कराने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार से संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में आपात-कालीन स्थिति के दौरान चलाये गये गन्दी बस्ती उन्मूलन, अवैध कब्जों को खाली कराना, मकान गिराना, नगर को सुन्दर बनाना आदि कार्यक्रमों के संबंध में एक जांच समिति नियुक्त की है। इस समिति के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत तुर्कमान गेट में अप्रैल, 1976 की मकान गिराने और गोली बारी की घटनाएं भी शामिल हैं।

इस समिति के सदस्य हैं :— (1) श्री आर० सी० जैन, आई० ए० एस०

(2) श्री डी० के० अग्रवाल, आई० पी० एस०

समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित मामलों के बारे में उपलब्ध समस्त सूचना को एकत्रित करना है :—

(1) वे परिस्थितियां जिनमें 25 जून, 1975 को आपात स्थिति की घोषणा के बाद की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में गन्दी बस्ती उन्मूलन, अवैध कब्जों को खाली कराना, मकान गिराना, नगर को सुन्दर बनाना आदि के कार्यक्रम निर्धारित किये गये और उन्हें ऊंची प्राथमिकता दी गई।

(2) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के तरीके और उनके बारे में आरोप,

(3) ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पैदा हुई विधि तथा व्यवस्था संबंधी समस्याओं की प्रकृति; और

(4) तुर्कमान गेट क्षेत्र के बारे में उपरोक्त (1), (2) और (3) के अलावा 19 अप्रैल, 1976 की गोली बारी के संबंध में विशिष्ट तथ्य जिनमें विशेष रूप से निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाएगा :—

(क) वे परिस्थितियां जिनके कारण बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ी,

(ख) प्रयुक्त बल की मात्रा,

(ग) गोली बारी के फलस्वरूप मरने वालों की संख्या;

(घ) यदि उनके मकानों अथवा क्षेत्र में सम्पत्ति लूटने अथवा स्त्रियों की बेइज्जती करने की कोई घटनाएं उस मौके पर हुई हों तो, उनके विवरण ;

(ङ) इन घटनाओं के दौरान घायल हुए व्यक्तियों को चिकित्सा संबंधी सहायता देने के लिए की गई व्यवस्था; और

(च) यदि इस बारे में कोई शिकायत की गई हैं तो उन पर की गई कार्यवाही।

(ग) और (घ) तथ्य जांच समिति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषय सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन श्री जे० सी० शाह की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये जांच आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं। इस तथ्य जांच समिति का गठन इसको सौंपे गए सभी मामलों के बारे में सारी सूचना एकत्रित करने के लिए किया गया है और इसके द्वारा एकत्रित सामग्री को शाह आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर देने का विचार है। इस बात को देखते हुए सरकार ने तुर्कमान गेट की घटना के लिए न्यायिक जांच का आदेश देना या अलग से आयोग नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा।

श्री एफ० एच० मोहसिन : गृह मंत्री ने बताया है कि 19 अप्रैल, 1976 को हुई गोली बारी में विशेषकर मरने वालों के सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाने वाली समिति सारी जानकारी एकत्र करेगी (**व्यवधान**) यह एक बड़ी ही गंभीर घटना है (**व्यवधान**)।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री एफ० एच० मोहसिन : गृह मंत्री के इस घटना के गंभीर मानने पर मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं परन्तु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि एक डाकू की हत्या की जांच के लिए उन्होंने एक आयोग की नियुक्ति की है जब कि ऐसे गंभीर मामले के लिए जांच आयोग की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। यह एक बड़ा गंभीर मामला है, अन्यथा मैं इसे न उठाता..... (**व्यवधान**)। जनता पार्टी ने इस घटना का अपने चुनाव प्रचार में बड़ा उपयोग किया परन्तु सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया (**व्यवधान**) इस मामले का न तो न्यायिक जांच कराने के आदेश हुए और न ही जांच आयोग की नियुक्ति की गई।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न नहीं पूछते तो मैं इसे अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं परन्तु पता नहीं जनता पार्टी के सदस्यों को इस प्रश्न से बेचैनी क्यों है....... (**व्यवधान**) मेरा प्रश्न है कि गृह मंत्री ने इस गंभीर घटना की जांच के लिए जांच आयोग की नियुक्ति करना उचित क्यों नहीं समझा..... (**व्यवधान**)।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री मोहसिन आप प्रश्न न पूछकर सदस्यों को उत्तेजित कर रहे हैं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मेरा पहला प्रश्न है कि जब सुन्दर डाकू की कथित हत्या के लिए जांच आयोग की नियुक्ति की गई है तब गृह मंत्री ने इस गंभीर घटना के लिए कोई जांच आयोग नियुक्त करना अथवा न्यायिक जांच कराना आवश्यक क्यों नहीं समझा।

श्री पी०जी० मावलंकर : उस समय अधिकारी कौन था।

श्री एफ० एच० मोहसिन : समिति में एक आई०ए०एस० और एक आई०सी० एस० अधिकारी रखा गया है कोई गैर-सरकारी व्यक्ति उसमें क्यों नहीं रखा गया जबकि यह घटना कुछ डी०डी०ए० अधिकारियों के कारण हुई थी और इस बात की पूरी सम्भावना है कि समिति के वर्तमान सदस्य इन अधिकारियों को बचाने का प्रयत्न करेंगे ? उन्होंने समिति में हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को रखे जाने पर विचार क्यों नहीं किया ?

श्री चरण सिंह : माननीय मंत्री का यह विचार गलत है कि सुन्दर की हत्या की न्यायिक जांच कराई जा रही है। यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच है। उन्होंने पूरा मामला इस रूप में तैयार किया है जैसे वह न्यायिक जांच हो। अतः उनके सारे तर्क बेकार सिद्ध होते हैं.... (**व्यवधान**)

दूसरे इस मामले की जांच तथा पता करने वाले समिति को इस लिए सौंपी गई है क्योंकि वह सारे तथ्य पता कर उन्हें शाह आयोग के सामने रखेगी। परन्तु मैं श्री मोहसिन की इस हिम्मत की दाद देता हूं कि स्वयं उत्तरदायी होते हुए भी जनता सरकार पर यह दोष लगाने का साहस किया... (**व्यवधान**)

श्री एफ० एच० मोहसिन : परन्तु गृह मंत्री ने न्यायिक जांच कराने का साहस नहीं किया । मेरा अगला प्रश्न है कि क्या समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है और क्या उसे जांच आयोग के ही अधिकार साक्ष्य लेने के लिए प्राप्त है (व्यवधान) या यह केवल तथ्यों का पता लगाने वाली समिति है जो शाह आयोग के सामने तथ्यों को रखेगी और क्या शाह आयोग उनकी फिर से जांच कर सकेगा ।

श्री चरण सिंह : यह एक कानूनी मामला है फिर भी मैं बता दूं कि शाह आयोग सचाई का पता लगाने के लिए कोई भी कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : अप्रैल, 1976 में जब यह घटना हुई थी और श्री मोहसिन गृह मंत्रालय में उप-मंत्री थे तब वे क्या कर रहे थे । यदि समिति इस निर्णय पर पहुंची कि इसके लिए तत्कालीन उप गृह मंत्री या गृह मंत्री जिम्मेदार थे तो सरकार इसमें क्या कार्रवाही करेगी ? कितने लोग गोली का शिकार हुए, कितने घायल हुए तथा कितने लोगों को तुर्कमान गेट से हटाया गया ?

श्री चरण सिंह : सरकार को यह तथ्य ज्ञात नहीं । शायद श्री मोहसिन को पता हो ।

श्री हरिशंकर माहले : समिति अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक देगी ?

श्री चरण सिंह : आशा है वह शीघ्र ही प्रतिवेदन दे देगी । कोई निश्चित तारीख नहीं रखी गई है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know under whose orders this demolitionsw as done I, And whether this is also in the terms of reference of the Committee ? The Deputy Home Minister and Home Minister did not take any action at the time of demolition. May I know whether a case of abetment of murder will be registered against them ?

श्री चरण सिंह : समिति बस्तियों को हटाने और गैर-कानूनी कब्जों को खत्म करने के सम्बन्ध में जो भी कुछ हुआ उन पर और उन परिस्थितियों पर जिनमें यह आदेश दिए गए सब पर विचार करेगी । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई बात इसके निदेश पद में है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : हत्या के लिए उकसाने के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की गई है ?

श्री चरण सिंह : तथ्य पता करने वाली समिति के काम में जो कमी रह जाएगी उसे शाह आयोग देख लेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether any compensation has been given to the families of the deceased and to those who have been evaquated and whether any arrangement has been made for rehabilitating them ?

श्री चरण सिंह : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न में नहीं आता ।

Shri Mohd. Shafi Quereshi: I want to know whether Shri Jain, one of the members of the fact finding committee, was involved in land grabbing scandal and whether Syed Abdulla Bukhari Shahi Imam of Jama Masjid will also be associated to with this committee ?

श्री चरण सिंह : उच्चतम न्यायालय ने श्री बनर्जी को महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भूमि हथियाने के मामले की जांच के लिए नियुक्त किया था उन्होंने श्री जैन को निर्दोष बताया है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस घटना के समय श्री मोहसिन उप-गृह मंत्री थे । और क्या उन्होंने लोक सभा में श्री सोम चटर्जी के इस विषय पर पूछे गये प्रश्न पर दिए गए वक्तव्य में उन्होंने बताया था कि यह घटना गम्भीर नहीं है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह गलत है मैंने यह कभी नहीं कहा कि यह गम्भीर बात नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या यह सत्य है कि श्री एफ० एच० मोहसिन ने ही नहीं, जो उस समय उप मंत्री थे श्री ओम मेहता और श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी तथा तत्कालीन प्रधान मंत्री समेत अन्य लोगों ने भी अपर्याप्त और गुमराह करने वाले वक्तव्य सदन में दिए जिनमें सही तथ्य नहीं बताए गये और यदि हां तो वर्तमान गृह मंत्री श्री चरण सिंह इन सभी बातों की जांच यह पता लगाने के लिए करेंगे कि भूतपूर्व गृह मंत्री ने कोई गलत जानकारी दी थी? यदि ऐसा हो, तो क्या वे भूतपूर्व गृह मंत्री के वक्तव्य की शुद्धि करने वाला वक्तव्य देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता। (व्यवधान) गलत वक्तव्य की जानकारी लेने के अन्य तरीके हैं।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : तुर्कमान गेट पर मानवता के प्रति अपराध किए गये। वे कब तक इन्तजार करेंगे? क्या अपराधियों के विरुद्ध ठोस कदम उठाना चाहते हैं?

श्री चरण सिंह : प्रतिवेदन मिलते ही सरकार यह निश्चय करेगी कि क्या कदम उठाए जाएं।

Shri Hukamdeo Narain Yadav : It is well known fact that there was firing, people died and hundreds of persons saw all this there. What is the need of this inquiry? Why the culprits are not caught direct and produced before the Court?

Shri Charan Singh : It is a very good question. In some cases we wanted to take the cases to the courts only after police investigations. But due to certain complications and to have detailed knowledge of the facts appointment of Commissions was considered necessary. The House is aware that certain cases which have come in notice, F.I.R. was lodged, cases have been registered in the courts, but the accused have taken anticipatory bail. Now I have ordered C.B.I. and other officers to arrest the culprits, how so ever big he may be, without making any investigation. (Interruptions).

Shri Surendra Bikram : The hon. Minister has replied just now that this painful incident took place in Turkman Gate area and Sh. F.H. Mohsin was the then Deputy Home Minister. Now the hon. Minister has appointed a fact finding committee. Has the Committee recorded any statement of Sh. Mohsin. If not, whether a statement of his will be recorded or not?

Shri Charan Singh: The Committee will record his statement if it is found necessary.

Chowdhury Balbir Singh : May I know whether a Committee of this House will be constituted so that the matter going against Shri Mohsin may be referred to it. Is the Government prepared for that?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दे सकता।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : सरकार इस तथ्य अन्वेषण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही आरम्भ करेगी या शाह आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर?

श्री चरण सिंह : मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। हम इस समिति द्वारा पता लगाये गये तथ्यों को शाह आयोग के पास भेज सकते हैं या हम सीधे ही कार्यवाही भी कर सकते हैं।

Shri Sheo Narain : May I know the number and names of Members of this Committee. (Interruptions)

You should divulge full details to the House about the Turkman Gate incident.

Shri Charan Singh : Had I been in the know of all this, there would have been no necessity of this Committee.

Shri Chander Shekhar Singh : Shri Mohsin has done a great job by asking this question. The previous brute Government had tried to crush the people with its brute force so that the minorities may never be able to raise their heads against dictatorship.

श्री चरण सिंह : यह अपनी राय है।

उत्तर बंगाल में वृहत तापीय बिजली घर

*651. **श्री सौगत राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उत्तर बंगाल में व्याप्त बिजली की भारी कमी के बारे में पता है जिसके कारण वहां उद्योगों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है;

(ख) क्या यह कमी दूर करने के लिए उत्तर बंगाल में एक बृहत तापीय बिजली घर स्थापित करने की आवश्यकता है; और

(ग) यह कमी दूर करने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) उत्तर बंगाल में विद्युत की वर्तमान उपलब्धता उस क्षेत्र की भार-मांग के करीब-करीब बराबर ही है। तथापि जिन दिनों उत्पादन तथा आयात में कमी हो जाती है उन दिनों वहां पर लोड शैडिंग की जाती है।

(ख) और (ग) यद्यपि उत्तर बंगाल में सुपर ताप केन्द्र की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है, विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

(1) 4×12.5 मैगावाट यूनिट की रमन जल विद्युत परियोजना स्वीकृत कर दी गई है।

(2) दक्षिण बंगाल से मालदा-दलखोला-सिलीगुड़ी 132 के० वी० पारेषण लाइन के जरिए अतिरिक्त विद्युत का आयात। यह लाइन जून, 1979 तक पूरा होने की आशा है।

(3) 2×1 मैगावाट को रिन्चिन्गटन जल विद्युत परियोजना स्वीकृत कर दी गई है। इसके 1978-79 तक चालू होने की संभावना है।

(4) 2×4 मैगावाट यूनिट के जलढाका चरण दो को स्वीकृत कर दिया गया है। पहली यून्टि के 1979-80 के दौरान तथा दूसरी यूनिट के 1981-82 के दौरान चालू होने की आशा है।

(5) सिलीगुड़ी में 3.5×3.5 मैगावाट के दो डीजल सैटों की प्रतिष्ठापना इन दो सैटों में से एक सैट जुलाई, 1977 में चालू किया जा चुका है तथा दूसरे के मार्च, 1978 तक चालू हो जाने की संभावना है।

(6) सिक्किम के लोअर लग्यप जल विद्युत परियोजना केन्द्र से दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी जिलों में वितरण के लिए 1979 के अन्त तक या उसके लगभग 6 मैगावाट विद्युत उपलब्ध होने की संभावना है।

(7) इस समय निर्माणाधीन भूटान की चुखा जल विद्युत परियोजना के पूरा हो जाने और चालू हो जाने पर इस परियोजना से भी सिलीगुड़ी में कुछ विद्युत उपलब्ध होने की आशा है।

(8) देश के पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए फरक्का में एक ताप विद्युत केन्द्र निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री सौगत राय : मंत्री जी के विवरण से लगता है कि उन्होंने मेरे प्रश्न को समझा नहीं है। मैंने पूछा है कि क्या उन्हें उत्तरी बंगाल में व्याप्त बिजली की भारी कमी के बारे में पता है जिसके कारण वहां उद्योगों के विकास में भारी अवरोध उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने उत्तर दिया है कि उत्तर बंगाल में विद्युत की वर्तमान उपलब्धता उस क्षेत्र की भार-मांग के करीब-करीब बराबर ही है। लेकिन भविष्य की मांग के लिए काफी नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर बंगाल के लिए विद्युत पूरी नहीं है। दल खोला, पश्चिमी दीनाजपुर में एक ताप विद्युत केन्द्र बनाने का प्रस्ताव था। मंत्री जी ने कहा है कि देश के पूर्वी क्षेत्र की बढ़ती हुई विद्युत संबंधी मांग को पूरा करने के लिए फरक्का में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी बहुत शीघ्र ही यह निर्णय लेंगे कि फरक्का में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र और दलखोला में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाये जैसा कि बजट के समय तमिलनाडु के बारे में किया गया था। वह स्पष्ट आश्वासन दें।

श्री पी० रामचन्द्रन : दलखोला विद्युत केन्द्र पर विचार किया गया था लेकिन योजना आयोग ने कोयला तथा अन्य चीजों की उपलब्धता में कठिनाई के कारण इसके लिए मंजूरी नहीं दी। इसी लिए फरक्का में बड़े ताप केन्द्र की स्थापना का विचार किया गया था। उसके लिए जांच कार्य चल रहा है। परियोजना की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद निर्णय लिया जायेगा। राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उत्तर बंगाल की वर्तमान मांग के अनुसार वहां विद्युत पर्याप्त है। जब भी वहां कभी बिजली की कमी होती है तो बिहार से बिजली आयात करने के स्थान पर लोड शैडिंग की जाती है। दलखोला में बड़ा ताप केन्द्र स्थापित करने पर विचार छोड़ना पड़ा क्योंकि कोयला उपलब्ध नहीं था।

श्री सौगत राय : क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जलढखा पन बिजली केन्द्र में पहले ही बहुत काई भर चुकी है और वहां विद्युत पैदा नहीं हो रही।

श्री पी० रामचन्द्रन : मुझे पता है कि पन बिजली केन्द्र में काई जमा हो गई है। लेकिन रिपोर्ट से पता चलता है कि वहां से 27 मेगावाट बिजली पैदा होती है।

श्री चित्त बसु : क्या उत्तर बंगाल के जिलों की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है। इस समय फरक्का परियोजना का काम किस स्तर पर चल रहा है ?

श्री पी० रामचन्द्रन : केवल फरक्का के बारे में जांच कार्य चल रहा है अर्थात् कोयले की उपलब्धता पर विचार हो रहा है। जब इस बारे में अन्तिम निर्णय हो जाएगा तो इस प्रस्ताव पर विचार होगा। अभी मैं कह नहीं सकता कि यह कब पूरा होगा। फिर भी उत्तर बंगाल की जरूरतों पर ध्यान दिया जायेगा और इन ताप केन्द्रों के पूरा होने पर वहां की सभी जरूरतें पूरी हो सकेंगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पश्चिम बंगाल में बिजली की अत्यन्त कमी है और राज्य के औद्योगीकरण पर असर पड़ रहा है तथा अन्य कठिनाइयां आ रही हैं । पिछले अकुशल प्रशासन ने भी समस्याएं सुलझाने के स्थान पर और बढ़ायी हैं । क्या मंत्री जी अन्य परियोजनाओं की भी सूची बतायेंगे और यह बतायेंगे कि वे कार्यान्वियन के किस स्तर पर हैं । क्या पिछले प्रशासन की अकुशलता के कारण इन परियोजनाओं के बारे में विलम्ब हुआ है । क्या शीघ्र विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोई जोरदार कार्यक्रम बनाया गया है क्योंकि ये सभी दीर्घकालीन कार्यक्रम हैं । क्या मंत्री जी हमें कम से कम समय बता देंगे।

श्री पी० रामचन्द्रन : उत्तर बंगाल में बिजली की सप्लाई में सुधार के लिए उपाय किये जा रहे हैं और मार्च 1978 के अंत तक 3.5 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिल जायेगी । माल्दा से सिलीगुड़ी होकर दलखोला तक पारेषण लाइन जून 1979 तक पूरी हो जायेगी । इसके पूरा होने पर दक्षिण बंगाल से उत्तर बंगाल को विद्युत भेजी जा सकेगी । कुछ छोटे एककों के भी 1978 और 1979 में पूरा हो जाने की आशा है । इससे भी स्थिति सुधार जायेगी । जो कुछ पहले हो चुका है उसके लिए इस सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । पिछली सरकार ने कुछ कार्यक्रम पूरा करने में बहुत आलस्य दिखाया । अब नई सरकार बजट में की गई घोषणा के अनुसार छठी योजना में देश को बिजली के मामले में आत्म-निर्भर बनाने के लिए प्रयत्न करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अगला अल्प सूचना प्रश्न ।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : क्या आपको देश भर में बिजली की कमी का पता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अल्प सूचना प्रश्न के लिये कह दिया है ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

मिजो नेशनल फ्रन्ट द्वारा हिंसात्मक गतिविधियों में वृद्धि

25. **श्री जी० एम० बनतवाला** :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री गंगा सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के प्रेस समाचारों को देखा है कि भूमिगत मिजो नेशनल फ्रन्ट ने, विद्रोही मिजो नेताओं द्वारा 1 जुलाई, 1976 को किये गये शांति समझौते का उल्लंघन करते हुए, अपनी हिंसात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये भूमिगत मिजो संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम में एज़ाल और लुंगलेह के आस-पास अधिक सक्रिय हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच कोई निवारक उपाय किये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् । सरकार ने इस विषय पर कुछ प्रेस रिपोर्टें देखी हैं ।

(ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) सरकार इस मामले पर कड़ी निगरानी रख रही है और सामने आने वाली किसी भी स्थिति से उपयुक्त रूप से निपटने के लिये उचित उपाय विद्यमान हैं ।

श्री जी० एम० बनतवाला : उत्तर मात्र इतना है कि सरकार ने कुछ प्रेस रिपोर्टें देखी हैं। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या हाल में हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि हुई है ।

श्री चरण सिंह : जी नहीं ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : कांग्रेस सरकार की दोषी नीतियों के कारण मिजोरम में पृथकत्व की प्रवृत्ति बल पकड़ती जा रही है । देश के हित को ध्यान में रखते हुए जनता सरकार एकता लाने के लिए क्या नीति अपनाना चाहती है ।

श्री चरण सिंह : कांग्रेस द्वारा छोड़े गए मलवे को साफ किया जाना है । इसके बाद ही नई नीतियां बनाई जायेंगी । ऐसा करना अभी शेष है ।

Shri Om Parkash Tyagi : Is it a fact that people were recruited for the army of underground Mizos, funds were raised for anti-National activities and some persons were sent to China Via Burma for training after agreement entered into by Laldenga with the Government ? If so what preventive steps have been taken to check such activities ?

Shri Charan Singh : It is a fact that Laldenga is dragging his feet and not keeping his word. He might be sending message to his associates for making preparations, but I would like to assure the House that the Government is fully seized of the matter and if need be all necessary steps including use of force will be taken.

Shri Kanwar Lal Gupta : I welcome the statement of the hon. Minister. May I know whether it is a fact that Laldenga was arrested on the charge of anti-National activities and after his release, he is indulging in illegal activities. Even after the peace accord, he sent his tape-recorded speech to the rebel Mizos. Besides, he has sent a letter to his brother, in which he has clearly stated that peace accord may not be agreed to. Will the hon. Minister give assurance that until and unless Laldenga accepts the Constitution of India and Mizoram as a part of India., no negotiations would be held with him ? Had he any discussion with the Prime Minister; and if so, the details thereof ?

Shri Charan Singh : So far as the question of Mizoram as a part of India is concerned, there will be no leniency or compromise in this regard. About 3 months ago, in April, Laldenga met the Prime Minister. He also met me. There was no such indication that he will deviate from his words. But the latest press reports show that there is a change in his attitude and he wants to drag out of the accord the which he was a party.

Shri Mani Ram Bagri : When this change of attitude was noticed nearly three months ago and he indulged in certain activities, was there no such law which could operate against him for this deviation and stop this rot ?

Shri Charan Singh : The question is not clear to me. However, there is no such special law in this regard. The law that exists is very clear and it is that action can be taken against the person who does not honour the agreement. There is no question of individual or more persons. How the Government should behave with regard to a particular region, needs deep consideration. We do not want others to give chance for complaint that proper opportunity was not given to them. Sometime this consideration causes delay. Secondly, the other party uses ambiguous language. So it needs consideration.

श्री यशवंतराव चव्हाण : गृह मंत्री ने यह सूचना दी है कि लालडेंगा ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से बातचीत तथा सलाह की।

श्री चरण सिंह : मुझे यह ख्याल था कि लालडेंगा प्रधानमंत्री से मिले थे। लेकिन अब मुझे पता चला है कि वह प्रधानमंत्री से नहीं मिले। वे सिर्फ मुझसे और मेरे अधिकारियों से मिले थे।

श्री यशवंतराव चव्हाण : लालडेंगा के गृह मंत्री मिलने के बाद अब गृह मंत्री यह अनुभव करते हैं कि श्री लालडेंगा अपने वायदे से फिसल रहे हैं। गृह मंत्री यह बताएं कि उनके ऐसा सोचने के क्या कारण हैं क्या उनके विचार में लालडेंगा को किसी विदेशी ताकत का समर्थन प्राप्त है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिजोरम तथा श्री लालडेंगा का इतिहास ऐसा है कि श्री लालडेंगा को हमेशा विदेशी ताकत का समर्थन प्राप्त हुआ है। यह तथ्य है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्या गृह मंत्री हमें यह बताएंगे कि वास्तविकता क्या है ?

श्री चरण सिंह : श्री लालडेंगा के आचरण से जो अनुमान माननीय सदस्य ने लगाया है, हो सकता है कि वह ठीक हो। लेकिन हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।, प्रतिपक्ष के नेता यह जानना चाहते हैं कि क्या विदेशी ताकत का उन्हें समर्थन प्राप्त है और क्या उसी वजह से वह अपने वायदे से फिसल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मामले की जांच कराएंगे ?

श्री चरण सिंह : मैं सुनिश्चित करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हम मिजो समस्या पर ठीक ढंग से विचार नहीं कर रहे। हमें जानकारी मिलनी चाहिए। खुफिया विभाग क्या कर रहा है ?

डा० आर० रोयुआम : जहाँ तक समाचार पत्रों में छपे भूमिगत मिजों द्वारा तथाकथित हिंसात्मक कार्य करने सम्बन्धी समाचारों का सम्बन्ध है, मैंने भी यह देखे हैं। मेरे दल ने मुझे मिजोरम की स्थिति का जायजा लेने भेजा था। श्रीमती जयपाल सिंह को साथ ले जाने के लिए भी मुझसे कहा गया। जब मैंने उनसे चलने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि लोक सभा का सत्र चल रहा है और मिज़ोरम में वर्षा हो रही है, अतः मैं स्वयं ही चला जाऊं और सही रिपोर्ट लेकर उन्हें बताऊं।

हाल में समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि तथाकथित छिपे मिज़ों ने तंगलेह टाउन के गिरजाघर से नायक थनकिया की गोली चलाकर हत्या करदी। लेकिन तथ्य यह है कि जिस व्यक्ति ने नायक थनकिया को मारा वह मिजोरम पुलिस का आदमी था।

इस समय मिजोरम में मिजोरम सशस्त्र सेना के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट बल हैं। मैं गृह मंत्री के ध्यान में भी यह बात लाना चाहता हूं। मिज़ो लोग भूमिगत गतिविधियों से तंग आ चुके हैं। हम हिंसा नहीं, शांति चाहते हैं। लेकिन मिजोरम में मिजोरम सशस्त्र सेना के कुछ विशेष बल उन उच्चअधिकारियों के इशारे पर गठित किए गए हैं जो कानून एवं व्यवस्था की कृत्रिम समस्या पैदा करना चाहते हैं। मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का पता है ?

मिजोरम जाते हुए कोई लगभग 10 किलोमीटर पूर्व मुझे प्रात: दो बजे मिजोरम सशस्त्र सेना विशेष बल के कुछ लोग मिले। वे जे० आर० पी० 16 नम्बर की गाड़ी पर सवार थे। उन्होंने हमें देखकर तंग करना शुरू कर दिया। मैं चुप करके बैठा रहा। लेकिन जब उन्होंने हमारे ड्राइवर को मार डालने की धमकी दी तो मैं गाड़ी से नीचे उतरा और पूछा कि तुम कौन हो। उनके एक अधिकारी श्री लाल-धुगनुआ ने नकाब पहनी हुई थी। मुझे देखते ही उन्होंने नकाब उतार दी और मुझसे कहा कि अच्छा तो आप हैं। आप हमारी जीप में आ जाइए। मैंने मना कर दिया। उनके साथ जीप में 6 से 10 लोग थे। यह घटना मिजोरम की राजधानी एजल में हुई। हमें छोड़कर वे सिहापीर गांव की ओर बढ़े जहाँ उन्होंने आतंक मचा दिया। उन्होंने लोगों को धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि वे कानून से ऊपर हैं और किसी को भी गोली से उड़ा सकते हैं। ये सब तथ्य मैंने स्वयं एकत्र किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

डा० आर० रोथुआम : मैं कल ही वहां से आया हूं। मुझे यह जानकारी नहीं है कि इस समय मिजोरम की वर्तमान स्थिति क्या है। मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार इन सब बातों से अवगत नहीं है। मुझे स्वयं इन बातों का पता नहीं था। हमारे दल के नेताओं को आशंका है कि यदि हमने आगे बात की तो विशिष्ट बल के लोग हमें गोली से उड़ा देंगे और उन लोगों से बदला लेंगे जो आगे खबर पहुंचाते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करना चाहते हैं। मिजोरम सशस्त्र सेना के विशिष्ट बल के लोग ऐसा कर रहे हैं। गृह मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह कुछ संसद सदस्यों से मौके पर स्थिति का अध्ययन करने के लिए कहें ताकि वे समस्या को समझ सकें। आपात स्थिति के दौरान सभी खराब काम हुए। मैं स्वयं हिंसा के विरुद्ध हूं। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मिज़ो लोगों के मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझें। वस्तुत: सभी पहाड़ी जनजातियों को मनुष्य का शिकार करने वाली जातियां समझा जाता है। कुछ अधिकारी सत्य का पता लगाए बिना लोगों को तंग करते हैं। अत: उन्हें बदला लेने के लिए उकसाया जाता है। मेरा विश्वास है कि उन्हें भूमिगत होने के लिए विवश किया गया क्योंकि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया। इस सशस्त्र सेनाओं को इन लोगों के स्वाभाव की जानकारी नहीं। तभी स्थानीय लोगों को बल प्रयोग करने के लिए विवश होना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्री विभिन्न दलों के संसद सदस्यों द्वारा उच्च स्तर पर जांच करवाएं।

अध्यक्ष महोदय: शायद माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि पुलिस बल प्रतिहिंसात्मक कार्यवाही करते हैं। माननीय सदस्य चाहते हैं कि मंत्री महोदय मामले की जांच करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि प्रतिहिंसात्मक गतिविधियां न हों।

श्री चरण सिंह : जहां तक मुझे जानकारी है केवल एक ऐसी विशिश्ट घटना हुई है, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं। यह मामला विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना यह है कि उच्चाधिकारी हिंसात्मक कार्यवाही कर रहे हैं और मिज़ो लोग जवाबी कार्यवाही कर रहे हैं। क्या आप इसकी जांच करेंगे ?

श्री चरण सिंह : मैं यह नहीं मान सकता कि उच्चाधिकारी हिंसात्मक कार्यवाही कर रहे हैं और इसलिए मिज़ो लोग स्वतन्त्रता चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे---

अध्यक्ष महोदय : अब और प्रश्न न पूछें। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answes to Questionrs

Jabalpur-Betul Road

*648. **Shri Subhash Ahuja : Will the Minister of Shipping and Transport** be pleased **to state :**

(a) whether Government are considering a proposal to declare Jabalpur-Betul road as a National Highway; and

(b) the time by which it will be declared as a national highway ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सी० आई० ए० के साथ सम्पर्क के बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति

652. **डा० बापू कालदाते**

श्री जी० एम० बनतवाला

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजीव शर्मा नामक एक व्यक्ति ने हाल ही में किसी मंत्री तथा अमरीका की सी० आई० ए० के एजेन्टों के बीच हुई वार्ता का 'टेप' दिया है;

(ख) क्या सरकार ने तथ्यों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

ऊटी में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना

*653. **श्री पी० एस० रामलिंगम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने अपनी गतिविधियों के विस्तार और विविधिकरण के लिये क्या नीति अपनाई है -

(ख) क्या तमिलनाडु में ऊटी में एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें कितनी पूंजी लगाये जाने का प्रस्ताव है और उसमें किन-किन वस्तुओं का निर्माण होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा अपने कार्यकलापों के विस्तार और विविधिकरण कार्यक्रमों के लिए अपनाई गई नीति हिमट् द्वारा निर्मित उत्पादों, जिनमें विभिन्न प्रकार के मशीनी औजार, घड़ियां, ट्रैक्टर, मुद्रण मशीनें, लैम्प बनाने की मशीनें, लैम्प और लैम्पों के हिस्से पुर्जे सम्मिलित हैं, की देश में वर्तमान और भावी मांग के अनुसार निर्धारित की जाती है ।

(ख) जी, हां।

(ग) ऊटी में पुर्जे जोड़ कर घड़ियां बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह राज्य सरकार के स्वामित्व में होगा। हिमट् इस एकक को स्थापित करने में सहायता देगा और पुर्जे जोड़ने के प्रयोजनों के लिए घड़ियों के हिस्से पुर्जों की सप्लाई करेगा। हिमट् प्रशिक्षण, निरीक्षण, किस्म नियंत्रण और परीक्षण सुविधाएं भी प्रदान करेगा। इस एकक द्वारा जोड़ी गई घड़ियों का विपणन हिमट् द्वारा किया जायेगा और हिमट् के ब्रांड नाम से बेचा जायेगा। इसमें 25 लाख रुपये का निवेश होने का अनुमान है।]

पश्चिम बंगाल में बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी के रिफ्रेक्टरी बनाने वाले कारखाने

*654. **श्री समर मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी के रिफेक्टरी बनाने वाले कारखानों की क्या स्थिति है;

(ख) क्या बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी के रिफेक्टरी बनाने वाले कारखानों के प्रबंध, संचालन और उत्पादन में कोई सुधार हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) : (क) से (ग) : यद्यपि इन एककों में अभी भी घाटा हो रहा है फिर भी पश्चिम बंगाल में इन एककों की स्थिति तेजी से सुधर रही है। सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने के बाद प्रबंध में सुधार हुआ है और कार्य में गति आई है। शक्तियों के विकेन्द्रीकरण और प्रत्यायोजन से निर्णय लेने की स्थिति में सुधार हुआ है। बचत हो और अपव्यय न हो, इस बात का सुनिश्चय करते हुए अंतरिम लेखा परीक्षा तथा सतर्कता अनुभाग बनाए गए हैं।

Breakdown in the Supply of Electricity in the Country

*655. **Shrimati Chandravati** : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether the cause of breakdown in the supply of electricity in the country is bad wire or inefficiency of the administration; and

(b) steps being taken by Government to prevent such breakdowns ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) and (b) The major cause for the shortage of power in the country has been inadequate generating capacity as a result of lack of adequate pre-planning and inability to keep to completion targets on account of lack of funds, organisation and other factors in the past.

2. Apart from this, the lack of a spinning reserve in the system to replace forced outages when they occur, also causes breakdown in the supply of electricity.

3. Other causes responsible for power failures include forced outages, breakdowns in transmission and distribution networks, and labour problems leading to slowing down of generation.

4. Government are planning for additions to installed capacity to meet the anticipated load demand by the end of the Sixth Plan. Steps are also being taken to strengthen the transmission and distribution system and to improve operation and maintenance of existing

units to reduce the number and duration of forced outages and maximise generation. Training for better operational efficiency is being organised, and improvements are being continually suggested in the light of experience in actual operation in the manufacture of equipment to enable optimum operation and generation.

5. The funds for the power sector are being increased to enable completion of new projects on time. Schemes for systems improvement are also being undertaken.

गैर-सरकारी क्षेत्र के टेलीविजन सेट निर्माताओं द्वारा 'वारण्टी' शुल्क लिया जाना ।

*656. **श्री शंकर सिंहजी वाघेला** :
श्री प्रसन्न दवे :
क्या **इलेक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 29 जून, 1977 के इकनामिक टाइम्स (नई दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के टेलीविजन निर्माताओं ने 'वारण्टी' के लिए 300 रुपये वसूल करने का निर्णय किया है ।

(ख) क्या वे 'वारण्टी' के लिए अब तक कोई शुल्क वसूल नहीं कर रहे थे ? और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और 'वारण्टी' के लिए कोई शुल्क वसूल न करने के लिए टेलीविजन निर्माताओं से कहने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) : जी हां ।

(ख) अब तक, मेसर्स भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) तथा मेसर्स जे० के० इलेक्ट्रानिक्स को छोड़कर, दूरदर्शन सेट के ऐसे किसी अन्य निर्माता के बारे में पता नहीं चला है जिसने समाश्वासन (वारंटी) अवधि के दौरान मरम्मत आदि के लिए अलग से शुल्क वसूल किया हो ।

(ग) सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि केवल 1600 रु० तथा उससे कम कारखानागत मूल्य वाले 51 से० मी० आकार के दूरदर्शन सेटों पर उपलब्ध 5 प्रतिशत के रियायती उत्पादन-शुल्क का लाभ उठाने की दृष्टि से ही दूरदर्शन सेटों के निर्माताओं ने उत्पादन-शुल्क देते समय निकासी-मूल्य को घटाकर उस स्तर तक कर दिया है, किन्तु उसके बाद समाश्वासन (वारंटी) अवधि के दौरान अलग-अलग निर्माताओं ने अपनी मर्जी के अनुसार मरम्मत आदि के लिये लगभग 70 रु० से लेकर 400 रु० तक शुल्क बढ़ा दिया है । वर्तमान औद्योगिक लाइसेंसिंग विनियमनों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर सके । तथापि, दूरदर्शन सेट बनाने वाले चूंकि ऐसे 40 कारखाने हैं, अतः ऐसी संभावना है कि बाजार में परस्पर प्रतियोगिता के कारण इस उद्योग में पर्याप्त अनुशासन की भावना पनपेगी । किन्तु यदि अनिवार्य हो ही गया तो सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

ईंधन नीति समिति की सिफारिश की स्वीकृति

*657. **श्री के० लकप्पा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईंधन नीति समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विस्तृत रूप से उद्योग स्थापित करने की योजना कोयले के उत्पादन तथा इसकी ढुलाई योजनाओं के अनुसार होगी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अक्तूबर, 1970 में ईंधन नीति समिति नियुक्त की थी। दीर्घ-कालीन ईंधन नीति की रूपरेखा की और ईंधन के उपलब्ध साधनों का उत्तम से उत्तम उपयोग किए जाने और ईंधन के उपयोग में इष्टतम दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उपायों और अभिकरणों की सिफारिश करने के लिए यह समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट अगस्त 1974 में दे दी थी। सरकार ने ईंधन नीति समिति की सिफारिशों पर विचार किया है और वे सिधान्त रूप में मुख्यतः स्वीकार कर ली गयी हैं। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, एक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तैयार की गयी है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात पर भी जोर दिया गया है कि देश में ऊर्जा का मुख्य साधन कोयला होना चाहिए तथा तेल का आयात कम किया जाना चाहिए और उसके स्थान पर देश में उत्पादित तेल इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग यथासंभव कुशलता के साथ किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) जैसा कि ईंधन नीति समिति ने सिफारिश की है, यह बात स्वीकार कर ली गयी है कि औद्योगिक स्थापनाओं संबंधी योजनाएं कोयले के उत्पादन तथा उसकी ढुलाई संबधी योजनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। उद्योगों के लिए स्थान-निर्धारण करते समय, कोयले की और ऊर्जा के अन्य रूपों की उपलब्धता तथा सप्लाई को ध्यान में रखा जाता है। इसी भांति, कोयले के उत्पादन और ढुलाई संबंधी योजनाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों से प्राप्त होने वाली कोयले की प्रत्याशित मांगों को ध्यान में रख कर तैयार की जाती हैं। कोयला कम्पनियों और रेलवे ने विभिन्न देशों में स्थित उद्योगों को कोयला असानी से उपलब्ध करवाने हेतु कदम उठाए हैं। उद्योगों का प्रतिष्ठापना के लिए सरकार की स्वीकृति चाहने वाले प्रस्तावों के बारे में यह अपेक्षा की जाती है कि उनमें ईंधन को आवश्यकताओं, विशेषकर कोयला और कोक की आवश्यकताओं का तथा उसके लिए परिवहन संबंधी आवश्यकताओं का उल्लेख हो ताकि सरकार यह सुनिश्चित कर सके कि ये प्रस्ताव कोयले और कोक के विकास तथा इनकी ढुलाई संबंधी योजनाओं के अनुकूल रहे।

प्लास्टिक केपेसिटर

*658. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1977 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "एम. एन सी एस स्प्रैड नैट्स फ़ार एण्ड वाईड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि भारत में प्लास्टिक केपेसिटरों के लिये क्यों एक उद्यमी का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया और कैसे सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का समर्थन किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) : (क) और (ख) स्पष्ट है कि समाचार में उस आवेदन पत्र का उल्लेख किया गया है जो मैसर्स टेकनी क्राफ्ट कारपोरेशन द्वारा 80 लाख फिल्म केपेसिटरों तथा 100 एम० टी० मेटालाइज्ड डाइलेक्ट्रिक फिल्म बनाने के लिये केरल राज्य में एक नये उपक्रम की स्थापना करने के लिये दिया गया था। जैसा कि समाचार में बताया गया है, यह सही नही है कि उनका प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था। वस्तुतः उन्हें 80 लाख नग की क्षमता के लिये प्लास्टिक फिल्म केपेसिटर बनाने हेतु 15 मई, 1976 को एक आशयपत्र मंजूर किया गया था। बाद में, 100 एम० टी० मेटालाइज्ड डाइलेक्ट्रिक फिल्म को क्षमता शामिल करने के लिये 24 जुलाई, 1976 को आशयपत्र में संशोधन किया गया था। तथापि, बाद में पार्टी ने अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया था।

यह सही है कि मैगनेटिक रिकार्डिंग टेप, मैगनेटिक वाइडियो टेप तथा काम्प्यूटर आदि के रूप में व्यावसायिक उपयोग के लिये मैगनेटिक टेप बनाने के लिये विदेश में रहने वाले एक भारतीय से मिले एक प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गयी थी। यह प्रस्ताव इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि पहले एक ऐसा ही प्रस्ताव रद्द किया जा चुका था तथा पार्टी ने निर्यात दायित्व स्वीकार नहीं किया था।

इसकी पुष्टि हो गई है कि एक कंपनी जिसकी विदेशी इक्विटी 50% थी, कैसेट टेप, ओपन रील टेप, कम्प्यूटर टेप तथा मैगनेटिक फिल्म बनाने के लिये हाल ही में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। लाइसेंसिंग समिति द्वारा इस प्रस्ताव के लिये सिफारिश नहीं की गई है।

समाचार में एक एकाधिकार प्राप्त गृह की कम्प्यूटर टर्मिनल बनाने की एक योजना के लिये कथित स्वीकृति का भी उल्लेख किया गया है। यह ठीक है कि बड़े गृह की एक कंपनी से 400 यूनिट डाटा एन्ट्री सिस्टम बनाने हेतु औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है। इस आवेदन-पत्र पर अंतिम निर्णय उस समय लिया जायेगा जब एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यावहार (एम० आर० टी० पी०) अधिनियम की योजना के अंतर्गत इसी प्रकार के आवेदनों पर स्वीकृति दे दी जायेगी।

ईस्टर्न कौलफील्डस लिमिटेड की कोयला खानों में पीने के पानी तथा क्वार्टरों की कमी

*659. **श्री रोबिन सेन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन लगभग सभी कोयला खानों में क्वार्टरों तथा पेय जल की भारी कमी के कारण श्रमिकों को अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है ; और

(ख) क्या सरकार के श्रमिकों के लिए नये क्वार्टरों के निर्माण की ओर विशेषकर गर्मी के मौसम में शुद्ध पेय जल की पर्याप्त सप्लाई की कोई योजना बनाई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार कामगारों को आवास और पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएं देने के प्रति पूरी तरह सचेत है और इस काम को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स में राष्ट्रीयकरण के समय 22800 मकान (गैरस्तरीय मकानों और झोपड़ों को छोड़कर) थे किन्तु 1976-77 के अंत में मकानों की संख्या बढ़कर 30409 हो गई और इस प्रकार 37 प्रतिशत मकानों की वृद्धि हुई। चालू वर्ष में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का विचार 4500 मकान और बनाने का है। इसी प्रकार राष्ट्रीयकरण के समय केवल 16000 लोगों को पीने का पानी उपलब्ध था जबकि 1976-77 के अंत में उनकी संख्या 1,82,500 हो गई जो कि दस गुने से भी अधिक वृद्धि की परिचायक है। कम्पनी ने चालू वर्ष के लिए यह लक्ष्य बनाया है कि 50,000 और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा छोटे तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास

*660. **श्री के० ए० राजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अध्यक्ष ने कहा है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स सामुदायिक वर्कशाप केन्द्रों के माध्यम से श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर और साथ ही उन एककों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अपयोग के तरीके ढूंढ कर छोटे तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास में सहायता दे सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) : (क) और (ख) जैसा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के अध्यक्ष ने बताया है, 24 और 25 जून, 1977 को एच० एम० टी०, बंगलौर में हुए लघु उद्योगों के सेमिनार के दौरान यह संकेत दिया गया था कि हिमटू ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं का पता लगाने की दृष्टि से एक एकीकृत अध्ययन प्रारम्भ करेगा । एक निश्चित योजना तैयार करने के लिए हिमटू ने आवश्यक जांच-पड़ताल शुरू कर दी है ।

500 मेगावाट के तापीय जनरेटर के लिये तकनीकी जानकारी

*661. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत ने 500 मेगावाट के तापीय जनरेटर बनाने के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ली है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) : जी, हां । भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने भारत सरकार की स्वीकृति से अगस्त, 1976 में 200 से 1000 मेगावाट के रेन्ज में टर्बोजनरेटर सेटों का डिजाइन और निर्माण करने के लिये पश्चिम जर्मनी के क्राफ्ट वर्क यूनियन ए० जी० के साथ एक सहयोग करार किया है। इसमें भारतीय बिजली प्रणाली से लगाया जाने वाला 500 मेगावाट का टर्बोजनरेटर सेट शामिल है । भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स जानकारी लेने और सहयोग करार को कार्यान्वित करने का कार्य कर रहा है।

पूंजी निवेश प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिये विभिन्न विभागों की बैठक

*662 **श्री निहार लास्कर** :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पूंजी निवेश प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिये जून 1977 में केन्द्रीय मंत्रालयों के विभिन्न विभागों की बैठक बुलाई थी;

(ख) क्या उन्होंने इस प्रस्ताव पर भी चर्चा की थी कि विदेशी मुद्रा रक्षित निधि और फालतू खाद्यान्न भंडार में किस प्रकार वृद्धि की जाये;

(ग) यदि हां, तो उक्त बैठक में किये गये निर्णयों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में मंत्रालयों को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं । किन्तु छठी योजना की रूपरेखा तैयार करने के संदर्भ में अल्पकालिक और दीर्घकालिक आयोजन से संबद्ध समस्याओं के संबंध में किए जाने वाले अध्ययनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने विभिन्न मंत्रालयों के आर्थिक नीति से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों और आर्थिक सलाहकारों के साथ दिनांक 24 जून, 1977 को अनौपचारिक विचार-विमर्श किया था ।

(ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित "नाइट विजन बाइनोकुलर"

*663. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने 'नाइट विजन बाइनोकुलर' (रात्रि-दूरबीन) नामक एक यंत्र तैयार किया है जिससे अंधेरे में देखा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार के एकल दूरवीक्षण यंत्र और डिजाइन का निर्माण किया जा रहा है जो सुरक्षा और चौकसी के काम में आयेगा; और

(ग) क्या उपरोक्त भाग (ख) के संदर्भ में विदेशी सहयोग का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

नौवहन का प्रसार

*664. **श्री अमृत कासर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों के अधीन नौवहन प्रसार सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के लिए विदेशी मुद्रा की कितनी-कितनी राशि नियत की गयी है; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियां देश की नौवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रही हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय नौवहन के लिए पांचवीं योजना का लक्ष्य (i) परिचालन में 65 लाख जी० आर० टी० तथा (ii) आदेश पर 5 लाख जी० आर० टी० है। नौवहन संयुक्त क्षेत्र में है, इसलिए इस टनभार का अभिग्रहण दोनों क्षेत्रों में किया जायेगा, जिसमें सरकारी क्षेत्र की मुख्य भूमिका होगी।

(ख) कोई अलग से नियतन नहीं किए गए हैं।

(ग) ऐसा अनुमान किया जाता है कि संदर्भ तटीय नौवहन से है यदि ऐसा है, तो उत्तर नकारात्मक है।

शासक दल द्वारा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग रोकने के लिये प्रस्ताव

4944. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शासक दल द्वारा सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार उच्चतर राजनीतिक स्तरों पर भ्रष्टाचार, पदीय स्थिति का दुरुपयोग और अन्य प्रकार के कदाचार रोकने के उद्देश्य से आवश्यक विधायी उपाय करने का विचार रखती है।

इस आशय का एक विधेयक, लोकपाल विधेयक, 1977 नाम से लोक सभा के चालू सत्र के दौरान पुरः स्थापित किया जायेगा, जिसमें प्रधान मंत्री सहित, केन्द्रीय मंत्रियों जैसे सार्वजनिक व्यक्तियों के विरुद्ध कदाचार (जैसा कि विधेयक में व्याख्या की गई है) की शिकायतों की जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था सस्थापित किए जाने की व्यवस्था की गई है।

National Federation of Industrial Cooperatives

4945. **Shri Chaudhary Motibhai :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the reasons why accounts of the National Federation of Industrial Cooperatives have not been audited a number of years;

(b) the number of its employees retrenched for committing irregularities; and

(c) whether there has been an improvement in its functioning after taking over charge by the present Managing Director ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) The accounts of National Federation of Industrial Cooperatives Limited have been audited upto 30th June, 1973. The accounts for the year 1973-74, are under audit and are expected to be finalised soon. The delay in audit of account of the federation was due to organisational inadequacy in Accounts Branch of the Federation. During the year 1976-77, the Government of India provided grants for proper staffing of the Accounts Branch. Since then, there has been some improvement in this respect.

(b) No employee of the Federation has been retrenched for committing irregularities.

(c) The total business of the Federation for the year 1976-77 was to the tune of Rs. 35.87 lakhs against the business of Rs. 17.92 lakhs for the year 1975-76. However, the Federation is still undergoing heavy losses. A series of irregularities in the working of the Federation, some of which relate to the functioning of the then Managing Director, have come to the notice of the Government which are at the moment under investigation.

ब्रिलक्रीम के मूल्यों में वृद्धि

4946. **श्री वयालार रवि :**

श्री के० कुन्हम्बु :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिलक्रीम ने गत दो वर्षों के दौरान अपने उत्पादों के मूल्य कितनी बार बढ़ाए और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपभोक्ताओं को घाटे में रख कर इस कम्पनी द्वारा अनुचित रूप से मूल्य बढ़ाये जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) अत्यावश्यक वस्तुओं के अलावा वस्तुओं जैसे बाइलक्रीम के मूल्यों के आंकड़े सरकार नहीं रखती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 25 का अतिक्रमण

4947. **श्री अहसान जाफरी** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि यद्यपि गत तीन वर्षों से आपराधिक प्रक्रिया संहिता लागू है तथापि राज्य सरकारों ने सहायक सरकारी वकीलों को पुलिस विभाग के बनाये विधि विभाग के अन्तर्गत रखकर, जैसा कि अधिनियम में अपेक्षित है, अधिनियम की धारा 25 को लागू नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में मंत्रालय क्या कार्यवाही करेगा ;

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 25 में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं कि सहायक सरकारी वकीलों को विधि विभाग के नियंत्रणाधीन रखा जाना चाहिए ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजनों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये प्रवर्त्तन सेल

4948. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये सभी जिलों में प्रवर्त्तन सेल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को हरिजनों की तकलीफों पर गौर करने के लिये एक सेल अथवा कोई उपयुक्त व्यवस्था स्थापित करने पर विचार करने की सलाह दी गई है । अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हिंसा तथा परेशान करने के मामलों पर कार्यवाही के लिए स्थानीय स्थिति के अनुसार विभिन्न स्तरों पर तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रवर्तन के लिये आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिल नाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा विशेष पुलिस सेल स्थापित किये गये हैं ।

ग्वालियर में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

4949. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर में किसी भी बड़े उद्योग के न होने के कारण वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना की मांग काफी समय से बनी हुई है ।

(ख) क्या इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (ग) : केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के स्थान का निर्णय बृहत तकनीकी आर्थिक आधार पर किया जाता है । तकनीकी आर्थिक आधार के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के स्थापना स्थल के लिये अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को प्रमुखता दी जाती है ।

इस समय सरकारी क्षेत्र में ग्वालियर में कोई भी औद्योगिक परियोजना स्थापित करने का विचार नहीं है ।

राज्य सरकारी क्षेत्र में राज्य सरकार के पास अनेक परियोजनायें हैं जिनके स्थापना स्थल का निश्चय नहीं किया है । इनमें से कुछ परियोजनायें ग्वालियर में स्थापित हो सकती हैं ।

पूर्वी कोयला क्षेत्रों की बन्द पड़ी पक्का, खास श्यामपुर खानों और खदानों को पुनः खोलना

4950. **डा० रामजी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार कोलियरी कामगार संघ, धनबाद की ओर से पूर्वी कोयला क्षेत्रों के जनरल मैनेजर (क्षेत्र सं० आठ) को पक्का, खास श्यामपुर की सब बन्द खानों और खदानों को पुनः खोलने और परेशान किये गये तथा छंटनी किये गये कर्मचारियों को वापिस लेने के बारे में एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया था । यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) उक्त क्षेत्र के कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया और उन्हें किन कारणों से नौकरी से निकाला गया ;

(ग) क्या सरकार का उन कर्मचारियों को वापिस लेने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां । इस संबंध में एक विवरण संलग्न है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण-I

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार मांग पत्र में शामिल मुख्य मांगों और उनके बारे में स्थिति निम्नलिखित है :-

(i) चुनींदा फटका कोलियरी के बन्द इन्क्लाइनों तथा कोयला खानों के खोलने, चुनींदा फटका कोलियरी के हार्ड कोक भट्टा तथा खास श्यामपुर कोलियरी को पुनः खोलने की मांग।

चुनींदा फटका कोलियरी में अंधा-धुंध खनन कार्य किया गया था और इस खान में पानी भी भर गया था । खान को दुबारा खोलने की संभावना पर विचार करने के लिये तकनीकी जांच की गई है । कुछ कार्य पहले ही शुरू हो चुका है तथा मई, 1977 के अन्त तक उन 686 कामगारों को काम पर लगा लिया गया है जो इस कोलियरी में 31-1-1973 को काम में लगे हुए थे। इस कोलियरी के हार्ड कोक भट्टा के बारे में प्रश्न कलकत्ता हाई कोर्ट में विचाराधीन है । जहां तक श्यामपुर "ए" कोलियरी के खास श्यामपुर खण्ड की बात है खनन की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण इसको दुबारा खोलना बहुत कठिन हो गया है । खास श्यामपुर खण्ड के सभी कामगारों को श्यामपुर "ए" कोलियरी में खपा लिया गया है ।

(2) जो कामगार रिटायर हो गए थे अथवा जिनको विभिन्न कारणों से निकाल दिया गया था उनके मामलों की पुनरीक्षा ।

वार्द्धक्य निवृत्ति की आयु हो जाने अथवा स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य हो जाने के सिवाय किसी कामगार को किसी अन्य आधार पर रिटायर नहीं किया गया था । बाद वाले वर्ग में आने वालों को, अपने मामले में अपील करने का मौका दिया गया था । जहां तक कामगारों को नौकरी से हटाने की बात है, ऐसा केवल उन मामलों में किया गया है जिनमें संबद्ध कामगार अनधिकृत रूप से और बिना समुचित कारण के एक महीने से अधिक समय तक गैर हाजिर रहा है । स्थायी आदेशों के अधीन यदि कोई कामगार 10 दिन अथवा इससे अधिक समय तक अनधिकृत रूप से गैरहाजिर रहता है तो उसको नौकरी से हटाया जा सकता है ।

(3) बोका पहाड़ी कोलियरी को दुबारा खोलने की मांग

यह कोलियरी ईस्टर्न कोलफील्डस लि० की नहीं है और गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही थी ।

(4) ठेका श्रमिक प्रणाली की समाप्ति

जिन कामों के लिये ठेका श्रमिक रखने की कानूनी मनाही है उनको विभाग में किया जा रहा है।

विवरण II

कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आपात स्थिति के दौरान ईस्टर्न कोलफील्डस लि० के एरिया VIII में विभिन्न वर्गों के हटाये गये कर्मचारियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:–

(1)	अनधिकृत गैर हाजिरी के आधार पर जिनको सेवा से हटाया गया अथवा जिनका नाम काटा गया (इनमें लापता भी शामिल हैं)	834
(2)	स्वास्थ्य के आधार पर अयोग्य	249
(3)	कदाचार आरोप प्रमाणित होने पर बरखास्त	17
		1100

स्वास्थ्य के आधार पर अयोग्य पाये गये कामगारों को, मैडिकल बोर्ड के निर्णय के खिलाफ अपील करने का एक मौका दिया गया था । जिन 49 कर्मचारियों ने अपील की उनमें से 24 को उनकी अपील पर विचार होने के बाद नौकरी में ले लिया गया ।

जहां तक अन्य लोगों का संबंध है उनमें जिन कर्मचारियों को शिकायतें हैं उन्हें न्याय प्राप्ति के सामान्य तरीके उपलब्ध हैं ।

नंगल राया, दिल्ली छावनी में रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल

4956. **श्री मोहन जैन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल राया, दिल्ली छावनी रेलवे फाटक के लिये ऊपरी पुल के निर्माण की बहुत पहले मंजूरी दी जा चुकी है,

(ख) क्या इस बारे में कोई टेंडर मंगाये गये हैं और किसी पार्टी को यह कार्य सौंपा गया है,

(ग) निर्माण कार्य शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) वास्तविक निर्माण कार्य को कब तक आरम्भ किया जायेगा और इसको कब तक पूरा किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी, अभी नहीं ।

(ग) प्रस्तावित पुल के पहुंच मार्गों में से एक पहुंच मार्ग छावनी क्षेत्र में आता है और उसके लिये रक्षा प्राधिकरण से स्वीकृति ली जानी है । अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है और इस स्वीकृति के बिना कार्य शुरू नहीं किया जा सकता । परन्तु, आवश्यक स्वीकृति देने के लिये दिल्ली नगर निगम द्वारा रक्षा प्राधिकरण को मनाने के प्रयास जारी हैं ।

(घ) आशा है कि काम ठेके पर दिये जाने के पश्चात् परियोजना के पूरा होने में लगभग तीन वर्ष लगेंगे ।

मृत भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को पेंशन

4952. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को कोई पेंशन नहीं दी जाती है जिनकी सेवा-निवृत्ति के एक वर्ष के अन्दर मृत्यु हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सुविधा सिविलियन कर्मचारियों को दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी ही परिस्थितियों में भूतपूर्व सैनिकों को यह सुविधा देने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सेवा-निवृत्ति/विकालांगता अथवा अशक्तता के कारण सेवानिवृत्त होने वाले सैनिक कार्मिकों की विधवायें पारिवारिक पेंशन पाने की पात्र हैं चाहे कार्मिक की मृत्यु सेवा-निवृत्ति के एक वर्ष के भीतर हुई हो अथवा उसके बाद हुई हो। परन्तु उन कार्मिकों की विधवायें पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार नहीं होती हैं, जो पेंशन अर्जित करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त स्थिति सिविलियन कर्मचारियों तथा सैनिक कार्मिकों दोनों पर ही लागू होती है ।

अधीनस्थ सेवा आयोग

4953. **श्री गिरिधर जोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सरकारी कार्यालयों में ग्रुप 'सी०' के विभिन्न पदों को भरने के लिये एक अधीनस्थ सेवा आयोग ने काम करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कृत्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा उन कर्मचारियों की आयु या अर्हताओं आदि के सम्बन्ध में कोई रियायत दी जायेगी जो पहले से सरकारी सेवा में हैं, जैसाकि आमतौर पर विभागीय उम्मीदवारों को दी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आयोग के स्थापना के संबंध में संकल्प की एक प्रति संलग्न है, जिसमें इसके कार्यों को निर्दिष्ट किया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी०-8 47/77]

(ग) सम्बन्धित कर्मचारी ऐसी छूट यदि कोई हो, दिये जाने के पात्र होंगे, जिनकी सम्बन्धित पदों/सेवाओं पर लागू भर्ती नियमों में व्यवस्था है ।

(घ) छूट, यदि कोई है, का स्वरूप सम्बन्धित पदों/सेवाओं पर निर्भर होगा ।

इंग्लैण्ड की जिलेट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उद्योगों की स्थापना

4954. **श्री शिव नारायण** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड की जिलेट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत में स्वयं अथवा किसी भारतीय फर्म के सहयोग से फैक्टरी स्थापित करने हेतुगत कुछ वर्षों में सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) 1967 में रेजर ब्लेडों का उत्पादन करने वाली एक विद्यमान भारतीय कम्पनी का ग्रेट ब्रिटेन की जिलेट इन्डस्ट्रीड लि० के साथ तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रस्ताव निम्नलिखित आधार पर स्वीकार किया गया था :—

(i) ग्रेट ब्रिटेन की कम्पनी की सहभागिता संयुक्त उपक्रम में मशीन के रूप में कुल इक्विटी पूंजी के 49% से अधिक नहीं होगी, शेष यदि कोई होगी तो नकद होगी।

(ii) पहले वर्ष में कुल उत्पादन के 25% का निर्यात किया जाना चाहिये जिसे 5 वर्ष के भीतर बढ़ाकर कुल उत्पादन का 50% करना होगा । निर्यात दायित्वों के लिये एक बैंक गारन्टी देनी होगी ।

(iii) पहले से लाइसेंस प्राप्त और स्वीकृत मदों की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिये ।

(iv) ग्रेट ब्रिटेन की कम्पनी के व्यापार चिन्ह का केवल निर्यात के लिये प्रयोग करने की की अनुमति दी जायेगी आन्तरिक बिक्री पर नहीं ।

किन्तु यह प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हुआ क्योंकि मै० जिलेट इण्डस्ट्रीज अनेक बातों में अपनी मूल शर्तों जिसमें निर्यात वचनबद्धता भी है, से मुकर गई । उसके बाद अनेक भारतीय उद्यमकर्त्ताओं जिनमें राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा एक राज्य सरकार ने भी रेजर ब्लेडों का उत्पादन करने के लिये जिलेट इण्डस्ट्रीज से पहल की थी । किन्तु अभी तक किसी भारतीय उद्यमकर्त्ता अथवा जिलेट इण्डस्ट्रीज किसी से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

लघु उद्योग क्षेत्र और बड़े उद्योग क्षेत्र में टेलीविजनों का निर्माण

4955. **श्री एस०जी० मुरुगायन** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में लघु और बड़े उद्योग क्षेत्रों में कितने टेलीविजन सेट बनाये जाते हैं ;

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र और बड़े उद्योग क्षेत्रों के प्रत्येक एकक का अलग-अलग उत्पादन कितना है; और

(ग) क्या यह उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप नहीं है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : कैलेंडर वर्ष 1976 में लघु उद्योग क्षेत्र और बड़े उद्योग क्षेत्र में हुआ दूरदर्शन सैटों का उत्पादन क्रमशः 1,02,020 तथा 41,757 था ।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र तथा बड़े उद्योग क्षेत्र के कारखानों में हुए उत्पादन के आंकड़े अनुबन्ध-I में दर्शाये गये हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी०--848/77]

(ग) दूरदर्शन ग्लास शैलों पर लगने वाले आयात-शुल्क को युक्ति संगत बनाते हुए, इसे 186 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर देने के फलस्वरूप और वर्ष 1976-77 के संगीय बजट में पृथक-पृथक उत्पादन शुल्क की व्यवस्था करके जिसके अनुसार 1800 रु० तथा उससे कम कारखानागत मूल्य वाले दूरदर्शन सैटों पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत का रियायती उत्पादन-शुल्क लगाया गया है—दूरदर्शन सैटों की मांग में 50 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है । इसके परिणामस्वरूप, कई निर्माता अपनी स्थिति मजबूत बनाने में कामयाब हुए हैं और लघु उद्योग क्षेत्र के कुछ निर्माताओं ने तो अपनी अनुमोदित क्षमता से भी अधिक उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है । फिर भी कुछ ऐसे अनुमोदित निर्माता हैं जो विपणन तथा बिक्री से संबंधित उठ खड़ी होने वाली समस्याओं के कारण कोई खास प्रगति नहीं कर पाये हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण में वृद्धि

4956. **श्री मनोहर लाल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित पदों की प्रतिशतता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इन सेवाओं में इन जातियों का अनुसूचित जातिवार प्रतिनिधित्व क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तीन अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात् भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा में 1-1-1977 को अनुसूचित जातियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है:—

भा०प्र०से०	भा०पु०से०	भा०व०से०
303	147	51

सरकार के पास अनुसूचित जातियों के जातिवार आधार पर प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई सूचना नहीं है ।

बेरोजगार युवकों को लाइसेंस देने की योजना

4957. श्री **आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार युवकों को लाइसेंस देने की योजना वापस ले ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज **फर्नांडिस**) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन बेरोजगार युवकों को लाइसेंस देने की ऐसी कोई भी योजना नहीं थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोवा, दमण और दीव में लागू पुर्तगाली कानून

4958. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण और दीव में बहुत से पुर्तगाली कानून लागू हैं और इसके फलस्वरूप स्थानीय न्यायपालिका, बार तथा मुकद्दमा चलाने वालों को भारी असुविधा होती है जिन्हें पुर्तगाली भाषा और विधि प्रणाली का ज्ञान नहीं है;

(ख) क्या गोवा, दमण और दीव सरकार द्वारा नियुक्त विधि आयोग ने वर्ष 1971 में ही अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया था जिसमें वहां पर लागू कतिपय पुर्तगाली कानूनों को रद्द करने और उनके स्थान पर समानान्तर केन्द्रीय अधिनियम लागू करने की सिफारिश की गई थी; और

(ग) उक्त पुर्तगाली कानूनों को रद्द करने और समानान्तर केन्द्रीय अधिनियम लागू करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ताकि देश के शेष भाग के समान वहां एकरूपता और समानता लाई जा सके ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) सभी पुर्तगाली कानून, जो 20 दिसम्बर, 1961 के ठीक पूर्व गोवा, दमण व दीव में लागू थे अर्थात् वह तारीख जिसको इन क्षेत्रों को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था, संसद्द्वारा अधिनियमित गोवा, दमण व दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 द्वारा किसी सक्षम विधान मण्डल अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधन अथवा निरसन किये जाने तक जारी रखे गये थे। इनमें से बहुत से कानूनों का स्थान अब केन्द्रीय कानूनों और संघ शासित क्षेत्र के विधानमण्डल द्वारा अधिनियमित कानूनों ने ले लिया है। किन्तु कुछ पुर्तगाली कानून संघ शासित क्षेत्र में अब भी लागू हैं। गोवा, दमण व दीव सरकार ने सूचित किया है कि पुर्तगाली कानूनों के होने के कारण जनता, न्यायपालिका, बार अथवा मुकद्दमा चलाने वालों को कोई असुविधा नहीं होती है। जिन मामलों में पुर्तगाली कानून अन्तर्निहित होते हैं, उन्हें पुर्तगाली कानून तथा भाषा जानने वाले न्यायाधीशों द्वारा निपटा दिया जाता है।

(ख) गोवा, दमण व दीव सरकार द्वारा नियुक्त किये गये विधि आयोग ने सिफारिश की कि उन पुर्तगाली कानूनों को छोड़कर जिनका तुरन्त निरसन व्यावहार्य अथवा उचित नहीं है, सभी पुर्तगाली कानून का निरसन कर दिया जाए और कुछ केन्द्रीय कानून, जिन्हें गोवा, दमण व दीव में लागू नहीं किया गया था, इस क्षेत्र में लागू किये जायें।

(ग) गोवा, दमण व दीव सरकार द्वारा नियुक्त किये गये विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये विधान बनाने के एक प्रस्ताव पर उस सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

बजरी काण्ड

4959. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के पंचकूला, महेशपुर और पिंजौर के निवासियों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह मांग की गई है कि बजरी काण्ड नामक भ्रष्टाचार के मामले की जिसमें भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री बंसीलाल ने स्वयं को तथा श्री गांधी को लाभ पहुंचाने के लिये कार्य किया था, केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराई जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) रिकार्डों के अनुसार, प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया हुआ बताया गया ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Printing of Photos for Self-Publicity of Indira Family by Photo Division of Ministry of I. & B.

4960. **Chaudhary Hari Ram :**

Makkasar Godara :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether about 40,000 full size photos were printed in September, 1975 by the Photo Division of the Ministry for the self-publicity of Indira family;

(b) who had ordered the printing thereof and the justification therefor;

(c) the number of employees of Photo Division engaged on this work and the amount paid to them by way of overtime allowance;

(d) whether those photos were burnt later despite the fact that they were official documents and each copy had cost Government Rs. 3 as per official rate and who is responsible for this loss; and

(e) whether Government have investigated the matter; and if so, the outcome thereof.

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L .K. Advani) : (a) to (c) : The Photo Division had at the instance of Government in September, 1975 produced 38,000 photographs as below :

(i) Portrait of Mahatma Gandhi	18,000
(ii) Portrait of Smt. Indira Gandhi	15,000
(iii) Picture of Mahatma Gandhi with Smt. Indira Gandhi when she was a child	5,000

These photographs were required for publicity abroad. Overtime allowance paid to 27 members of the staff who worked on the job was Rs. 1212/-.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यचारियों की छंटनी और बर्खास्तगी

4961. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और वीरसा मुगुना जोन आफ ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटेड में आपात स्थिति के दौरान कितने कर्मचारियों स्थाई एवं नैमित्तिक की छंटनी की गई, सेवा समाप्त की गई, बर्खास्त किये गये और उनमें हरिजनों तथा आदिवासियों की संख्या कितनी है,

(ख) आपात स्थिति के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और नीरसा मुगुना जोन आफ ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटेड में जितने कर्मचारियों, शिक्षुओं की भर्ती की गई और उनमें हरिजनों तथा आदिवासियों की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या दोनों मामलों में अनियमितताएं की गई हैं और आपात स्थिति में कमजोर वर्ग को अधिक कष्ट भोगना पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो कोल फील्ड में आपात स्थिति के दौरान किये गये गलत कार्यों को ठीक करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Retrenchment of Workers by Central Zone, Coal India Ltd.

4962. **Shri Ramdas Singh** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the number of workers retrenched by the Kargali Colliery, Bokaro Colliery and Giridih Colliery of Bermo Coalfield under Central Zone Coal India Limited after formation of Janata Party Government; and

(b) steps taken to provide jobs to the workers retrenched ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) No worker of Central Coalfields Limited has been retrenched in any unit of Bokaro and Kargali area after the formation of Janata Party Government.

(b) Does not arise.

पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में कोयला क्षेत्र

4963. **डा० विजय मंडल** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांकुरा जिले (पश्चिम बंगाल) के मेजिया क्षेत्र में अच्छे किस्म के कोयले का क्षेत्र मौजूद है जो निकाले जाने पर प्रचुर मात्रा में हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो कोयला निकालने के लिए वहां की खानों में कार्य कब शुरू हो रहा है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) व (ख) बांकुरा जिले के मेजिया क्षेत्र में घटिया किस्म के कोयले के कुछ भण्डार हैं। उस क्षेत्र में एक खान खोलने की योजना ईस्टर्न कोल फील्डस लि० बना रहा है। किन्तु इस कोयले की पर्याप्त मांग न होने तथा अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के अभाव में इस पर तुरन्त काम शुरू नहीं हो सका।

तिब्बत में चीनी सशस्त्र सेना

4964. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तिब्बत में और विशेष रूप से भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में चीनी सशस्त्र सेना की कुल सैनिक संख्या में कोई वृद्धि हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : तिब्बत में, जिसमें भारत तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, चीनी सशस्त्र सेनाओं की कुल सैनिक संख्या में किसी तरह की वृद्धि के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

चिल्का नौसैनिक अड्डा

4965. **श्री के० प्रधानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चिल्का नौसैनिक अड्डा विकसित करने में अब तक हुई कोई प्रगति का क्या ब्यौरा है; और

(ख) क्या सरकार इसकी प्रगति से संतुष्ट है और यदि नहीं तो इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) चिल्का में बाल नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। सिविल निर्माण कार्य को दो चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण को और उप-चरणों में विभाजित किया गया है। पहले उप-चरण को इस तरह से बनाया गया है कि ताकि प्रतिष्ठान को न्यूनतम सुविधाओं के साथ चलाया जा सके और इसमें 2.2 करोड़ रुपए व्यय होगा। इस परियोजना के 1979 के शुरू में ही पूरी हो जाने की सम्भावना है। इस पर कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। ऐसी आशा है कि इसका दूसरा उप-चरण, जिसका डिजाइन प्रतिष्ठान के लिए अन्य सुविधाएं, सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के ध्येय से बनाया गया है, 1979 के अन्त तक पूरा हो जाएगा और इस पर 1.19 करोड़ रुपए व्यय होगा। परियोजना के दूसरे चरण का कार्य प्रथम चरण के कार्य के पूरा हो जाने पर शुरू किया जाएगा। इस परियोजना की प्रगति संतोषजनक है।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा

4966. **श्री बसन्त साठे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर राज्य सरकारों के विचार मांगे गये हैं;

(ग) उक्त प्रस्ताव पर, राज्यवार, राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(घ) सरकार ने इस मामले पर अभी तक कोई अन्तिम दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।

विवरण

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 को, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के सृजन की व्यवस्था किए जाने के लिए सितम्बर, 1963 में संशोधित किया गया था।

2. भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा को दिनांक पहली फरवरी, 1969 से गठित करने के संबंध में अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 2-क के अधीन औपचारिक आदेश जारी किए गए थे। भर्ती तथा संवर्ग प्रबन्ध के सम्बन्ध में नियमों को राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप भी दिया गया था और उन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित [किया गया था। किन्तु सेवा के राज्य संवर्गों का गठन करने अथवा उनमें आरम्भिक भर्ती करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि सात राज्य सरकारों अर्थात् असम, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल ने, जिन्होंने पहले इस सेवा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी थी, बाद में सेवा में भाग लेने के लिए अपने विचार बदल दिए अथवा इस सेवा के निर्माण की आवश्यकता के सम्बन्ध में कुछ शर्तें रखीं। असहमत राज्य सरकारों के साथ उक्त मामलों को उठाया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे राष्ट्र के प्रयत्नों व्यापक हित में सेवा में भाग लेने के लिए सहमत हों। इन के परिणामस्वरूप, असम, कर्नाटक, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल सरकारों ने अब इस सेवा की योजना में शामिल होना मान लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह कहते हुए एक अन्तरिम उत्तर भेजा है कि उक्त मामला विचाराधीन है। किन्तु जम्मू व कश्मीर तथा तमिलनाडु सरकारों ने पुनः विचार करने के बाद भी सेवा में भाग न लेने के अपने पहले के विचार को फिर से दोहराया है।

Supply of Coal to Ferozabad Glass Industry

4967. **Shri Ramji Lal Suman** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the quantity of coal allotted for Ferozabad Glass Industry per month;

(b) whether the coal so allotted, is being made available to Railways for transportation;

(c) if not, reasons therefor and remedial measures being taken in this regard; and

(d) the quality and quantity of coal supplied to this industry during the last 6 months ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Allotment of coal made to the Ferozabad Glass Industry from January to June 1977 was 863, 1245, 1374, 1188, 902 and 704 Four Wheeler wagons respectively.

(b) By and large, coal allotted was made available to Railways for transportation against wagons supplied by them.

(c) Does not arise.

(d) Precise quantities of coal supplied are not readily available, but qualitywise break-up against allotment is as follows :

	Jan. 77	Feb. 77	Mar. 77	April 77	May 77	June 77	Total
			(FW Wagons)				
Sel. A	40	87	43			50	220
Sel. B	75	..	..	..	..	12	87
Gr. I .	660	1058	1133	1100	726	642	5319
Gr. II/K	88	100	88	88	176		540
Gr. II/HH & K			110				110
Total	863	1245	1374	1188	902	704	6276

आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत

4968. **श्री समरेन्द्र कुण्ड** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है और प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत उक्त अवधि में कितना रहा है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही और क्या उनमें कोई कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) कृपया **विवरण**-1 (संलग्न) देखें जिसमें 1975-76 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के बारे में विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय औसत दर्शाया गया है। वर्ष 1976-77 के बारे में इस प्रकार के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कृपया विवरण-2 (संलग्न) देखें, जिसमें 1975-76 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तुओं का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (स्थिर भावों के आधार पर) दर्शाया गया है। चीनी और वस्त्रों के मामले को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में कोई कमी नहीं हुई। इस दौरान पिछले दो वर्षों में चीनी और वस्त्रों की खपत में मामूली कमी हुई है।

(ग) उपभोग का स्तर आय में वृद्धि मूल्यों के स्तर और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि पर निर्भर करता है। योजनाबद्ध विकास के परिणामस्वरूप वैयक्तिक आय में वृद्धि होने की संभावना है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जिन कतिपय वस्तुओं की कमी है उनकी उपलब्धि में वृद्धि की जा रही है । उदाहरणार्थ कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चे सूत और कृत्रिम रेशों के आयात में उदारता बरती गयी है। पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेल आयात करने के लिए व्यवस्था की गई है। बाजार में अनाज, चीनी और अन्य खाद्य वस्तुएं इस समय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और साथ ही उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण

1 राज्यों और भारत की प्रति व्यक्ति आय (रु०)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1973-74	1974-75	1975-76*
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	8,40	10,03	9,19
2. असम	6,41	8,11	8,50
3. बिहार	6,04	7,18	†
4. गुजरात	10,80	10,38	उ०न०
5. हरियाणा	11,17	12,17	उ०न०
6. हिमाचल प्रदेश . .	9,02	10,46	0,50
7. जम्मू और कश्मीर .	7,20	8,36	8,83
8. कर्नाटक	7,04	7,84	7,85
9. केरल	7,85	8,61	उ०न०

1	2	3	4
10. मध्य प्रदेश	7,34	8,30	7,93
11. महाराष्ट्र	10,91	12,70	13,30
12. मणिपुर	6,37	6,84	7,40
13. उड़ीसा	7,01	6,07	7,85
14. पंजाब	13,93	14,82	15,80
15. राजस्थान	7,80	8,19	उ०न०
16. तमिलनाडु	†	8,14	8,51
17. उत्तर प्रदेश	7,07	8,17	7,81
18. प० बंगाल	9,44	10,40	10,46
19. दिल्ली .	16,82	21,35	21,30
20. गोआ, दमन और दीव	17,34	15,73	16,89
अखिल भारत	8,56	9,89	10,05

*शीघ्र अनुमान

†तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं

टिप्पणी :--1. संकल्पनाओं, रीतिविधान और प्रयुक्त स्रोत सामग्री में अन्तर होने के कारण राज्यों के सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद (राज्य आय) के अनुमानों की, राज्यों में परस्पर एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किए गए अखिल भारतीय अनुमानों से ठीक ठीक तुलना नहीं की जा सकती है।

2. उ०न०--उपलब्ध नहीं।

विवरण II

स्थिर भावों के आधार पर आवश्यक वस्तुओं का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (रु०)

उपभोग वस्तु	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76*
1	2	3	4	5	6
I. खाद्य					
1. अनाज और अनाज के बदले प्रयुक्त खाद्य पदार्थ	84.4	77.4	80.9	77.0	89.2
2. दूध और दुग्ध उत्पाद	20.7	21.5	21.6	21.3	21.3
3. खाद्य तेल . .	11.5	1.7	16.6	10.3	11.2
4. मांस अण्डे और मछली .	7.6	7.7	7.7	7.6	8.2
5. चीनी .	15.5	14.1	15.3	13.1	13.5
6. अन्य खाद्य पदार्थ	38.6	38.4	41.0	37.7	41.4
7. जोड़	178.3	169.8	177.1	167.0	184.8
II. वस्त्र और जूते					
1. वस्त्र . .	24.9	25.1	25.5	25.1	24.9
2. जूते . .	4.6	3.7	3.9	3.6	3.8
3. जोड़ . .	29.5	28.9	29.4	28.7	28.7

*शीघ्र अनुमान

Coastal Highway in Gujarat

4969. **Shri Dharamsinh Bhai Patel** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the kilometreage coastal highway in Gujarat already completed and that is yet to be completed;

(b) the reasons for not completing the remaining portions and how the Centre propose to help Gujarat in this matter; and

(c) the amount of Central grant proposed to be given to Gujarat for completing the remaining highway work and when?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) to (c): A road already exists in a length of about 1644 KMs out of 1824 KMs of Coastal Highway. The balance length is 179.65 KMs. In addition, some unbridged river crossings are also to be bridged. The balance length of 179.65 KMs consists of the following stretches :—

(a) Lakhpat-Koteshwar at the extreme northern end.	24.00 KMs.
(b) Bilimora in Gujarat to Maharashtra border at extreme Southern end.	93.00 KMs.
(c) Scattered stretches in the rest of the Coastal Highway.	62.65 KMs.

As for (a) and (b), these appear to have been conceived as extension of the Coastal Highway at the two ends.

It is a State Highway and the State Government are responsible for its development. However, Government of India have approved works costing Rs. 5.42 crores so far on this road by way of Central financial assistance which cover mostly works mentioned at (c) above.

Sutlej-Beas Link Project

4970. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on Sutlej-Beas link project;

(b) whether cooperation of other countries has also been sought for construction of the project; and if so, the names of such countries and the nature of cooperation received from them as also the extent to which it was received;

(c) the acreage of land to be irrigated under this project;

(d) the names of the States which would get irrigation facility and electricity from this project; and

(e) the estimated electricity generation capacity of the project ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Upto end of May, 1977, an expenditure of Rs. 318.73 crores has been incurred.

(b) Cooperation from any particular country for the construction of the Project was not sought. However, the Project availed of IDA Credit 89-IN to the extent of Rs. 12.45 crores for the purchase of essential equipments and spares.

(c) About 13 lakh acres of land would come under irrigation.

(d) The successor States of erstwhile Punjab and the State of Rajasthan.

(e) The power house at Dehar will have an installed capacity of 660 MW(4 x 165 MW each) with a provision of two future units of similar capacity. The firm power potential of the unit is 412 MW.

Civil Amenities for Berwa and Meena Community in Delhi

4971. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether about 6 lakh people of Berwa community and about 80 thousand people of Meena Caste are leading miserable life in J.J. Colonies or in slums in various parts of the capital for want of civic amenities;

(b) whether the people of these castes are given all those facilities by Rajasthan Government which are available to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Adivasis while they are being totally deprived of these facilities in Delhi and are not even issued the certificate of being Scheduled Castes and Adivasis;

(c) whether the people of these castes are being put to great disadvantage in every sphere for want of such a certificate and as a result there is great discontentment among the community; and

(d) if so, the steps being taken by Government in this regard?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) Essential civic amenities have been provided in J.J. Colonies. However, Government have no information about community-wise break-up of the residents of such colonies.

(b), (c) and (d) : Under the provisions of Articles 341 and 342 of the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been specified spearately in relation to each State and Union Territory. While Berwa has been specified as a Scheduled Caste and Meena as a Scheduled Tribe in some parts of Rajasthan State, in relation to Delhi Union Territory, these communities have not been specified as such. Therefore, persons belonging to these communities in Delhi cannot be treated as Scheduled Castes/Tribes and are not entitled to the benefits admissible to the Scheduled Castes/Tribes in Delhi.

Construction of Roads in Villages

*4972. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there are no approach roads to the Bastis inhabited by the people belonging to the weaker sections in many villages; and

(b) if so, whether Government propose to give instructions to the State Governments to acquire land for providing roads to the bastis where people belonging to weaker sections, Scheduled Castes and Scheduled Tribes live and thus remove the difficulties being experienced by them in this regard ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) & (b) The matter of providing approach roads to Bastis is primarily the responsibility of State Government. In the Fifth Plan, while the Minimum Needs Programme envisages linking of villages or cluster of villages with a population of 1500 and above with all weather roads, the Tribal sub-plan clearly outlines the policy for phasing of rural road programmes on functional basis. A total provision of Rs. 108.13 crores has been made in the Fifth Plan for construction of roads and bridges under the Tribal Sub-Plan of States.

Use of Language in Court Judgements

4973. **Shri Mritunjay Prasad Varma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether judgements, orders, etc., have been written in Hindi any time in Supreme Court or in some High Courts; and if so, the names of the courts together with the number of judgements given in Hindi in 1976-77 and where and when their English translation was published; and

(b) Whether some judgements, orders, etc. have also been written in a court in any other Indian language other than English and Hindi; and if so, the names of the courts together with the number and the languages in which judgements, orders, etc. have been written and when and where their Hindi and/or English translation was published ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) In accordance with article 348 (1) of the Constitution, unless Parliament by Law otherwise provides, all proceedings, judgements etc. in the Supreme Court shall be in English only.

So far, the President has authorised the High Courts of Allahabad, Patna, Rajasthan and Madhya Pradesh for optional use of Hindi in judgements, orders etc. The Central Govt. have, however, no information in respect of the number of the judgements, orders etc. given by these High Courts in Hindi during 1976-77 and the State Govts. have been asked in this regard. Information will be laid on the table of the house as soon as it is available.

(b) Except the above High Courts no other High Court has sought the consent of the President for the use of an Indian language except English in proceedings, judgements etc.

All these High Courts are, therefore, giving their judgements etc. in English only.

State Govts. themselves take decision in respect of the language of the Subordinate Courts. The information regarding the number of judgements etc. made by these High Courts in Indian Languages and publication of their English version is being collected from the State Govts. and it will be laid on the table of the House on its receipt.

मृत्युदण्ड का समाप्त किया जाना

4974. **डा० हेनरी ग्रास्टिन** :

श्री समर गुह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मृत्युदण्ड की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निदेश जारी किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में न्यायाधीशों ने कितने मामलों में मृत्युदण्ड दिया; और

(घ) उपरोक्त अवधि में राष्ट्रपति ने कितने मामलों में मृत्युदण्ड माफ़ कर दिया ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के मामलों की सूचना इस प्रकार है :--

1974	27
1975	23
1976	15

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यायाधीशों द्वारा दिये गये मृत्युदण्ड के बारे में सूचना

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1974, 1975 तथा 1976 के वर्षों के दौरान न्यायाधीशों द्वारा दिये गए मृत्युदण्ड
1	2
आन्ध्र प्रदेश	21
असम	5
गुजरात	शून्य
जम्मू और काश्मीर	22
कर्नाटक	33
केरल	19
महाराष्ट्र	14
नागालैण्ड	शून्य
उड़ीसा	1
तमिल नाडु	61
उत्तर प्रदेश	81
पश्चिम बंगाल	2
अण्डमान और निकोबार	शून्य
अरुणाचल प्रदेश	शून्य
चण्डीगढ़	शून्य
दादरा और नगर हवेली	शून्य
दिल्ली	3
लक्षद्वीप	शून्य
पांडिचेरी	शून्य

टिप्पणी :-बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों और संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमन और दीव तथा मिजोरम से अभी और की प्रतीक्षा है।

Paper Factory in Nainital

4975. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether some big companies had submitted applications for setting up paper factories in the hill areas near Nainital;

(b) the names of the companies which have been granted permission for setting up such factories as Public Limited factories; and

(c) whether Central Government propose to form a Government company to make proper use of the raw material available in this area ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) Yes, Sir.

(b) A letter of intent has been issued to **M/s.** Century Pulp for the setting up a new undertaking at Nainital (U.P.) for the manufacture of (1) Newsprint: 20,000 tonnes per annum; (2) White printing paper: 20,000 tonnes per annum; (3) Rayon Grade pulp: 20,000 tonnes per annum.

An Industrial Licence has been issued to M/s. Nainital Paper Mills Ltd. for the establishment of a new undertaking at Nainital (U.P.) for the manufacture of 15,000 tonnes per annum writing and printing paper.

(c) At present the Central Government has no proposal to set up a public sector project in this area.

ग्रीष्म काल में पूने (महाराष्ट्र) में टेलीविजन सेटों का कार्य न करना

4976. **श्री ग्रार० के० महालगी** : क्या **सूचना ग्रौर प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीष्म काल में टेलीविजन सेटों के कार्य न करने के बारे में सरकार को पूने (महाराष्ट्र) से मई, 1977 में एक लिखित ग्रभ्यावेदन प्राप्त हुग्रा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ग्रर्थात् करने का विचार है; ग्रौर

(ग) क्या संवंधित व्यक्तियों को तदनुसार सूचित किया गया था ?

सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण ग्राडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) जिस फ्रीक्वेंसी पर बम्बई केन्द्र, जिसके कार्यक्रम पुणे केन्द्र द्वारा रिले किए जाते हैं, काम करता है, उसी फ्रीक्वेंसी पर एक विदेशी केन्द्र के काम करने के कारण हस्तक्षेप होता है । डाकतार विभाग के माइक्रोवेव लिंक के माध्यम से वैकल्पिक रिले प्रबन्ध किए जा रहे हैं। उम्मीद है ये 1977 के ग्रन्त तक मुकम्मल हो जायेंगे।

(ग) : जी, हां।

Manufacture of consumer goods with imported material

4977. **Shri Hukmdeo Narain Yadav:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the names of companies engaged in manufacture of consumer goods from imported material with foreign collaboration and the items of consumer goods producted by them ;

(b) whether Government propose to stop the import of all these materials used in production of consumer goods with a view to strengthen the Indian economy and indigenous industry; and

(c) if so, by what time?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a)The information is being collected and will be placed on the table of the House.

(b) & (c) : One of the broad objectives of the import policy for 1977-78 is to increase industrial production maintain the price line, particularly with respect to items of mass consumption. In devising the policy for individual items, a judicious balance has been struck between individual requirements of the industry for imported raw materials and the interests of indigenous manufacturers. The guiding principle has been that the goods which are available from indigenous sources in sufficient quantity should not be allowed to be imported. However, the policy with respect to individual items is kept under constant review in the course of the year, so that corrective action is taken whenever necessary to protect the interest of indigenous industry. This is a contiuning process for which there can be no time limit.

श्रद्धानन्द बाजार दिल्ली से ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को हटाया जाना

4978. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जनता द्वारा बारबार मांग किये जाने के बावजूद ट्रांसपोर्ट कंपनियों को दिल्ली में श्रद्धानन्द बाजार से नहीं हटाया गया है जबकि उनके लिए बहुत समय पहले स्थान आरक्षित कर दिये गये थे ;

(ख) क्या सरकार यह भी जानती है कि इन कंपनियों ने वस्तुतः सड़कों को अपना गोदाम बना लिया है तथा सड़क पर ट्रक खड़े करने से यातायात अक्सर रूक जाता है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां, लगभग 55 परिवहन कंपनियां, जिनके अपने कार्यालय अभी तक श्रद्धानन्द बाजार क्षेत्र में है।

(ख) उस क्षेत्र में इन परिवहन कंपनियों द्वारा सड़क का कोई स्थायी अतिक्रमण नहीं किया गया है। परंतु माल के लदान और उतार के लिए इस क्षेत्र में ट्रक सड़क पर खड़े रहते है। कभी-कभी माल परिवहन कंपनियों के गोदामों को माल ले जाने के पूर्व सड़क पर ही रख दिया जाता है, यद्यपि वह थोड़े समय के लिए ही होता है।

(ग) माल के सड़क पर रखे जाने के कारण सड़क का अतिक्रमण दिल्ली नगर निगम अधिनियम के संबंधित उपबन्धों के अधीन जब कभी छापे मारे जाते हैं, तो उठा लिया जाता है।

दिल्ली की मास्टर योजना में परिवहन कंपनियों को स्थान देने के लिये उपयुक्त स्थान आरक्षित किये गये हैं। दिल्ली विकास अधिकरण ने पांच परिवहन केन्द्रों का नियोजन/विकास किया है। जहां कुछ परिवहन कंपनियां पहले से जा चुकी हैं। इस प्रयोजन के लिये दिल्ली नगर निगम का तीन स्थलों का विकास करने का भी विचार है।

आसाम में चाय बागान के आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियां न मानना

4979. **श्री चरण नरजरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य में चाय बागान और भूतपूर्व चाय बागान आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता नहीं दी गई; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) चाय बागान तथा चाय बागान के उन भूतपूर्व व्यक्तियों को जो उन समुदायों के नहीं हैं जिन्हें असम राज्य के बारे में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है, अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं समझा गया है क्योंकि उनके समुदाय अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किये जाने के लिये निर्धारित मानदण्डों पर पूरे नहीं उतरते।

कनिष्ट स्वागती अधिकारी

4980. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या गृह मंत्री स्वागती अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 13 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3388 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थायी रिक्त स्थानों पर कनिष्ठ स्वागती अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी प्रतिनियुक्ति की कालावधि बढ़ाये जाने के कुछ मामलों में नियमों से बाहर कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सदन के कुछ माननीय सदस्यों तथा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान के अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति द्वारा कनिष्ठ स्वागती अधिकारियों के पद भरने की नीति के पुनरीक्षण का सुझाव दिया है और यदि हां तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, जब से वर्तमान नीति लागू है केवल दो मामलों में भिन्नता नियम से बाहर कार्रवाई की गई है। पहले मामले में, करुणामूलक आधारों पर समावेशन स्वीकार किया गया था चूंकि अधिकारी गृह मंत्रालय में पृथक पद से प्रतिनियुक्ति पर था जहां तरक्की के कोई अवसर नहीं थे। दूसरे मामले में, स्थायी समावेशन के लिये प्रतिनियुक्त के आवेदन को मंजूर नहीं किया गया था, परन्तु कार्यकाल सामान्य अवधि से आगे बढ़ाया गया था।

(ख) जी हां, श्रीमान्। तारीख 13-7-1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 3388 के उत्तर में बताये गये कारणों से केवल प्रतिनियुक्ति द्वारा कनिष्ठ स्वागती अधिकारियों के पद भरने की विद्यमान नीति में परिवर्तन करना वांछनीय नहीं समझा गया है।

आर्टिफिशल लिम्ब मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया कानपुर

4981. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर हाल ही में आर्टिफीशियल लिम्बज मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया, कानपुर में आन्दोलन और हड़ताल हो रही थी;

(ख) कर्मचारियों की मांगें क्या हैं; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने और अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी नहीं। कारखाने में कोई हड़ताल अथवा आन्दोलन नहीं हुआ है किन्तु जून 1977 में कर्मचारियों के एक दल द्वारा कार्यालय के समय के बाद और कारखाना क्षेत्र के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया था।

(ख) एलिमको (ए० एल० आई० एम० सी० ओ०) वर्कर्स यूनियन द्वारा श्रम आयुक्त, कानपुर को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें मांग की गई थी कि :—

(1) एलिमको के कर्मचारियों को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स के कर्मचारियों के समान वेतन लाभ दिया जाना चाहिए।

(2) आपात स्थिति में निकाले गए सभी कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाया जाना चाहिए तथा एलिमको वर्कर्स यूनियन के महासचिव, श्री एम० सी० गुप्ता का निलम्बन प्रतिसंहृत किया जाये तथा पुनः अविलम्ब काम पर लिया जाये।

(3) सभी अस्थायी और आकस्मिक कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के रूप में तत्काल खपा लिया जाये। कैन्टीन के कर्मचारियों को भी निगम के कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य सुविधाएँ दी जानी चाहिएं।

(4) अनुसूचित काम के घंटों के बाद समयोपरि कार्य करने के लिए नकद भुगतान किया जाये।

(5) विभागीय पदोन्नति समिति के नियमों को रद्द करके सभी पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर की जानी चाहिएं। निम्नतम पदों को छोड़ कर सभी पदों की पूर्ति एलिमको के कर्मचारियों में की जानी चाहिए।

(6) स्थायी आदेशों में निर्धारित छुट्टियाँ जो प्रमाणित कर दी गई हों तत्काल दी जानी चाहिएं।

(7) ई० एम० आई० योजना समाप्त की जानी चाहिए और सरकारी विभागीय चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिएं।

(8) कर्मचारियों को प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

(9) सभी समितियों के लिए चुनाव कराये जाने चाहिएं।

(10) संघ के लिए सज्जित आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा संघ कार्य के लिए दो घंटे की मोहलत दी जानी चाहिए।

(11) प्रबन्धकों द्वारा संघ को मान्यता दी जानी चाहिए।

(12) कैन्टीन में दी जाने वाली खाद्य सामग्री की कीमतों में कमी की जानी चाहिए।

(ग) श्रमायुक्त, कानपुर ने समझौते के प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं और परिव्यय की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रबन्धकों ने संघ प्रतिनिधियों को विचार विमर्श के लिए बुलाने की पहल की इसके फलस्वरूप कैन्टीन में दी जाने वाली खाद्य सामग्री के मूल्य सम्बन्धी मामले को सुलझा लिया गया है। संघ ने उद्योगों की अनुशासन संहिता के अनुसार कार्य करना स्वीकार कर लिया है। स्थिति सामान्य है।

Loss of Excise Duty on Cement

4982. **Shri Ram Lal Rahi :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether an exemption of Rs. 7 per quintal in excise duty or sales tax had been granted to the cement producers in February or March during Lok Sabha elections and cement producers were permitted to increase the price of Cement by Rs. 7 per quintal in lieu thereof; and

(b) if so, the amount of loss suffered by Government as a result of reducing the excise duty or sales tax ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) No, Sir. Government had reduced the excise duty by Rs. 17 per tonne from Rs. 82 to Rs. 65 per tonne with effect from 27-1-1977 to avoid an increase in the F.O.R. destination price of cement which would have otherwise become inevitable to meet the increases in the railway freight from time to time and with a view to maintaining the price line for the consumer.

(b) The revenue foregone as a result of the above reduction was Rs. 5.85 crores for the financial year 1976-77. The question of Central Government giving any exemption from sales tax whether State or Central does not arise as this is the concern of the State Governments.

नई दिल्ली में हुआ सोवियत-वियतनाम फिल्म समारोह

4983. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में सोवियत और वियतनाम फिल्म समारोह हुए थे;

(ख) यदि हां तो दिखाई गई फिल्मों का ब्यौरा क्या है और लगभग कितने व्यक्तियों ने उन्हें देखा था;

(ग) क्या उपरोक्त समारोहों में केवल आमंत्रित व्यक्ति जा सकते थे अथवा उन्हें सामान्य जनता टिकट लेकर देख सकती थी;

(घ) उपरोक्त फिल्मों का चयन किसने किया था और चयन का मानदण्ड क्या था; और

(ङ) यदि उपरोक्त फिल्मों का भारतीय जनता पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) हाल ही में नई दिल्ली में कोई सोवियत फिल्म समारोह नहीं हुआ। केवल 'ब्लाकेड' नामक सोवियत फिल्म का प्रीमियर (प्रथम प्रदर्शन) 29 जून, 1977 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। लगभग 1200 व्यक्ति इस समारोह में उपस्थित हुए थे।

एक वियतनामी फिल्म समारोह 3 (उद्घाटन समारोह), 4 और 5 जुलाई, 1977 को नई दिल्ली में हुआ था।

वियतनामी फिल्म समारोह में जो फिल्में दिखाई गई थीं वे इस प्रकार हैं:—

फीचर फिल्में

(1) वी शैल मीट अगेन एज प्रोमिज्ड।

(2) दि यंग वूमैन आफ बाई-साओ।

डाकुमेंट्री फिल्में

(1) दि ग्रेटैस्ट होलीडे।

(2) विंटर कोट्स।

(3) दि ट्रु-ओंग सन रोड।

लगभग 1,000 व्यक्तियों ने उद्घाटन समारोह देखा और लगभग 690 व्यक्तियों ने वाणिज्यिक शो देखे।

(ग) सोवियत प्रीमियर और वियतनामी फिल्म समारोह में केवल आमंत्रित व्यक्ति ही जा सकते थे। तथापि, वाणिज्यिक शो को सामान्य व्यक्ति भी देख सकते थे।

(घ) सोवियत प्रीमियर और वियतनामी फिल्म समारोह के लिए फिल्मों का चयन सम्बन्धित देशों द्वारा किया गया था।

(ङ) इस प्रकार के समारोह, भारत और भाग लेने वाले देशों के बीच मैत्री के संबंधों को सुदृढ़ करने के अलावा, भारत के लोगों को भाग लेने वाले देशों के लोगों की जीवन पद्धति को जानने का अवसर प्रदान करते हैं।

दिल्ली बिक्री कर

4984. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है कि दिल्ली बिक्री कर व्यवस्था को सरल बनाया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या दिल्ली बिक्री कर अधिनियम में हाल ही में किये गये परिवर्तनों और विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का दिल्ली के वितरण स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दोष को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 21-10-75 से दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 के प्रवर्तन के बाद बिक्री-कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिये अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। अधिकांशतः इन अभ्यावेदनों का संबंध (1) प्रथम अवस्था में बिक्री कर लगाना और (2) बिक्री कर कानून के अधीन निर्धारित घोषणा प्रपत्र से है जहां तक प्रथम अवस्था

में बिक्री कर लगाने का संबंध है, लोक सभा की प्रवर समिति ने, जिसने दिल्ली बिक्री कर विधेयक, 1973 पर विचार किया था, सिफारिश की कि "कर अपवंचन रोकने तथा उसे एकत्र करने को भी सरल बनाने के उद्देश्य से, जहां संभव हो, प्रथम अवस्था में कर लगाना चाहिए"। जब विभिन्न वस्तुओं पर कर प्रथम अवस्था में लगाया गया था तो दिल्ली प्रशासन ने इस सिफारिश को ध्यान में रखा था। किन्तु बाद में प्रशासन को बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुये, विशेषत: अन्तर्राज्यीय बिक्री करने वाले पुन: विक्रेताओं और छोटे निर्माताओं से, कि प्रथम अवस्था में कर लगाना उनके हितों के लिये हानिकर सिद्ध हो रहा है। उस पर विचार करने के बाद प्रथम अवस्था में कर-योग्य वस्तुओं की सूची से कुछ वस्तुओं को निकाल दिया। कानून के अधीन विभिन्न घोषणा प्रपत्रों के बारे में प्रशासन द्वारा प्रपत्र जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास किये गये हैं। इस मामले का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

(घ) दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 के प्रवर्तन के बाद दिल्ली के वितरण स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार के किन्हीं विशिष्ट आदेशों का प्रश्न में उल्लेख नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Commission to Enquire into the Role Played by Government Officers during Emergency

4985. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a separate commission to enquire into the role played by the Government officers during emergency; if so, when; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) No, Sir.

(b) (i) The terms of reference of the Commission of Inquiry (Shah Commission) appointed by the Government in the Ministry of Home Affairs notification S.O. 374(E) dated the 28th May, 1977, are quite wide and encompass the conduct of Government servants in relation to subversion of lawful processes and well established conventions, administrative procedures and practices, abuse of authority, misuse of powers, excesses and/or malpractices and no separate Commission is, therefore, necessary.

(ii) Government are also aware that, while some Govt. servants misused their authority for personal ends, many only carried out orders received from above.

पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध न करने की संधि

4986. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार तब तक भारत के साथ युद्ध न करने की संधि पर हस्ताक्षर करने को इच्छुक नहीं है जब तक तथाकथित काश्मीर विवाद पर समझौता नहीं हो जाता;

(ख) क्या वह देश अपनी युद्ध क्षमता में वृद्धि करके तथा विभिन्न प्रकार के हथियार और अन्य सामरिक महत्व की सामग्री जमा करके भारी तैयारियां कर रहा है ;

(ग) सरकार द्वारा 1977-78 के बजट में रक्षा पर खर्च में कमी करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार अचानक आक्रमण किये जाने की सम्भावना से अवगत रहेगी तथा रक्षा के लिये तत्पर रहेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारत के युद्ध न करने की संधि के प्रस्ताव पर पाकिस्तान सरकार की कभी अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं रही है।

(ख) सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान ने 1971 के बाद से अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर ली है और उसने अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए आधुनिक युद्ध सामग्री इकट्ठी कर ली है।

(ग) अपनी रक्षा तत्परता की संक्रियात्मक दक्षता पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकारी खर्च में कमी करने के सरकारी निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से 1977-78 के बजट में रक्षा व्यय को कम किया गया है।

(घ) अपनी रक्षा उपायों की योजना को बनाते समय सभी संबंधित सम्भाव्यता को ध्यान में रखा जाता है।

Issue of Identity Cards to Citizens

4987. **Shri Laxmi Narayan Naik :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to issue identity card to the citizens of the country as is being done by other countries; and

(b) whether the address, profession of the citizen concerned will be indicated and photograph of the citizen will also be pasted in the identity card ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

परमाणु ऊर्जा का उपयोग

4988. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय समुदाय के जीवन में परमाणु ऊर्जा का क्या उपयोग है;

(ख) किस विशिष्ट कार्यकलाप में परमाणु ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग होता है; और

(ग) इसके उपयोग से भारतीय समुदाय को क्या लाभ पहुंचा है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जहां तक भारतवासियों के जीवन का सम्बन्ध है, परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण उपयोग, बिजली के उत्पादन के अतिरिक्त, कृषि, चिकित्सा एवम् उद्योग के क्षेत्रों में है।

(ख) परमाणु ऊर्जा का सर्वाधिक अपयोग बिजली के उत्पादन में हुआ है।

(ग) परमाणु ऊर्जा के उपयोग के फलस्वरूप जो लाभ हुए हैं, उनमें बिजली का अधिक उत्पादन, जो कि देश की औद्योगिक आवश्यकताओं की दृष्टि से महत्व रखता है, सुधरी किस्मों के बीज, जो ज्यादा पैदावार देते हैं तथा जिनमें बीमारियों और कीटाणुओं के प्रतिरोध की अधिक क्षमता है, तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में रोगों के निदान एवम् चिकित्सा के बेहतर तरीकों जैसे लाभ शामिल हैं।

बरहानपुर को जयपुर के साथ जोड़ने के लिये उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ

4989. **श्री श्रीबाटचा डिगल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरहामपुर को बरास्ता बालीगुड़ी जयपुर से जोड़ने के लिये उड़ीसा राज्य में एक राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण करने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) संभवतया माननीय सदस्य का आशय बरहामपुर (जिला गंजम) को राष्ट्रीय राजमा के जरिए बालीगुडा होते हुए जयपुर (जिला कोरापुट) से जोड़ने से है। उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित सड़कों को पांचवीं योजना में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में और सड़कें जोड़ने के अपने प्रस्तावों में शामिल किया था।

(क) अंगुल-टिकारापाड़ा-फुलबनी-बालीगुडा-तुमुरीबांध-मनिगुडा-कामतलपेटा-कोरापुट सड़क।

(ख) गोपालपुर-बरहामपुर-असका-दारिंगबाडी-बालीगुडा-तुमुरीबांध-रामपुर-आमत-टिटीलागढ़-खारियर-नवापारा-रामपुर सड़क।

यदि इन दोनों सड़कों को स्वीकार कर लिया होता तो बालीगुडा होकर बरहामपुर और जयपुर जुड़ जाते।

परंतु, इन प्रस्तावों को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ, क्योंकि वित्तीय कठिनाई के कारण भारत सरकार इस समय मौजूदा रा० रा० पद्धति में और विस्तार का कार्य करने में असमर्थ है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा संबद्ध सेवा की परीक्षाओं में बैठने के लिए आयु-सीमा

4990. **श्री एस० बी० पाटिल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा संबद्ध सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने हेतु सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु-सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक रूप से ली जाने वाली भारतीय प्रशासन सेवा तथा संबद्ध सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने का अनुरोध करते हुए, कुछ सरकारी कर्मचारियों ने अभ्यावेदन दिए हैं। किन्तु सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु-सीमा में कोई छूट दी जाये।

Linking of National Highway No. 31 with National Highway No. 34.

4991. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether there will be a great convenience in the movement of traffic between Bihar and West Bengal, if the National Highway No. 31 is linked with N.H. No. 34 and it will also reduce the distance and save expenditure and time;

(b) whether this link between N.H. No. 31 and the N.H. No.34 which is in West Bengal, the neighbouring states, will have to be provided via Kaudha and Katihar-Labha; and

(c) the time by which these two National Highways are proposed to be so linked keeping in view the backwardness of this area and the convenience of trade and movement of traffic and if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) to (c) No such requirement either in general or with particular reference to the provision of a road aolng the Kora-Kaudha-Katihar-Labha route has been received by the Government of India either from the Bihar or West Bengal Governments. This link would form part of a State road and it is, therefore, the responsibility of the State Governments concerned. The Central Government have no proposal regarding this road.

इलेक्ट्रानिकी आयोग द्वारा लाइसेंस दिया जाना

4992. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **इलेक्ट्रांनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिकी आयोग के चेयरमैन सहित वर्तमान निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम, अर्हताएं, वेतन-भत्ते आदि और नियुक्ति की शर्तें क्या-क्या हैं;

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी आयोग को गत दो वर्षों के दौरान लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन-पत्र मिले और उनमें से कितने आवेदकों को लाइसेंस दिये गये; और

(ग) भिन्न-भिन्न कम्पनियों में कुल कितना पूंजी-निवेश किया गया और गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन कम्पनियों द्वारा सामूहिक रूप से कितना शुद्ध लाभ कमाया गया अथवा कितना घाटा उठाया गया ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी आयोग में इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र के लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्ति तथा वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी हैं। प्रोफेसर एम० जी० के० मेनन इस आयोग के अध्यक्ष हैं; तथा कलकत्ता स्थित कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष, लेफ्टिनेंट जनरल के० एस० ग्रेवाल; हैदराबाद स्थित भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री ए० एस० राव; प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, श्री वी शंकर; बंगलौर स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, श्री सी० आर० सुब्रह्मण्यन् उक्त आयोग के सदस्य हैं। श्री पी० जे० फर्नांडीज आयोग के सदस्य (वित्त) हैं। अध्यक्ष महोदय, जो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में भारत सरकार के सचिव भी हैं, तथा सदस्य (वित्त), जो भारत सरकार के वित्त सचिव हैं, तथा श्री वी० शंकर पूर्णकालिक सरकारी अधिकारी हैं । वर्तमान आयोग के सभी अन्य सदस्य अंश-कालिक सदस्य हैं; आयोग के कार्य के सिलसिले में यात्रा तथा जीवन-निर्वाह व्यय को छोड़कर इन व्यक्तियों को सरकार से सदस्य के तौर पर और कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉनिकी आयोग के सदस्यों की सेवा-शर्तें मूलतः वही हैं जो परमाणु आयोग तथा अंतरिक्ष आयोग के सदस्यों पर भी लागू होती हैं।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी आयोग का कार्यकारी उपांग होने के साथ-साथ, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इलेक्ट्रानिकी उद्योग का प्रशासनिक मंत्रालय भी है और इस हैसियत से विभाग, औद्योगिक लाइसेंस/लघु उद्योग क्षेत्र में अनुमोदन के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही करता है । वर्ष 1975-76 के दौरान जो लाइसेंस जारी किए गए हैं उनकी संख्या नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	प्राप्त आवेदन-पत्र	जारी किए गए आशय पत्र		कालम 3 में से जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस	
		वर्ष 1975 में	आज तक	1975 में	आज तक
1	2	3	4	5	6
1975	87	34	49 (15 अतिरिक्त)	2	12 (10 अतिरिक्त)
1976	76	23	33 (10 अतिरिक्त)	3	4 (1 अतिरिक्त)

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड (ई० टी० टी० डी० सी०), तथा कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम (सी० एम० सी०) नामक सार्वजनिक क्षेत्र के दो निगम हैं। अब तक इन दोनों निगमों में क्रमशः 70 लाख रुपये (35 लाख रु० साम्या पूंजी (ईक्विटी) के रूप में तथा शेष ऋण के रूप में) तथा 53 लाख रूपये (26.50 लाख रुपये साम्या पूंजी (इक्विटी) के रूप में तथा शेष ऋण के रूप में) का पूंजी-निवेश किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम ने अपना कार्य अक्टूबर, 1974 में आरंभ किया और इसने वर्ष 1974-75 में 7.43 लाख रुपये तथा वर्ष 1975-76 में 4.17 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया। जहां तक कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम का संबंध है, इसने अपना कामकाज चालू वर्ष में ही अर्थात् वर्ष 1977-78 में आरंभ किया है।

सम्बलपुर उड़ीसा में टेलीविजन केन्द्र

4993. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सम्बलपुर, उड़ीसा में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ख) इस बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इसके चालू होने की संभावित तारीख क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) भवन निर्माण कार्य मुकम्मल हो चुका है और मस्तूल (मास्ट) लगा दिया गया है। अब उपकरण लगाने का काम चल रहा है।

(ग) उम्मीद है यह इस वर्ष के अंत से पहले चालू हो जायेगा।

बदरपुर तापीय विद्युत परियोजना पर व्यय की गई धनराशि

4994. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बदरपुर तापीय विद्युत परियोजना में बिजली उत्पादन के लिये चरण-वार कितनी-कितनी क्षमता बनाई गई है और उस पर कितनी राशि व्यय की गई है तथा प्रत्येक चरण के चालू होने में कितना समय लगा है; और

(ख) क्या अतिरिक्त क्षमता बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस पर आने वाली लागत तथा इसमें लगने वाले समय सहित उनका पूर्ण विवरण क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) बदरपुर ताप-विद्युत परियोजना के चरण-एक में 100-100 मेगावाट की तीन यूनिटें हैं। परियोजना के इस चरण की संशोधित अनुमानित लागत 59.87 करोड़ रुपए है। जून 1977 के अन्त तक, 59.66 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। प्रथम चरण के प्रारंभिक सिविल निर्माण कार्य 1968 के शुरू में आरंभ किए गए थे और मुख्य सिविल निर्माण कार्य 1969 की पहली तिमाही में शुरू किए गए थे। 100-100 मेगावाट की पहली, दूसरी और तीसरी यूनिटें क्रमशः जुलाई, 1973, अगस्त, 1974 और मार्च 1975 में चालू की गयी थी।

परियोजना के चरण दो में 66.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 210 मेगावाट की एक यूनिट की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना है। इस यूनिट का निर्माण कार्य जून, 1974 में आरंभ किया गया था और आशा है कि यह यूनिट फरवरी, 1978 तक चालू हो जाएगा। जून, 1977 तक किया गया व्यय 41.47 करोड़ रुपए है।

चरण तीन में 210 मेगावाट की एक और यूनिट की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना है। इस प्रस्ताव पर 64.19 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और आशा है छठी योजना के मध्य तक यह यूनिट लाभ देने लगेगी।

Preparation of photos by Photo Division During Emergency

4995. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of photos of late President, Sri Fakhruddin Ali Ahmad, Shri Sanjay Gandhi and Smt. Indira Gandhi and the members of their families prepared in the colour unit of Photo Division of the Ministry during emergency;

(b) the objective of printing these photos; and

(c) whether Government have conducted any enquiry into it and if so, the results thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) (a) In all 896 photographs and transparencies were prepared by Photo Division during emergency as mentioned below :

1.	President Shri Fakhruddin Ali Ahmed	146
2.	Begum Abida Ahmad	40
3.	Smt. Indira Gandhi	593
4.	Smt. Indira Gandhi's family	104
5.	Shri Sanjay Gandhi	13

(b) The Photo Division functions as a servicing Department for various official agencies. These photographs were prepared to meet the publicity requirement as well as in response to the indents of various official agencies.

(c) As these photographs were prepared on specific requests from official agencies, no enquiry appears necessary.

Production and Demand of H.M.T. Watches

4996. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :**

Shri G.Y. Krishnan :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the annual production of H.M.T. watches of differentvarieties and the country's demand and the comparative figures thereof. for the last three years;

(b) the number of each variety of watches exported during the above period and foreign exchange earned thereby;

(c) the number and make of new watches proposed to be manufactured; and

(d) their demand in foreign countries and if so, in which countries ?

The Minister of Industry (Shri Jeorge Fernandes) : (a) The production of HMT's wrist watches during the last three years is as follows :

Year	Hand wound watches	Automatic	Total
1974-75	391616	59600	451216
1975-76	513815	114125	627940
1976-77	1020220	144320	1164540

While it has not been possible to provide firm estimates of demand for the above mentioned period, there is a large gap between demand and indigenous availability. The current demands is estimated at 5 million watches per annum. To meet the large gap between the demand and the present level of production, creation of new capacity and expansion of existing capacity has been promoted.

(b) Year	Hand-wound watches	Automatic	Total No.	Total Value (Rs.)
1974-75 . . .	7891	877	8768	12 Lakhs
1975-76 . . .	12911	630	13541	19 ,,
1976-77	17115	805	17920	31 ,,

Value also represents the Rupees equivalent of foreign exchange earned.

(c) Handwound watches 1925000
Automatic 200000
Imported complete watches to augment availability of watches from HMT 824000
Total 2949000

(d) The major demand for HMT watches is from Bhutan. Australia, Dubai, USA, Canada, Egypt and Hong Kong.

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म द्वारा कमीशन एजेन्टों की नियुक्ति

4997. **श्रीमती मृणाल गरे** :
श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या **उद्योगमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड अपने उत्पाद नियुक्त एजेन्टों के माध्यम से बेचती रही है;

(ख) एजेण्टों को कुल कितनी वार्षिक कमीशन अदा की गई;

(ग) अपने उत्पाद सीधे बेचने के बजाये एजेण्टों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार एजेन्टों को तत्काल समाप्त करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) : (क), (ग) और (घ) प्रारम्भिक अवस्था में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स अपने निर्माण संबंधी क्रिया कलापों पर ध्यान केन्द्रित किए हुए था, इसलिए उसे अपने उत्पादों का वितरण करने की व्यवस्था गैर-सरकारी एजेन्सियों के द्वारा करनी पड़ती थी जिन्हें आवश्यक विपणन संबंधी विशेषज्ञता प्राप्त थी। फिर भी कम्पनी स्वयं अपनी विपणन व्यवस्था करने और बिक्री संगठनों का विकास करने के लिए सदैव प्रयन्तनशील रही है ताकि अन्ततोगत्वा कम्पनी अपने सभी उत्पादों के लिए प्रत्यक्ष वितरण व्यवस्था कर सके। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति (1973-74) ने भी कम्पनी के कार्य संचालन के बारे में अपनी 55वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि कम्पनी को उस समय चल रही व्यवस्था जो जून 1975 तक लागू थी के समाप्त होने पर अपनी उत्पादों का सीधा वितरण करने की सम्भावनाओं पर विचार करना चाहिए। चूंकि कम्पनी सीधा वितरण तत्काल अपने हाथ में लेने के लिए पूर्णरूपेण सम्बद्ध नहीं थी, इसलिए इसके द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग को फिल्मों की और सरकारी विभागों, प्रतिरक्षा सेवाओं और चुने हुए अस्पतालों को एक्सरे फिल्मों की सीधे सप्लाई करने की शुरूआत जनवरी, 1976 से की गई। इसमे समस्त सिने उत्पादों का सीधा वितरण 1 अक्तूबर, 1977 से करने तथा शेष उत्पादों जैसे चिकित्सा एक्स-रे फिल्में, अमेच्योर रोल फिल्मों, फोटोग्राफी, कागज आदि का 1 जुलाई, 1978 से अपने हाथ में ले लेने का भी निर्णय किया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में वितरकों को भुगतान किये गये कमीशन की कुल राशि निम्न प्रकार है :—

1974-75	1.11 करोड़ रुपये
1975-76	1.89 करोड़ रुपये
1976-77	2.27 करोड़ रुपये

Closure of Morton Toffee Factory Madhora (Bihar)

4998. **Shri Lalu Prasad** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Morton Toffee Factory in Madhora (Bihar) has been closed by the management for the last one year and if so, the time by which one thousand workers would be paid compensation;

(b) whether this factory has been closed as a result of the mismanagement;

(c) whether the balance sheet of this factory has also not been submitted; and

(d) the time by which steps would be taken by Government to recommission the factory ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of House.

आगरा में जूते बनाने वाले कारखानों का बन्द होना

4999. **श्री यादवेन्द्र दत्त** :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में जूते बनाने वाले बड़ी संख्या में घरेलू कारखाने और छोटे कारखाने बंद हो गये जिससे 50,000 व्यक्ति बेरोज़गार हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों को पुन: चालू कराने और 50,000 मजदूरों को बेरोजगारी, से बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) भारत सरकार के (बीमा और बैंकिंग विभाग) की 9 मई, 1977 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप लघु एककों द्वारा बड़े उत्पादकों के लिए उनका ब्रैण्ड नाम लगाकर बनाए गए जूते इस प्रकार के बड़े उत्पादकों द्वारा बनाए गए मान लिए जाते थे। परिणामत: ऐसे लघु एककों पर उत्पादन शुल्क लगाया गया और उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किन्तु बेकार हुए व्यक्तियों के आंकड़े 50,000 बताया जाना बहुत अधिक संख्या का बताया जाना है।

(ख) इन जूतों पर उत्पादन शुल्क बड़े उत्पादकों द्वारा अदा किया जाये न कि लघु एककों द्वारा। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश हाल ही में जारी कर दिए गए हैं।

Charges Against a District Magistrate in Rajasthan

5000. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a district magistrate of IAS cadre was held in Rajasthan in 1972 on charge of corruption;

(b) whether it is also a fact that after the anti-corruption department of Rajasthan had launched an enquiry into this case and the Vigilance Commissioner of Rajasthan had corroborated the enquiry report, the permission of the Central Government was sought to challan that district magistrate; and

(c) whether it is also a fact that the Central Government had not accorded permission to challan him ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) & (b) In April, 1973 the Government of Rajasthan sent a proposal to the Central Government for sanctioning the prosecution of a District Magistrate of IAS cadre, in a case investigated by the State Anti-corruption Department.

(c) In accordance with the usual procedure followed in such cases, the Central Vigilance Commission was consulted. On the facts and circumstances of the case, the Central Vigilance Commission advised against sanctioning the prosecution of this officer. This advice was also in conformity with the legal opinion of the State Law Department. Accepting the advice of the Central Vigilance Commission, the Central Government did not accord sanction for prosecution in this case, and the State Government was advised to consider drawing up departmental disciplinary proceedings against the officer, which. it is gathered from the State Government, has been done.

Foundation Stones for Construction Works laid down by Former Prime Minister

5001. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the number and names of the construction works in respect of which the former Prime Minister Smt. Indira Gandhi laid foundation stones but where construction had not been started by 31-3-1977;

(b) the dates on which these foundation stones were laid and the total expenditure incurred by the Central or the State Governments in this connection : and

(c) whether necessary approvals had been taken and formalities etc. duly completed before starting these construction works ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) (a) to (c) The required information is being collected and will be placed on the Table of the House when received.

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में केरल के तटवर्ती रेत से तैयार इंधन के प्रयोग के लिये नया लघु न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में अनुसंधान कार्य

5002. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र एक ऐसे लघु 'न्यूक्लियर रिएक्टर' को बनाने के बारे में अनुसंधान कर रहा है, जिसमें केरल की तटवर्ती रेत से तैयार एक नए प्रकार के इंधन को काम में लाया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह अनुसंधान अब किस चरण में है और ऐसे 'रिएक्टर' के कब तक बन जाने और देश में प्रयुक्त किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) ट्रॉम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, एक लघु अनुसंधान रिएक्टर का अभिकल्पन कर रहा है, जिसमें नई किस्म के ईंधन यूरेनियम-233 का प्रयोग होगा। यूरेनियम-233 का उत्पादन, न्यूक्लीय रिएक्टर के क्रोड में थोरियम की छड़ों को एक ऊंचे न्यूट्रॉन फ्लक्स के प्रभाव में रखकर, किया जाता है। यूरेनियम-233 'ब्रीड' का रासायनिक पृथक्करण ईंधन पुनर्समाधन संयंत्र में किया जाता है और उसको दोबारा ईंधन तत्वों के रूप में लाना, देश में उपलब्ध थोरियम के विपुल भंडारों के उपयोग की दिशा में, एक महत्वपूर्ण कदम है। फास्ट ब्रीडर टैक्ट रिएक्टर का, जिसमें युरेनियम-233 को और बड़ी मात्रा में उत्पन्न करने का प्रस्ताव है, कलपक्कम में निर्माण किया जा रहा है।

स्वर्गीय रास बिहारी बोस की स्मृति में स्मारक

5003. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस सरकार ने लोक सभा में यह आश्वासन दिया था कि वर्ष 1914 के महायुद्ध के दौरान हुए उत्तर भारत के महान क्रांतिकारी नेता और बाद में दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान साऊथ ईस्ट एशिया में भारतीय स्वाधीनता लीग के नेता स्वर्गीय रास बिहारी बोस की स्मृति को सम्मानित करने के लिये उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे;

(ख) क्या सरकार ने लोक सभा को आश्वासन दिया था कि चान्दनी चौक स्थित उस भवन का अधिग्रहण करने के लिये कदम उठाये जायेंगे जहां से रास बिहारी बोस ने वर्ष 1912 में लार्ड हार्डिंग के विरुद्ध बम फेंका था जिन दिनों कलकत्ता की बजाये दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली के चान्दनी चौक क्षेत्र में रास बिहारी बोस की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिये क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जायेंगे?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) पुरानी दिल्ली में स्थित उस भवन तथा स्थान जहां से स्वर्गीय श्री रास बिहारी बोस ने लार्ड हार्डिग पर बम फेंका था के अधिग्रहण के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन के परामर्श से विचार किया गया है। भवनों का अधिग्रहण न करने का निर्णय किया गया है, परन्तु दिल्ली प्रशासन का सुझाव स्वीकार कर लिया गया है कि जिस स्थान से बम फेंका गया था उसके पास उपयुक्त स्थान पर एक उचित फलक लगा दिया जाए।

थाना शम्भूगंज के पठाड़ा गांव में हरिजनों पर अत्याचार

5004. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के भागलपुर जिले में शम्भूगंज थाने के पठाड़ा गांव के जमीनदार 19 जून, 1977 को बन्धक मजदूरों के रूप में काम करने से इन्कार करने पर महिलाओं सहित लगभग 40 हरिजनों को जबरदस्ती बाहर निकालकर एक स्कूल की इमारत में ले गये थे और एक कमरे में, जिसका ताला बन्द कर दिया गया था, बेरहमी से पीटा था जिससे उनको गम्भीर चोटें आई थीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और सरकार ने अग्रेतर क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) : बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 19 जून, 1977 को भागलपुर में थाना अमरपुर के अन्तर्गत गांव पथाड़ा के लगभग 20-25 भूमिपति हरिजन टोली में गये और हरिजन मजदूरों से अपने खेतों में काम करने के वास्ते आने के लिए कहा। मजदूरों ने इससे पूर्व काम बन्द कर दिया था क्योंकि उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही थी। फिर भी जब हरिजनों ने काम पर आने के लिए मना कर दिया जब तक उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती तो जमींदारों ने हरिजनों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और उन्हे उनके घरों से खींच कर बाहर निकाल लिया। उन्होंने उनमें से कुछ को रस्सियों से बांध दिया, गांव में घुमाया और जबरदस्ती स्थानीय मिडिल स्कूल में ले गये जहां उन्हें रोका गया और पीटा गया। पांच महिलाओं समेत 11 हरिजन पिटाई के परिणामस्वरूप जख्मी हुये। जिला मैजिस्ट्रेट को घटना की सूचना 22-6-1977 को उपाध्यक्ष, किसान सभा भागलपुर द्वारा दी गई और वे, दो अधिकारियों द्वारा प्राथमिक जांच कराने के बाद, भागलपुर के पुलिस अधीक्षक और भागलपुर के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ घटना-स्थल पर गये। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने देखा कि हरिजनों को निर्दयतापूर्वक पीटा गया है। यह भी पाया गया कि हरिजनों की कुछ वस्तुएं भूमिपति ले गये हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143/341/364/307/324/452/323 तथा 120(बी) के अधीन 24-6-1977 को थाना अमरपुर में एक मामला दर्ज किया गया था। एफ० आइ० आर० में लिखाए गये 22 व्यक्तियों में से 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसपर्पण कर दिया है। शेष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कुर्की के वारन्ट प्राप्त कर लिये गये हैं। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। पुलिस उप महानिरीक्षक (हरिजन सैल) और पुलिस सहायक अधीक्षक बांका ने भी घटनास्थल का दौरा किया है।

2. 11 जख्मी व्यक्तियों से 3 बांका अस्पताल में भर्ती किये गये थे, किन्तु अब उनकी छुट्टी कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने चिकित्सा खर्च के लिये प्रत्येक जख्मी व्यक्ति को 100-100 रुपये स्वीकृत किये हैं। गांव के सभी हरिजनों को दो-दो सप्ताह का राशन दिया गया है। एक मजिस्ट्रेट और पुलिस दल का विधि व व्यवस्था बनाये रखने और हरिजनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए गांव में तैनात किया गया है। थाना अमरपुर के कार्य प्रभारी अधिकारी का तबादला कर दिया गया है तथा मुअत्तल कर दिया गया है। फलितुमर बाहय चौकी के सहायक उप निरीक्षक को भी मुअत्तल कर दिया गया है। उन दोनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।

ट्रैक्टरों का विपणन

5005. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में जेटर ट्रैक्टरों की बिक्री के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने किस प्रकार की विपणन व्यवस्था की है और इस प्रयोजन के लिए कितना वार्षिक व्यय हुआ;

(ख) इन ट्रैक्टरों की बिक्री के लिए विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार का विपणन संगठन बनाया गया है; और

(ग) क्या इस ट्रैक्टर की किस्म और कार्य-निष्पादन घटिया होने के बारे में हाल ही के दिनों में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) : गत तीन वर्षों और इससे अधिक समय से हिमटू विभिन्न राज्यों में राज्य कृषि उद्योग निगमों जो कि 20-3-77 तक केवल उसी के विक्रेता थे के माध्यम से अपने ट्रैक्टरों का विपणन करता रहा है। 21-3-77 के बाद विपणन के लिए दुकानें मुख्य रूप से उत्तरी क्षेत्र में राज्य कृषि उद्योग निगमों के अलावा विक्रेताओं की नियुक्ति करके दी गई हैं। गत तीन र्षों में हिमटू द्वारा विपणन पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यय
1974-75	37 लाख रुपये
1975-76	34 लाख रुपये
1976-77	32 लाख रुपये

(ग) जी, हां, । इंजन के कुछ पर्जों और ट्रांसमिशन प्रणाली में खराबी होने के बारे में शिकायतें मुख्य रूप से उन ट्रेक्टरों के बारे में थीं जिनमें आयातित पुर्जे लगे हुए थे । उत्पादन स्तर पर क्वालिटी कंट्रोल में सुधार करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के अलग-अलग एककों द्वारा बनाए जा रहे ट्रैक्टरों के आकस्मिक रूप से नमूने लिए जाएं और बुढ़नी के ट्रैक्टर प्रशिक्षण एव परीक्षण केन्द्र में आवश्यक परीक्षण किये जायें।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति

5006. **श्री के० मालन्ना** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में 15 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने वाले कितने क्लर्क हैं;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में 15 वर्ष से अधिक की सेवावधि पूरे करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के मैट्रिक पास कर्मचारियों को कुछ अवधि के बाद तृतीय श्रेणी (क्लर्क) में पदोन्नत करने के मामलों पर विचार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) चूंकि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा को वर्ष 1962 में विकेन्द्रीकृत किया गया था और संवर्गों को सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित किया जाता है, इसलिए ऐसे क्लर्कों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने 15 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कोई पृथक सेवा नहीं है । प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार अपनी भर्ती स्वयं करते हैं । इसलिए ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने 15 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है ।

(ग) तथा (घ) एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति तभी दी जा सकती है, जबकि दो ग्रेडों के कार्यों के स्वरूप में कोई सम्बन्ध हो । क्लर्कों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्गों के कार्यों में कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके बावजूद भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जीवन में उन्नति के अवसर प्रदान किए जाने की दृष्टि से उनके लिए केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में 10 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं । इस कोटे की रिक्तियां अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाती हैं, जो केन्द्रीय सचिवालय के उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सीमित है जो मैट्रिक पास हैं और जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कम से कम पांच वर्षों की अनुमोदित तथा लगातार सेवा की है और 45 वर्ष की आयु से अधिक के नहीं हैं। कर्मचारी पक्ष द्वारा ऐसी नियुक्तियों को पदोन्नति माने जाने की मांग की गई थी । यह मामला संयुक्त परामर्श तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद् की एक समिति के सामने है ।

Development Centres in Backward Districts

5007. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Central Government has prepared a scheme to set up one development centre in each backward district;

(b) whether Bihar Government has also sought assistance from the Central Government for any such scheme; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

बिजली घरों के अनुरक्षण की बिगड़ती हुई स्थिति

5008. **श्री किशोर लाल**: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों में बिजली का उत्पादन कम हो गया है;

(ख) क्या इसका कारण श्रमिकों में बढ़ते हुए असन्तोष हैं और इसके परिणामस्वरूप बिजलीघरों के अनुरक्षण की बिगड़ती हुई स्थिति है; और

(ग) इसे सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) इस वर्ष अप्रैल, मई तथा जून के महीनों में अखिल भारतीय विद्युत उत्पादन क्रमशः 7315, 7314 तथा 7108 मिलियन यूनिट रहा। इसकी तुलना में जनवरी, फरवरी तथा मार्च के पहले तीन महीनों में यह उत्पादन क्रमशः 7824, 7266 तथा 8141 मिलियन यूनिट था। अप्रैल से जून तक की अवधि के दौरान हुआ कुल विद्युत उत्पादन जनवरी से मार्च की अवधि में हुए कुल विद्युत उत्पादन की अपेक्षा कम रहा है।

(ख) विद्युत केन्द्रों, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों के कर्मचारियों में, असन्तोष के समाचार मिले हैं। कुछ समय के लिए बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के कर्मचारियों में भी कुछ असन्तोष था। तथापि पिछले तीन महीनों के दौरान विद्युत उत्पादन में हुई कमी पूर्णतया कर्मचारियों में असन्तोष के कारण ही नहीं हुई, क्योंकि विद्युत उत्पादन में कमी अनेक अन्य कारणों से भी हुई थी जैसे मानसून के शुरू हो जाने से प्रणालियों की मांग कम होती जा रही है, पिछले वर्ष मानसून के दौरान अन्तर्वाह कम होने के कारण जलाशयों में जल स्तर नीचा रहने के कारण जल विद्युत केन्द्रों से कम उत्पादन होना तथा ताप विद्युत संयंत्रों में बन्दी।

(ग) जब कभी कर्मचारियों में असन्तोष की सूचना मिली है, सम्बन्धित राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि विवाद के मसलों को आपस में सन्तोषजनक ढंग से हल करने के लिए वे कामगारों की यूनियनों के साथ उनकी मांगों पर द्विपक्षीय वार्ताएं करें। ताप विद्युत केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से ताप विद्युत यूनिटों के प्रचालन और अनुरक्षण में सुधार करने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जहां तक जल विद्युत केन्द्रों का सम्बन्ध है मानसून के शुरू हो जाने से जल विद्युत जलाशय भर रहे हैं और इन केन्द्रों से विद्युत उत्पादन बढ़ जाने की सम्भावना है।

मे० ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

5009. **मिस आभा मैती**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मै० ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि०, कलकत्ता के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध बी०बी०जे० श्रमिक संघ से सरकार को अत्याचार, ज्यादतियों, अनुचित श्रमिक कार्यवाहियों और श्रमिक संघ के नेताओं को सताये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आरोपों के बारे में कोई जांच की जा रही है;

(ग) क्या ब्रेथवेट बर्न एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि० अब भी वित्तीय संकट से प्रभावित है;

(घ) यदि हां, तो इसके आर्थिक पुनर्वास और वित्त-व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार ने पहले इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने, पर्याप्त वित्तीय सहायता देने और इसकी पूंजी तथा प्रबन्ध का पुनर्गठन करने का वचन दिया था; और यदि हां, तो इन वचनों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) जी, हां । इन शिकायतों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और यह पाया गया है कि प्रबन्धक और प्रमुख कार्यकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप अप्रमाणिक हैं ।

(ग) और (घ) जी, हां । मै० ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड मुख्य रूप से एक निर्माण और इंजीनियरी निर्माण परियोजनाओं के लिए निविदा सूचनाओं पर ठेके के लिए बोली लगाने वाला संगठन है । इसकी सेवाओं की मांग में हाल ही में काफ़ी परिवर्तन हो गया है इसका कारण विशेष रूप से रेल पुलों के निर्माण की गुंजाइश का कम हो जाना है । सरकार इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कदम उठा रही है कि इस कम्पनी की जीव्यता बनी रहे । कम्पनी व्यय में बचत करने के लिए भी उपाय कर रही है ।

(ङ) सरकार ने इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई वचन नहीं दिया था । फिर भी, सरकार का विचार यह है कि भविष्य में इसकी जीव्यता को बनाए रखने के लिए इस कम्पनी के लिए एक सन्तोषजनक दीर्घकालिक वित्त व्यवस्था करने की ज़रूरत है । कम्पनी से कहा गया है कि वह अपनी पुनः जीव्यता प्रदान करने के बारे में एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करे और इन प्रस्तावों में अन्य बातों के अलावा आवश्यक वित्तीय सहायता और इसके पूंजी और प्रबन्ध ढांचे में आवश्यक परिवर्तनों का उल्लेख शामिल होगा ।

Miracles by Godmen

5010. **Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that persons professing themselves as incarnation of God are collecting money from people of the country on the basis of performing miracles ;

(b) if so, whether Government propose to appoint an inquiry committee to inquire into the miracles performed by them and find out the truth so as to save illiterate and innocent people of the country from exploitation; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a), (b) & (c) Apart from newspaper reports, the Government have no information in this regard. However, if specific offences like cheating, extortion etc., are involved, there are provisions in Law to deal with them. There is no proposal under the consideration of the Government to appoint an Enquiry Committee to inquire into miracles performed by persons professing themselves as incarnation of God.

मैसर्स शार्प-एज लिमिटेड

5011. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स शार्पएज लिमिटेड सरकार की नीति का उल्लंघन करके अपने स्टेनलैस इस्पात के ब्लेडों के लिए विदेशी ब्रांड का नाम 'इरेसमिक' का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सहयोग की अनुमति इस शर्त पर देती है कि विदेशी सहयोगकर्ताओं या किसी अन्य विदेशी कम्पनी से सम्बद्ध ब्रांड व्यापारिक नाम किसी भी भारतीय कम्पनी द्वारा प्रयोग में नहीं लाये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए मैसर्स शार्पएज लिमिटेड के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री. जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (घ) मैं० शार्पएज रेज़र ब्लेडों का उत्पादन करने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास जनवरी, 1970 से पंजीकृत है । व्यापार चिन्ह 'इरेस्मिक' के रजिस्टर्ड उपभोक्ता के रूप में भी मैं० शार्पएज का जुलाई, 1967 में पंजीकरण किया गया था जो फरवरी, 1978 तक वैध है । वे इस नाम का उपयोग अपने द्वारा देशी जानकारी से उत्पादित ब्लेडों पर करते रहे हैं ।

उन्हें स्टेनलेस स्टील रेज़र ब्लेडों का उत्पादन करने के लिए फ्रांस की मैसर्स थिबाद गिब्स के साथ विदेशी तकनीकी सहयोग के लिए जून, 1973 में स्वीकृति दी गई थी । स्वीकृति पत्र में यह दिया गया है कि साधारणतया विदेशी ब्रांड नामों का देश के भीतर बिक्री के उत्पादनों पर उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी यद्यपि निर्यात उत्पादों पर उनका इस्तेमाल करने पर ऐतराज नहीं है । विदेशी सहयोग के लिए आवेदन करते समय भी उन्होंने उल्लेख किया था कि अपने उस समय विद्यमान उत्पाद के लिए वे विदेशी ब्राण्ड नाम 'इरेस्मिक' का उपयोग करते आ रहे हैं । चूंकि यह नाम सहयोग-कर्ता का नहीं है । अतः सरकार इसके लिए कोई ऐतराज नहीं कर सकती ।

Nomadic Communities

5012. **Shri Surendra Bikram** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of nomadic communities in India;

(b) whether Government propose to settle them permanently; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Indians Characterised as Pakistanis in Jails

5013. **Shri Narsingh Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian citizens (Muslims, Bengalis, Sindhis) who were treated as Pakistanis and imprisoned in various jails in the country after the 1971 Indo-Pak War indicating the number of years for which they are in jails ;

(b) the number of such persons in whose cases hearing has started and the number of those who have been kept in detention; and

(c) whether Government propose to release the innocent citizens as early as possible ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a), (b) & (c) Government are not aware of any Indian citizen having been treated as Pakistani and imprisoned in jail. If any such case comes to notice, suitable action will be taken.

मारुति लिमिटेड के चेयरमैन का साउथ इंडिया स्टील एण्ड सुगर्स लिमिटेड के साथ सम्बन्ध

5014. **श्री वेणुगोपाल गोंडर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड के चेयरमैन का साउथ इण्डिया स्टील एण्ड सुगर लिमिटेड मुण्डियम-पक्कम, साउथ आर्काट जिला के साथ सम्बन्ध है;

(ख) यदि हां, तो किस हैसियत से;

(ग) क्या यह सच है कि विदेशी बैंकों / कम्पनियों में पूंजी निवेश के बारे में श्री संजय गांधी को उसके द्वारा लिखे गये एक अभिशंसी दस्तावेज़ का पता लगा था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् । श्री एम० ए० चिदाम्बरम ने 15 मई, 1977 से मैसर्स मारुति लिमिटेड के निदेशक तथा अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया है ।

(ख) श्री चिदाम्बरम मैसर्स साउथ इण्डिया स्टील एण्ड शुगर लिमिटेड, मुंडीमपक्काम, साउथ अर्काट डिस्ट्रीक्ट के भी अध्यक्ष हैं ।

(ग) मारुति परिसर की तलाशी के दौरान विदेशी बैंक/कम्पनी में पूंजी निवेश के सम्बन्ध में संजय गांधी को श्री चिदाम्बरम द्वारा कोई अभिशंसी दस्तावेज़ नहीं लिखा गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अध्यमनकोट्टाई से होसूर मेजर जिले तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदला जाना

5015. **श्री पी० बी० पेरियासामी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार अध्यमनकोट्टाई से होसूर मेजर जिले के बीच सड़क पर भारी यातायात को देखते हुए उसे राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जी नहीं, हमें तमिलनाडु सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही कोई ऐसा प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

Assistance to Dependents of Ministers who die in Harness

5016. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government provide residential accommodation and financial assistanc to the dependents of the Ministers and the Prime Minister who die in harness;

(b) if so, the names of such dependents who are receiving assistance indicating amount thereof;

(c) whether the dependents of late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri also get this assistance;

(d) if so, the amount and the nature thereof; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) to e) Government have sanctioned grant of pension and residential accommodation in two such cases. These are :—

1. A life pension of Rs. 15,000 per annum was sanctioned with effect from 11-1-1966 to the widow of late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, in addition to the following facilities :—

(i) the allotment of suitable residential accommodation from the general pool at Delhi/New Delhi rent being charged under FR 45-A or at 10 per cent of the pension whichever is less, and

(ii) the extension of medical treatment facilities under the Central Government Health Scheme to Smt. Lalitha Shastri and her family.

2. The widow of late Minister of Railways, Shri L.N. Mishra was sanctioned with effect from 4-1-1975 ex-gratia life pension of Rs. 1,000 per month and also a suitable residential accommodation from the general pool at Delhi/New Delhi on rent being charged under FR 45-A or at 10% of the pension whichever is less.

मेघालय के ठेकेदारों के साथ अन्याय

5017. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेघालय के उन अनेक छोटे ठेकेदारों के साथ किए गए गम्भीर अन्याय की जानकारी है जिनसे वर्ष 1971 में श्रमिकों के आवास के लिए अस्थायी शैड बनवाए गए थे, परन्तु जिन्हें भुगतान बिल्कुल नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले की जांच करके उन्हें भुगतान कराने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) यदि इस प्रकार के विशिष्ट मामलों को पूरे विवरणों सहित भेज दिया जाय तो सरकार उन पर पूरा विचार करेगी ।

ग्रामीण बिजली सहकारी समितियां

5018. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही ग्रामीण बिजली सहकारी समितियों की कुल संख्या कितनी है और उनकी राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) क्या वे सफ़लतापूर्वक चल रहीं हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामाचन्द्रन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त-पोषित दस ग्राम बिजली सहकारी समितियां इस समय कार्य कर रही हैं । बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में एक-एक समिति तथा आन्ध्र प्रदेश में तीन समितियां हैं ।

(ख) 5 पाइलट ग्राम बिजली सहकारी समितियां 1970 से कार्य कर रही हैं । इन समितियों का कार्य सामान्यतया सन्तोषप्रद रहा है । शेष 5 समितियों ने अपना कार्य हाल ही में शुरू किया है और उन्होंने अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं किया है । अभी उनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनरीक्षित पेंशन

5019. **श्री बलदेव सिंह जसरोटा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1 जनवरी, 1973 के बाद सेवा-निवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पुनरीक्षित पेंशन मंजूर कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो क्या स्वाधीनता के बाद सेवा-निवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसी प्रकार की पेंशन योजना भारत सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है;

(ग) क्या वे सैनिक जिन्हें 1 जनवरी, 1973 को अथवा उसके बाद रिज़र्व शर्तों पर भेजा गया था, 55 रुपये प्रति मास की दर से रिज़र्व सैनिक की पेंशन पा रहे हैं;

(घ) क्या इसी श्रेणी के पेंशन-भोगी व्यक्ति, जो 1 जनवरी, 1973 से पहले सेवा-निवृत्त हो गए थे, अधिक पेंशन, अर्थात् 65 रुपए और 70 रुपये प्रति मास पा रहे हैं;

(ङ) क्या रिज़र्व सैनिकों को न तो 1 जनवरी, 1973 से पहले सेवा-निवृत्त हुए पेंशन-भोगियों के पक्ष में मंजूर की गई तदर्थ राहत का लाभ दिया जाता है और न ही उन पर नई पेंशन संहिता लागू की जाती है जैसा कि अन्य पेंशन-भोगियों के मामले में किया गया है; और

(च) क्या इस असमानता से 1 जनवरी, 1973 को अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त हुए रिज़र्व पेंशन-भोगियों में असन्तोष उत्पन्न हो गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (च) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. 1-4-68 और 1-1-73 से पहले सेवा-निवृत्त रिजर्व में रखे गए पेंशनरों को इस समय क्रमश: कुल 65 रुपए और 70 रुपए प्रति मास मिलते हैं जिसका विवरण इस प्रकार है:—

	जो 1-4-68 से पहले सेवा-निवृत्त हुए	जो 1-4-68 से परन्तु 1-1-73 से पहले सेवा-निवृत्त हुए
	रु० प्रति मास	रु० प्रति मास
(1) पेंशन .	10	15
(2) तदर्थ वृद्धि	15	15
(3) तदर्थ राहत	15	15
(4) आवधिक राहत	25	25
	65	70

2. 1-1-73 को अथवा इसके पश्चात् सेवा-निवृत्त रिजर्व सैनिकों की पेंशन की दरों में संशोधन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था और निर्णय होने तक वे कुल 55 रुपये प्रतिमास पाने के हकदार थे क्योंकि वे उपर्युक्त (3) में दी गई 15 रुपये की तदर्थ राहत पाने के हकदार नहीं थे जो केवल उन पेंशनरों को ही मिलती है जो 1-1-73 से पहले सेवा-निवृत्त हुये हों ।

3. सरकार ने अब रिजर्व वालों की पेंशन को 1-1-73 से 50 रुपये प्रतिमास बढ़ाने का निर्णय किया है । इसके अतिरिक्त, वे इस तारीख के पश्चात्, समय-समय पर सरकार द्वारा मंजूर की जाने वाली आवधिक राहत प्राप्त करेंगे । इस बारे में आवश्यक आदेश शीघ्र ही जारी किए जायेंगे । क्रमश: 1-4-68 और 1-1-73 से पूर्व सेवा-निवृत्त रिजर्व वालों को 65 रुपये प्रतिमास और 70 रुपये प्रतिमास के स्थान पर अब 50 रुपये की इस संशोधित पेंशन तथा राहतों को मिलाकर कुल 75 रुपए प्रतिमास मिलेंगे । इस प्रकार अब तक विद्यमान असमानता दूर हो जाएगी । उन्हें इस प्रकार पेंशन में हुई वृद्धि की बकाया राशि भी मिलेगी ।

रूस से विमानों की खरीद

5020. **श्री सूरज भान** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने रूस से बड़ी संख्या में ए एन 12 विमान खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने और उनमें से कितने इस समय तक चालू स्थिति में हैं;

(ग) क्या उनके लिए पुर्जों और इंजनों की मरम्मत के बारे में कोई समस्या है;

(घ) क्या इन विमानों की सेवा क्षमता इस समय बहुत कम है; और

(ङ) इन विमानों को सेवा योग्य बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ) सरकार ने रूस से कुछ ए एन 12 विमान खरीदे हैं । फालतू कल-पुर्जों और इंजन की मरम्मत के बारे में कोई समस्या नहीं है और विमान का कार्य सन्तोषजनक है । विमान के अनुरक्षण के लिए सामान्य कदम उठाए जा रहे हैं जिनके कारण विमान उपयोगी रहता है ।

कोयले की राष्ट्रीयकरण से पूर्व और उसके बाद की कीमत

5021. **श्री विजय सिंह नाहर** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किये जाने से पूर्व कोयले की क्या कीमत थी और राष्ट्रीयकरण के बाद क्या कीमत है; और

(ख) कोयले की कीमत में कमी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) राष्ट्रीयकरण से पहले कोयले की औसत कीमत 37.42 रुपए प्रति टन थी । 1-4-1974 से 30-6-75 तक की अवधि के दौरान औसत कीमत 47.42 रुपए प्रति टन रही । 1-7-75 से औसत कीमत 64.92 रुपए प्रति टन है ।

(ख) कोयले की कीमतें सरकार द्वारा निवेशों की लागतों जैसे—श्रमिकों की मजदूरी, सामान, उपकरण और ऊपरी खर्चों को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है । कोयला कम्पनियों को यह सलाह दी गई है कि वे खर्चे में अधिकतम किफायत बरतें, उत्पादकता के स्तर को और ऊंचा करें ताकि उत्पादन की लागत कम हो सके ।

किसी जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने की शर्तें

5022. **श्री वी० एस० एलनचेजियन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहायता का हकदार होने के लिये किसी जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने की क्या शर्तें हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में पुपुकोरिया जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो जिले के विकास के लिए दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) केन्द्रीय सहायता का पात्र होने के लिए किसी एक जिले को "पिछड़ा" घोषित करने की कोई स्कीम नहीं है । तथापि, "औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े" चुने हुए जिलों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जाते हैं । अखिल भारतीय आवधिक ऋणदात्री समितियों से रियायती वित्त प्राप्त करने के हकदार होने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले निर्धारित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित मापदण्ड का प्रयोग मार्गदर्शक के रूप में करने की राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को सिफारिश की गई थी।

(1) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल का उत्पादन जो इस बात पर निर्भर हो कि क्या वह जिला खाद्यान्न/नकदी फसल का प्रधान उत्पादक है । (जहां आवश्यकता हो वहां अन्तर-जिला तुलना करने के लिए राज्य सरकार पूर्व निर्धारित आधार पर खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों की आपसी परिवर्तन की दरें नियत कर सकती है) ।

(2) कृषि श्रमिकों और जनसंख्या का अनुपात ।

(3) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सकल) ।

(4) प्रति लाख जनसंख्या में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या या इसकी बजाय प्रति लाख जनसंख्या में पूरक तथा अन्यान्य कार्यकलापों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या ।

(5) बिजली की प्रति व्यक्ति खपत ।

(6) जनसंख्या की तुलना में पक्की सड़कों की लम्बाई या जनसंख्या की तुलना में रेल लाइनों की लम्बाई ।

2. इस आधार पर 247 जिलों को "औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला" चुना गया है । ये जिले रियायती वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं । इन जिलों में लगे हुए उद्योग भी एक विशिष्ट अवधि तक आयकर में कतिपय छूट पाने के हकदार हैं ।

3. इन जिलों में से 101 जिलों/क्षेत्रों को (औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े निर्धारित किए गए प्रत्येक राज्य में 6 जिले/'क्षेत्र' और अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में प्रत्येक में 3 जिले/'क्षेत्र') केन्द्रीय निवेश सहायता स्कीम का पात्र भी चुना गया है । इसके अतिरिक्त, वर्तमान आयात नीति और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत इन चुने हुए जिलों/'क्षेत्रों' के लघु उद्योगों को कच्चे माल और पुर्जों के आयात तथा किराया-खरीद की शर्तों पर मशीनें लेने से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों पर विचार करने में प्राथमिकता दी जाती है ।

4. तमिलनाडु राज्य का पुदुकोटि (पुदुकोट्टाई) जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला चुना जा चुका है और यह रियायती वित्त प्राप्त करने के पात्र हैं । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय निवेश सहायता स्कीम के पात्र चुने गए तमिलनाडु राज्य के 3 "क्षेत्रों" में से एक क्षेत्र में पुदुकोट्टाई जिले के चार तालुके (नामतः पुदुकोट्टाई, तिरुमयम, आलमगुड़ी और कुलातूर तालुके) शामिल हैं ।

"इलेक्ट्रानिक्स लाइसेंसिग एम० एन० सी० एस० बाई० पासिंग कर्ब्स" शीर्षक से समाचार

5023. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या **इलेक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1977 के 'दि इकानॉमिक टाइम्स' नामक समाचारपत्र के प्रथम पृष्ठ पर इसके संवाददाता द्वारा "इलेक्ट्रॉनिक्स लाइसेंसिग एम० एन०सी० एस० बाई०पासिंग कर्ब्स" शीर्षक के अन्तर्गत इस बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि लाइसेंस सम्बन्धी नियमों में गम्भीर कमियां हैं जिनका बहुराष्ट्रीय कंपनियां नाजाइज फायदा उठाती हैं जिससे लघु उद्योग के एककों को हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसे दो मामले सामने आए हैं और इन दोनों मामलों में 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए जा रहे हैं ।

उपग्रह की खरीद

5024. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में एक उपग्रह खरीदने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत कितनी है, उससे क्या प्रयोजन पूरा होने की सम्भावना है और यह किस देश से खरीदने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली के कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी है ।

(ख) परियोजना की कुल लागत का अनुमान 173 करोड़ रुपए लगाया गया है । प्रारम्भ में इस प्रणाली का प्रयोग मुख्यतया दूरसंचार और मौसम-विज्ञान के लिए किया जायेगा । उपग्रह का चयन, लागत और जहां से इसकी खरीद करनी है, को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

गंगा नदी पर पुल

5025. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में इलाहाबाद में गंगा नदी पर एक पुल की आधारशिला रखी थी तथा उसकी अनुमानित लागत 3.75 करोड़ रुपये थी;

(ख) क्या विभाग द्वारा उस पर 31 मार्च, 1970 तक दो करोड़ रुपयों से अधिक का खर्च दिखाया गया है;

(ग) क्या 31 मार्च, 1970 तक पुल के निर्माण के लिए कोई काम आरम्भ नहीं हुआ था और निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ और उस पर 7 करोड़ रुपयों से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी अनियमितताओं की जांच कराने का सरकार का विचार है; और

(ङ) इस पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां, परन्तु इलाहाबाद में गंगा पर दो गली के पुल की नवम्बर, 1964 में स्वीकृत अनुमानित लागत 225.47 लाख रुपये थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दो गली वाले पुल का कार्य मार्च, 1968 में शुरू किया गया । बाद में अप्रैल, 1973 में, पूर्व स्वीकृत दो गली के पुल के स्थान पर चार गली के पुल के निर्माण का निर्णय किया गया और तदनुसार दिसम्बर, 1973 में 651.36 लाख रुपये का संशोधित अनुमान स्वीकृत किया गया । चार गली के पुल का निर्माण कार्य चल रहा है । जून, 1977 तक मुख्य पुल (पहुंच मार्ग रहित) पर 685.04 लाख रुपये का व्यय हुआ है ।

(घ) सरकार के ध्यान में अभी तक कोई अनियमितता नहीं आई है और जांच कराने का प्रश्न नहीं उटता ।

(ङ) पुल की एक दो गली वाली यूनिट को पूरा करके यातायात के लिये दिसम्बर, 1977 तक और सम्पूर्ण चार गली के पुल को दिसम्बर, 1979 तक खोल दिये जाने की सम्भावना है ।

एम० आई० निदेशालय में परीक्षकों की नियुक्ति

5026. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध-बन्दियों सम्बन्धी कार्य के निपटान हेतु 1971-72 में एम० आई० निदेशालय में तदर्थ आधार पर कुछ परीक्षकों तथा सहायक परीक्षकों को नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या उनमें से कुछ व्यक्तियों को उनकी नौकरी की समाप्ति के पश्चात् सेना मुख्यालय में निम्न वर्गों में पुनः नियुक्त किया गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तदर्थ कर्मचारियों को खपाये जाने से नियमित परीक्षकों तथा सहायक परीक्षकों के पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या नियमित कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । इनमें से कुछ व्यक्तियों को उनकी तदर्थ नियुक्ति की समाप्ति पर फालतू कर्मचारियों को कमी वाले प्रतिष्ठानों में लगाने की योजना के अन्तर्गत रक्षा प्रतिष्ठानों के लोअर फार्मेशनों में वैकल्पिक रोजगार दिए गए थे ।

(ग) और (घ) जी, नहीं ।

"पुलिस रफ अप न्यूज़मैन एट सुन्दर केस हिअरिंग शीर्षक समाचार

5027. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई, 1977 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में पुलिस रफ अप न्यूज मैन एक्ट सुन्दर केस हियरिंग (सुन्दर के मुकदमें की सुनवाई के समय पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार) शीर्षक से प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने प्रैस फोटोग्राफरों तथा संवाददाताओं के साथ दुर्व्यवहार किया था जिसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र को धक्का लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) : सरकार ने समाचार देखा है। दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार अभियुक्तों के कुछ नागरिक मित्र, जो सुनवाई के लिए आये हुए थे, ने कुछ फोटोग्राफरों और अभियुक्तों के बीच हस्तक्षेप किया था और पुलिस ने किसी रिपोर्टर के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Educational and Social Welfare Institutions run by Foreign Missionaries

5028. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of those educational and social welfare institutions functioning in the country which are run by foreign missionaries ;

(b) the amount of grant given to these institutions by the Government of India during the last three years, year-wise;

(c) whether it is compulsory for foreign missionar es to seek prior permission of the Government of India for opening such institutions in India; and

(d) whether the Government of India keep watch on the activities of these institutions ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): (a) & (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) & (d) : Reply will be included after information for parts (a) and (b) of the Question has been collected.

विद्युत मूल्य में वृद्धि का कृषि उत्पादन पर प्रभाव

5029. **श्री चौधरी मोतीभाई** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मूल्य में वृद्धि हो गई है जिसका कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्य को कम करने के लिए सरकार तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख): विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के अनुसार बिजली की सप्लाई के लिए राज्य बिजली बोर्ड अपनी-अपनी टैरिफ बनाने के लिए सक्षम है। सामान्यतः कृषि संबधी टैरिफ, अन्य उपभोक्ताओं की दरों से कम रहती है।

Fire in Studios of Doordarshan, Delhi

5030. **Shri Ram Prasad Deshmukh :**

Shri Nawab Singh Chauhan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1302 on 22nd June, 1977 regarding fire in studios of Doordarshan, Delhi and state :

(a) whether A.I.R. in its news bulletin broadcast on the day on which fire broke out in the Delhi Television Centre, announced that the fire was an act of sabotage;

(b) whether the Delhi Police arrested certain innocent persons belonging to RSS and other organisations on suspicion as a result thereof;

(c) whether the then officers of the Television Centre did not refer the case to CBI intentionally ; and

(d) if so, whether Government now propose to entrust this case to CBI for enquiry so that the facts could be ascertained ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani): (a) AIR's announcement *inter alia* said that Police suspected it to be an act of sabotage.

(b) No, Sir.

(c) & (d) No, Sir. On the contrary, on a request from T.V. authorities the case was referred to CBI by Government on 1-9-1975 and 9-9-1975 but CBI declined to undertake the investigation. However the case has been referred to CBI again for a thorough probe.

पुलिस मैडल देना

5031. **श्री रोबिन सेन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस अधिकारियों को पुलिस मैडल देने के लिए सरकार द्वारा क्या मापदंड अपनाया जाता है ;

(ख) क्या पुलिस अधिकारी को उक्त मैडल देने के लिए उस राज्य सरकार की किसी सिफारिश की अपेक्षा होती है जिस राज्य में वह पुलिस अधिकारी मैडल देने के समय काम कर रहा हो ; और

(ग) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री पंचू गोपाल मुखर्जी को, जब वह उप-महानिरीक्षक, बर्दवान रेंज, पश्चिम बंगाल के पद पर काम कर रहे थे, पुलिस मैडल किस आधार पर दिया गया था ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) पुलिस पदक राज्य सरकारों की सिफारिश पर और पदक नियमित करने वाले कानूनों तथा नियमों में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार दिया जाता है।

(ग) श्री पंचू गोपाल मुखर्जी को पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश पर गणतंत्र दिवस 1972 के अवसर पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया था।

रक्षा सेवाओं में भर्ती

5032. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सेनाओं में भर्ती के लिए गोरखा की तुलना में एक डोगरा का कितना कद अपेक्षित है ;

(ख) क्या रक्षा सेवाओं में गोरखा के बराबर ही डोगरा का कद निर्धारित करने के लिए अभ्यावेदन दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) अफसर स्तर से नीचे डोगरा और गोरखाओं की भर्ती के लिए न्यूनतम कद के बारे में स्थिति इस प्रकार है :--

	थल सेना		नौसेना	वायु सेना
	1-5-77 से पहले	1-5-77 से		
डोगरा	162 से०मी०	168 से० मी०	157 से० मी०	152.5 से० मी०
गोरखा	152 से०मी०	158 से० मी०	157 से० मी० 152 से० मी० तक छूट दी जा सकती है।	152.5 से० मी०

डोगरा और गोरखाओं के लिए थल सेना में 1-5-77 से पूर्व क्रमशः 162 से०मी० और 152 से०मी० के प्रचलित पद को संशोधित करके प्रयोगात्मक रूप में छः मास के लिए क्रमशः 168 से० मी० और 158 से० मी० कर दिया है। सेना में भर्ती के लिए कद के निर्धारित स्तर सहित रंगरूटों के शारीरिकि स्तर देश के विभिन्न जातीय ग्रुपों के उपलब्ध रंगरूटों के मानवभीतरी अध्ययन पर आधारित है। भर्ती के लिए उपलब्ध रंगरूटों के संबंध में अभी हाल ही में किए गए अध्ययन के परिणामस्वरूप यह पता चला है कि देश में उपलब्ध रंगरूटों के शारीरिक मानकों में विशेषकर कद में, आम सुधार हुआ है। यही कारण है कि कद में वृद्धि कर दी गई है।

एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि डोगराओं के लिए कद को पहली मई 1977 से पूर्व प्रचलित कद पर ही रखा जाए। इसमें कद को गोरखाओं के बराबर रखने के लिए नहीं कहा गया है। इसके बारे में छः मास के प्रयोगात्मक अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर निर्णय लेने का प्रस्ताव किया गया है।

उड़ीसा के आदिवासी जिलों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें

5033. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने उड़ीसा के आदिवासी जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं को मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं और उनके लिये कितनी योजनाएं मंजूर की गई हैं ;

(ग) वर्ष 1976-77 में उनके लिए कितनी राशि दी गई और वर्ष 1977-78 के लिये कितनी राशि की व्यवस्था करने का विचार है ; और

(घ) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति और क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) उड़ीसा के आदिवासी जिलों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अब तक 28 स्कीमें स्वीकृत की हैं, जो निम्न प्रकार हैं :—

जिले का नाम		स्वीकृत स्कीमों की संख्या
बालासोर	--	1
केओझार	--	4
कोरापट	--	13
सून्दरगढ़	--	2
मयूरभंज	--	5
फूलबनी	--	3

जोड़	--	28

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें, शुरू होने से 5 वर्ष तक की अवधि के अन्दर चरणबद्ध रूप में पूरी की जाती हैं। ऋण किश्तों में दिये जाते हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा उड़ीसा के आदिवासी जिलों के लिए स्वीकृत स्कीमों के लिए 1976-77 के दौरान निगम ने उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को 1.36 करोड़ रुपये दिए हैं।

1977-78 के दौरान 3.11 करोड़ रुपये दिए जाने हैं। इनमें से 52 लाख रुपये दिए जा चुके हैं।

(घ) 31-3-1977 तक इन स्कीमों के अन्तर्गत 761 गांवों में 197 कृषि पम्पसेट ऊर्जित किए गए हैं तथा 50 लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए परियोजना प्रतिवेदन

5034. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए प्रस्ताव अथवा परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों के विकास योजनाओं के लिए वर्ष 1976-77 में कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) राज्य ने वर्ष 1977-78 के लिये अनुसूचित जातियों के लिए क्या योजनायें पेश की हैं।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों के लिये कल्याण योजनायें उड़ीसा के पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पिछले वर्ग क्षेत्र में शामिल की गयी हैं। 1976-77 के दौरान

20.90 लाख रुपये का आवंटन अनुसूचित जातियों के लिये राज्य योजना में कर दिया गया था जिनका खंड अनुदानों तथा खंड ऋणों के आधार पर धन दिया जाता है। 1977-78 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के लिए 19.30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है :—

योजना का नाम	1977-78 वर्ष के लिए आवंटन (रुपये लाख में)	वर्ष 1977-78 के भौतिक लक्ष्य
(1) क्षेत्र विकास योजना भूमि सुधार, कृषि निवेश सहायता	2.25	दो परियोजनाएं जारी रखना तथा एक नई ऐसी योजना शुरू करना
(2) हस्तकलाओं तथा कुटीर उद्योग तथा स्वतः रोजगार योजना के लिए सहायता।	0.65	120 परिवार लाभान्वित होंगे
(3) शार्टहैंड तथा टाइपिंग में प्रशिक्षण सहित औद्योगिक प्रशिक्षण	1.50	300 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित होंगे
(4) छात्रवृत्तियां	9.00	68,50(प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित होंगे
(5) पठन तथा लेखन सामग्री	5.00	
(6) छात्रावास का निर्माण	0.90	6 अधूरे छात्रावासों को पूरा करना
जोड़	19.30	

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, छात्राओं के छात्रावास तथा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को भी अनुदान दिया जाता है।

उड़ीसा के पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु परियोजना प्रतिवेदन

5035. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के अत्यधिक पिछड़ी और प्राचीन जनजातियां, नियामगिरि के दंगानिया कांध्स (बी० कटक) पट्टासिंगी (गुनुपुर) के लंजिया सावारा और मलमानीगिरि के बोंडास के विकास के लिए परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना प्रतिवेदन के लिए उड़ीसा सरकार से प्रतिवेदनों को प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) नियामगिरि के दंगानिया कांधुस, पट्टासिंगी के लंजिया सावारा और मलमानीगिरि के बोंडास के परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकार से इन प्रतिवेदनों को शीघ्र भेजने के लिए कहा गया है।

टेलीविजन सेटों का उत्पादन करने वाले लघु एककों को रियायतें

5036. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रकार के समाचार देखे हैं कि टेलीविजन सेटों का निर्माण करने वाले लघु एकक एक प्रति मास 4000 सैट बना रहे हैं और उनकी बिक्री 10 करोड़ रु० अथवा इसके लगभग है ; और

(ख) क्या इन एककों को छोटे एककों के रूप में कोई रियायतें देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोराजी देसाई) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र के एक निर्माता ने दिसम्बर, 1976 तथा जनवरी, 1977 में प्रति माह 4000 से भी अधिक दूरदर्शन सेटों का उत्पादन किया है।

(ख) सम्बन्धित कारखाना लघु उद्योग के एकक के रूप में पंजीकृत किया गया है; और इस कारखाने को ऐसी कोई रियायत देने का विचार नहीं है जो सामान्यतः लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को उपलब्ध नहीं है।

टेलीविजन उद्योग के लागत ढांचे के बारे में मराठे समिति की सिफारिशें

5037. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन उद्योग के ढांचे के बारे में मराठे समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य को 1800 रुपये से घटाकर 1600 रुपये करने का क्या औचित्य है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां,।

(ख) दूरदर्शन उद्योग पर आने वाली लागत और उसके मूल्य संबंधी ढांचे पर गठित मराठे पैनल ने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्ष 1977–78 में 51 से० मी० आकार के पर्दे वाले सरल एंव प्रयोजनमूलक दूरदर्शन सेटों का उत्पादन 1600 रु० के कारखानागत मूल्य पर किया जा सकता है।

ई० टी० टी० डी० सी० द्वारा पिक्चर ट्यूबों का आयात

5038. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि ई०टी०डी०सी० द्वारा पिक्चर ट्यूबों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है जबकि पिक्चर ट्यूबों का देश में ही उत्पादन हो रहा है; और

(ख) क्या कारण है कि मूल्य ढांचे का समीकरण नहीं किया जा रहा है जिसके कारण पिक्चर ट्यूबों का मूल्य घटाने के प्रयास नहीं हो पा रहे ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) फिलहाल दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की जो मांग है, उसे दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के दो स्वदेशी निर्माता पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मांग और पूर्ति के बीच में जो अन्तर है उसे इलैक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम के माध्यम से पिक्चर ट्यूबों का आयात करके पूरा किया जा रहा है।

(ख) आयात किए गए तथा देश में ही निर्मित किए गए दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के मूल्यों में समीकरण स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इलैक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा आयात किए जा रहे पिक्चर ट्यूबों का मूल्य 375 रु० प्रति पिक्चर ट्यूब के हिसाब से निर्धारित किया गया है (जैसा कि मराठे पैनल ने सिफारिश की है)। निर्माताओं ने देश में बने 51 से०मी० आकार के पिक्चर ट्यूबों की कीमतों को घटाकर 405 रु० कर दिया है।

Payment of first instalment of Compulsory Deposit to workers of Bermo Coalfield

5039. **Shri Ram Das Singh :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Bermo Coalfield workers were paid the amount of first instalment of Compulsory Deposit in October-November, 1976 together with the prescribed twelve and a half per cent interest thereon;

(b) if not, the reasons and justification therefor; and

(c) whether the Management of Bermo Coalfield has deposited with Government the amount deducted from the wages of the workers within the specified time and if not, who will be held responsible for the loss of interest to the workers ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बिहार में जादूगुड़ा यूरेनियम खानों में तालाबन्दी

5040. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** :

श्री के० ए० राजन :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जादूगुड़ा यूरेनियम खानों में तालाबन्दी की घोषणा कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विवाद निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 27 जून (सोमवार) से यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में तालाबन्दी की घोषणा की गई थी, जो कि 4 जुलाई, 1977 (सोमवार) को, सामान्य स्थिति के लौटने पर, समाप्त कर दी गई है।

(ख) यह तालाबन्दी प्रबन्धकों को मजबूरन घोषित करनी पड़ी क्योंकि कार्मिकों के एक दल ने 25 जून, 1977 (शनिवार) को कारपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति हिंसा, डराने-धमकाने, घेराव और हमला करने जैसे कार्यों का सहारा लिया। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं : एक कार्मिक ने,

जो अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण अपने पद का धारणाधिकार खो चुका था, ड्यूटी पर आने के लिए जोर दिया। उससे कहा गया कि वह कर्मचारियों की पालियां निश्चित होने तक प्रतीक्षा करे, जिससे कि उसके मामले में भी निर्णय लिया जा सके। किन्तु, उस कार्मिक ने अन्य दो कार्मिकों के साथ मिलकर खान के अधिकारियों पर हमला किया। जिस कार्मिक को शिकायत थी उसे यह भी आश्वासन दिया गया कि समुचित जांच के बाद उसे नौकरी पर बहाल कर दिया जाएगा। तदुपरान्त कार्मिकों के एक वर्ग ने कारपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला किया और ऐसी चोटें पहुंचाई, जिससे उनके खून बहने लगा; एक अधिकारी बेहोश हो गया तथा उसी समय पर डाक्टरी सहायता भी नहीं मिल सकी। इस प्रकार हम पाते हैं कि कारपोरेशन में किसी भी प्रकार के विवाद के लिए कोई आधार मौजूद नहीं था। कार्मिकों के एक ऐसे प्रतिद्वन्दी वर्ग ने हिंसात्मक कार्यों को भड़काया, जो प्रबन्धकों और मान्यताप्राप्त यूनियन के संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश में है। 4 जुलाई को तालाबन्दी समाप्त की जाने के बाद से कारपोरेशन में सामान्य रूप से कार्य चल रहा है।

Black-Marketeers Arrested

5041. **Shri Mani Ram Bagri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of black-marketeers arrested during the last three years;

(b) the number of such persons out of them from whom black money exceeding rupees five lakhs was seized;

(c) the names and addresses thereof;

(d) the number and names of the persons, out of them, who are political leaders ; and

(e) the details of the action taken by Government in each case ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) to (e) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Certificates for Facilities to Scheduled Tribes Settled in Delhi

5042. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi Administration provides special facilities of scholarship and medical treatment, etc. to only those persons belonging to Scheduled Tribes who are permanent residents of Delhi and for this very reason a large number of persons belonging to Scheduled Castes are getting Scheduled Tribe Certificates and thus they are reducing their number; and

(b) if so, the steps being taken by Government to check this tendency ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) & (b) No Scheduled Tribe has been specified in relation to Delhi. The question of any person belonging to Scheduled Caste getting Scheduled Tribe Certificate in Delhi, therefore does not arise.

Special Facilities to Scheduled Castes People Settled in Delhi

5043. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration is denying special facilities, such as scholarships, medical care etc., to those Scheduled Castes people who have come from Rajasthan and other States and have settled in Delhi permanently for the past 8 to 10 years and as a result there is great discontentment among the people of these casts; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): (a) and (b) According to the information supplied by the Delhi Administration, facilities like medical-care and pre-matric scholarships are provided to persons belonging to Scheduled Castes irrespective of the State to which they belong. Since under the Presidential Orders issued under Article 341 of the Constitution, Scheduled Castes have been specified separately for each State and Union Territory, facilities like post-matric scholarships etc. are given to students who are *bonafide* residents of Delhi and belong to the castes notified as Scheduled Castes for the Union Territory of Delhi.

इडुक्की पन बिजली परियोजना

5044. **श्री के० ए० राजन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के कोयम्बत्तूर जिले में इडुक्की पन बिजली परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इसमें अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है और कितनी पूंजी लगाये जाने का विचार है और परियोजना के पूरा होने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ग) इसकी क्रियान्विति में अब तक क्या बाधायें आई हैं और उन पर किस तरह से काबू पाया गया है अथवा काबू पाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) इडुक्की जल-विद्युत परियोजना केरल में है। चरण एक की 130-130 मेघावाट की तीन उत्पादन यूनिटें 1976 के दौरान चालू की गई थी।

(ख) चरण एक पर 1975–76 के अन्त तक हुआ वास्तविक व्यय 109.12 करोड़ रुपये था और 1976–77 के लिए अनुमानित व्यय 5.88 करोड़ रुपये था। परियोजना के चरण दो को हाथ में लेने का प्रस्ताव केरल प्राधिकरियों का नहीं है क्योंकि इससे ऊर्जा में योगदान नहीं मिलेगा। इडुक्की जल-विद्युत परियोजना चरण-तीन से जो कि एक चालू योजना है, 376 मिलियन यूनिट की वार्षिक ऊर्जा क्षमता का योगदान होने का अनुमान है। लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत पर मार्च, 1979 तक इसके पूरा होने की आशा है।

(ग) चरण तीन के बारे में अभी तक किसी प्रमुख बाधा की सूचना नहीं मिली है।

छठी पंचवर्षीय योजना बनाया जाना

5045. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** :

डा० हैनरी आस्टिन :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवगठित योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना के निर्माण पर चर्चा करने के लिए जुलाई, 1977 को अपनी पहली बैठक आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो वे मुख्य मुद्दे तथा योजनाएं क्या हैं जिन पर अधिक जोर दिया जाएगा, और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप कब दिया जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) : जी हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी। यह निर्णय किया गया है कि कृषि के उत्पादन में पहले की अपेक्षा काफी अधिक ऊंची दर प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी सिंचाई योजना की आवश्यकता होगी। रोजगार उपलब्ध कराने में लघु और कुटीर उद्योगों की अब तक जो भूमिका रही है, उस पर और अधिक बल दिया जाएगा। योजना नीति का मुख्य बल क्षेत्रीय आयोजन के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और क्षेत्रीय विकास स्कीमों के द्वारा अधिकतम रोजगारों की व्यवस्था करने पर होगा। जो आजकल गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे हैं उनमें से पर्याप्त लोगों के लिये योजनावधि में न केवल भोजन, वस्त्र और आश्रय की ही व्यवस्था करनी होगी, बल्कि उनकी बुनियादी सामाजिक सेवाओं से संबंधित आवश्यकताओं के लिए भी व्यावस्था करनी होगी। योजना में आय और संपत्ति की वर्तमान विषमता को कम करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाएगा।

(ग) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यनिष्पादन कार्यक्रम और समय सूची के अनुसार, छठी योजना की रूपरेखा सार्वजनिक विचार विमर्श के लिए मार्च, 1978 तक तैयार हो जाएगी।

Setting up of a permanent TV Centre at Allahabad

5046. **Shrimati Kamla Bahuguna:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert the temporary T.V. Centre set up at Allahabad during the Kumbha Mela into a permanent T.V. Centre in regard to which there was common talk during those days; and

(b) the basis and the criteria followed by the Central Government in regard to setting up new T.V. Centres ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) No, Sir.

(b) The basis and criteria for setting up new TV Centres would be maximum possible coverage of the country consistent with technical feasibility and financial resources.

Retrenchment of Workers of Patakheda Coal Mine

5047. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the number of workers of the Patakheda Coal Mine in Betul district under the Western Coal India Ltd. were removed from service during emergency;

(b) the number of workers who have not been reinstated so far; and

(c) whether Government will issue directions to the company for taking these workers back on job ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) to (c) No regular worker of the Pathakhera coal mine was removed from service during the Emergency. In Pathakhera, as in any other mine, temporary workers are taken from time to time depending upon particular needs and their employment ceases when no longer needed. However, services of 5 regular employees were terminated on charges of mis-conduct proved in inquiry in accordance with the rules. Since these were disciplinary cases, these persons have not been reinstated.

SC and ST Employees in Department of Space

5048. **Shri Ram Vilas Paswan** : Will the Minister of **Space** be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in different categories of posts in the Department of Space; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to fill in the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribe employees in different categories of posts in the Department of Space as on 30-6-1977 are as under :—

	Scheduled Caste	Scheduled Tribe
Group 'A'	4	..
Group 'B' .	7	1
Group 'C' . .	193	25
Grouop 'D' .	252	25
Total	456	51

(b) Orders issued by Government with regard to reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and recruitment thereto will continue to be followed.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in the Ministry

5049. **Shri Ram Vilas Paswan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees working on various categories of posts in the Home Ministry; and

(b) the steps proposed to be taken by Government towards completing the quota reserved for these castes ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) A statement is attached.

(b) Vacancies in Grades belonging to the various organised services, namely, Central Secretariat and All India Services, are filled by central recruiting agencies and reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is ensured by them.

In respect of isolated posts in the Ministry, not belonging to the above organised services, care is taken to ensure that the reserved vacancies are filled in accordance with the prescribed rules.

Statement

The number of employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes working in the various categories of posts in the Ministry of Home Affairs (including the Deptt. of Personnel & Administrative Reforms and the Deptt. of Official Language) is indicated below :—

S. No.	Designation of posts	No. of employees belonging to	
		S.C.	S.T.
1.	Director	1	
2.	Deputy Secretary	1	
3.	Under Secretary	2	..
4.	Section Officer/Desk Officer	11	2
5.	Assistant	43	3
6.	U.D.C.	23	3
7.	L.D.C.	50	1
8.	Stenographer Gr. 'C'	5	
9.	Stenographer Gr. 'D'	4	
10.	Research Officer	1	
11.	Hindi Translator Gr. 1	1	
12.	Hindi Translator Gr. II	2	
13.	Staff Car Driver	2	
14.	Despatch Rider	3	
15.	Draftsman-cum-Artist	1	..
16.	Senior Reception Officer	3	1
17.	Junior Reception Officer	3	..
18.	Peons	47	16
19.	Jamadar	..	1
20.	Daftri/Selection Grade Daftri	5	3
21.	Records Sorter	1	
22.	Junior Gastetner Operator.	1	..
23.	Farash	7	3
24.	Sweeper	31	..
25.	Subedar	1	
26.	Jamadar (SSF)	2	..
27.	Havildar (SSF)	11	2
28.	Sepoy (SSF)	101	14
29.	Followers (SSF)	1	..
30.	Investigator	..	1

SC and ST Employees in Department of Electronics

5050. **Shri Ram Vilas Paswan** : Will the Minister of **Electronics** be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in various categories of posts in the Department of Electronics; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to fill in the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) The number of Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) employees in various categories of posts in the Department of Electronics and the Information Planning & Analysis Group of the Electronics Commission are as follows :

S. No.	Category of posts	SC	ST
1.	Group 'A'	..	..
2.	Group 'B'	3	..
3.	Group 'C'	27	7
4.	Group 'D'	27	3

(b) All reserved posts in Groups 'B', 'C' and 'D' have been filled by SC/ST candidates as per existing orders of Government, except for 6 roster points out of a total of 51 roster points filled till now in Group 'B' posts, 16 roster points out of 223 roster points for Group 'C' posts, and 5 roster points out of 86 roster points for Group 'D' posts, which have been carried forward because suitable SC/ST candidates were not available in the past recruitments. The roster points for reserved vacancies carried forward will be filled by SC/ST candidates in the future recruitments.

SC & ST Employees in Shipping and Transport Ministry

5051. **Shri Ram Vilas Paswan** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are working on the posts of various categories in the Shipping and Transport Ministry and

(b) the steps proposed to be taken by Government to fill in the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) and (b) The following are the numbers of employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are working on the posts of various categories in the Ministry of Shipping & Transport :—

(1) SCHEDULED CASTES

Group 'A'

Under Secretary	2
Director (Design)	1
Assistant Shipping Officer	1
Superintending Engineer	3
Executive Engineer	2
Asstt. Executive Engineer	4

Group 'B'

Technical Officer	1
Assistant Engineer	1
Section Officer	3
Assistant	13
Senior Investigator	3
Senior Draftsman	2
Stenographer	1

Group 'C'

U.D.C.	6
L.D.C.	22
Head Clerk	1
Stenographer	4
Junior Investigator	1
Computer	2
Tracer	1
Despatch Rider	1
Driver	9
Draftsman Grade 'A' (SG)	2
Draftsman Grade 'A'	4
Project Computer	2
Draftsman Grade 'B'	10
Draftsman Grade 'C'	6

Group 'D'

Jamadar	3
Daftry	1
Peon	25
Sweeper	19
Farash-cum-Sweeper	1
Farash	1
TOTAL	158

(2) SCHEDULED TRIBES

Group 'A'

Executive Engineer	1

Group 'B'

NIL

Group 'C'	
L.D.C.	1
Drivers	3
Draftsman Grade 'A'	1
Draftsman Grade 'B'	1
Draftsman Grade 'C'	2
Group 'D'	
Daftry	1
Peon	1
TOTAL	11
GRAND TOTAL	169

2. The following are the steps being taken/proposed to be taken to fill the 15 reserved vacancies at present available, 7 for Scheduled Castes and 8 for Scheduled Tribes candidates, in accordance with the Recruitment Rules :—

Group 'A' *One Assistant Executive Engineer (Civil) reserved for Scheduled Caste candidate*:

This reserved vacancy has been notified to the Union Public Service Commission for being filled through the Combined Engineering Services Examination 1977.

One Assistant Shipping Officer reserved for Scheduled Tribe candidate :

This reserved vacancy has been notified to the U.P.S.C. for being filled by direct recruitment.

Group 'B' *One Senior Investigator reserved for Scheduled Caste candidate :*

This reserved vacancy has been notified to the U.P.S.C. for being filled by direct recruitment.

One Senior Investigator reserved for Scheduled Caste candidate and one Senior Investigator reserved for Scheduled Tribe candidate.

These two reserved vacancies are proposed to be filled by promotion for which eligible Scheduled Caste/Tribe candidates are available and are being considered by the Ministry.

Group 'C' 2 *LDCs reserved for Scheduled Castes and 2 LDCs reserved for Scheduled Tribes candidates :*

These 4 vacancies have been notified to the Department of Personnel and Administrative Reforms for being filled by direct recruitment through the Subordinate Services Commission.

2 *Stenographers reserved for Scheduled Castes, One Stenographer reserved for Scheduled Tribes and* 3 *Project Computers reserved for Scheduled Tribes candidates*:

All these 6 reserved vacancies have been notified to the Employment Exchange but they have not been able to nominate candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Communities. Steps are now being taken to fill these posts by the reserved communities by issuing an open advertisement in the Newspapers through the DAVP and also by making a reference to the organisations of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the prescribed procedure.

वर्ष 1976-77 में आदिवासियों की उप-योजना के लिए नियत धन राशि का उपयोग

5052. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने वर्ष 1976–77 में आदिवासियों के लिए उप-योजना के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता और अपनी राज्य योजना में निर्धारित सम्पूर्ण धनराशि का अपयोग कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा स्वीकृत धनराशि और राज्यों द्वारा नियत राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) मंत्रालय ने उक्त धनराशि का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की है और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ग) उन सभी राज्यों 1976–77 के व्यय के आंकड़े प्राप्त होते ही जिनमें आदिवासी उप-योजनाएं हैं, यह सूचना सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राशि का पूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों से जोर देकर कहा गया है।

सांप्रदायिक दंगों की घटनायें

5053. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 अप्रैल, 1977 से अब तक सांप्रदायिक दंगों की कितनी घटनाएं हुई हैं ;

(ख) इन घटनाओं में जान-माल की : कितनी हानि हुई है ; और

(ग) इन दंगों के क्या कारण हैं और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

(गृह मंत्री श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं तथा यथा समय सदन के पटल पर रख दिये जाएंगे।

केन्द्रीय प्रत्यायन समिति का गठन

5054. **डा० बापू कालदाते :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई केन्द्रीय प्रत्यायन समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब किया गया ; और

(ग) विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति 15 जुलाई, 1977 को पुनर्गठित की गई थी।

(ग) उक्त समिति के सदस्यों के नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं।

विवरण

अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन

1. श्री विश्व बन्धु गुप्ता,
सम्पादक, डेली "ताज",
नई दिल्ली ।

2. डा० के० पी० अग्रवाल,
प्रबंध सम्पादक,
"पिग्रोनीर",
लखनऊ ।

3. श्री वीरेन्द्र,
सम्पादक, "डेली प्रताप",
जलंधर ।

4. श्री वी० पी० वी० राजन्,
सम्पादक, "दि मेल",
मद्रास ।

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ

1. श्री जे० पी० चतुर्वेदी,
नई दिल्ली ।

2. श्री सी० पी० रामचन्द्रन्,
नई दिल्ली ।

3. श्री सी० एम० मिश्र,
पटना ।

4. श्री रघुराम शेट्टी,
बंगलौर ।

राष्ट्रीय पत्रकार संघ (भारत)

1. श्री कपिल वर्मा,
महा सचिव, भारतीय पत्रकार संघ,
लखनऊ ।

2. श्री तुषार रंजन, पत्र नबीस,
स्टाफ रिपोर्टर, "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड",
कलकत्ता ।

3. श्री नारायण रथ,
विशेष संवाददाता, "समाज",
भुवनेश्वर ।

4. श्री नंद किशोर त्रिखा,
नई दिल्ली ।

समाचारपत्रों की संख्या

1. श्री एस० धर्मराजन्,
विशेष संवाददाता,
"टाइम्स आफ इंडिया",
नई दिल्ली।

2. श्री विजय सिंघवी,
विशेष संवाददाता,
"सन्देश",
नई दिल्ली।

न्यूज कैमरामैनों की संख्या

1. श्री प्रेम प्रकाश,
"विसन्यूज",
नई दिल्ली।

Benefit of Scheduled Castes to "Waddar" Caste

5055. **Dr. Bapu Kaldaty : Will the Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Waddar caste is being denied the benefits available to Scheduled Castes

(b) whether Government have received some representations in this regard; and

(c) Government's policy in regard to this backward caste ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) 'Waddar' caste has not been specified as a Scheduled Caste in the Presidential Orders under Article 241 of the Constitution. It is therefore not eligible to receive the benefits available to the Scheduled Castes.

(b) and (c) Government have received representations that 'Waddar' community may be specified as a Scheduled Caste/Tribe in Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu.

In Maharashtra and Tamil Nadu, this community is not found to satisfy the criteria for inclusion in the list of Scheduled Castes/Tribes. Proposal made in the representations from Karnataka is to treat 'Waddar' as a synonym of the Bhovi Scheduled Caste. However this proposal could be taken into consideration only when a legislation for the comprehensive revision of the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is undertaken.

तमिलनाडु में नीलगिरि पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति के लोगों का विकास

5056. **श्री पी० एस० रामलिंगम :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में नीलगिरि पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति के लोगों के विकास के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने कितनी पूंजी निवेश किया है और अब तक क्या ठोस उपलब्धियां हुई हैं; और

(ग) इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित किसी नई योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा तथा परियोजना की कार्यान्विति कब तक होगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नीलगिरि की जनजातीय जनसंख्या को राज्य योजना से और जनजातीय कल्याण तथा विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों से और साथ ही इस क्षेत्र में चलाए जाने वाले सामान्य विकास कार्यक्रमों से लाभ पहुंचता है।

(ख) और (ग) राज्य योजना में परिव्ययों की स्कीमवार।क्षेत्रवार व्यवस्था की जाती है। इसलिए इस क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या के संबंध में अलग से परिव्ययों और उपलब्धियों को बताना संभव नहीं है।

राज्य योजना के अतिरिक्त, एक नीलगिरि पहाड़ी उप योजना भी है। इसके अन्तर्गत पांचवीं योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि 7 करोड़ रुपये है और राज्य की सामान्य योजना से मिलने वाली राशि 7.5 करोड़ रुपए हैं। इस जनजातीय जनसंख्या को इस विशेष विकास योजना से भी लाभ पहुंचता है। पहाड़ी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय हायता में टोडा जनजाति के 250 परिवारों के आर्थिक विकास और पुनर्वास के लिए 22.41 लाख रुपये की व्यवस्था शामिल है। यह कार्यक्रम 1975-76 में शुरू किया गया था। 1976-77 तक 7.52 लाख रु० का व्यय किया गया।

Electric wire Manufacturing factory

5057. **Shrimati Chandravati** :- Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of factories manufacturing wire for supporting electric poles and for electric lines alongwith their annual production of such wires ;

(b) whether the supporting strength of these wires have been tested and if so, the results thereof; and

(c) whether the output of these wires is adequate to meet our requirements; and if not, whether Government propose to set up new factories in the public or private sector ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) to (c) There are five units registered with the D.G.T.D. for the manufacture of stranded wires, some types of which are used for supporting electric poles and for electric lines. The production of stranded wires during the past three years was as follows :—

1974	3239 tonnes
1975	5019 tonnes
1976	5125 tonnes

The stranded wires used for supporting electric poles for electric lines are normally purchased by State Electricity Boards and D.G.S. & D. as per I.S.I. specifications. The manufacture of steel stranded wire is now resereved for further development of production in the small scale sector. The indigenous availability of these wires is considered adequate to meet our requirements and Government have not received any complaints about short supply of such wires. There is no proposal pending with Government for setting up new factories in the public or private sector, for the manufacture of stranded wires for supporting electric poles and for electric lines.

Factories manufacturing electric conducting wire

5058. **Shrimati Chandravati** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state the number of factories manufacturing electric conducting wire in public and private sectors alongwith its total output ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : There are 75 units in private sector and 2 units in public sector manufacturing electricity conducting items - AAC/ACSR, PVC/VIR and Power Cables in the organised sector. The total output during 1976 has been Rs. 27,804 lakhs and Rs. 522 lakhs in private and public sectors respectively. In addition, there are a number of units in the small scale sector registered with State Directors of Industries manufacturing ACSR/AAC and wires and cables.

Manufacturers of Transformers

5059. **Shrimati Chandravati :** Will the Miister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of factories manufacturing transformers in private as well as public sector;

(b) the number of transformers being manufactured each year; and

(c) whether these transformers are adequate to meet the requirements and whether they have stood the quality test ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) At present there are 33 units in the organised sector including one in the Central Public Sector and seven state-owned units, engaged in the manufacture of power and distribution transformers. In addition there are about 100 units in the small scale sector mainly manufacturing distribution ransformers.

(b) The production date of this industry is maintained in terms of aggregate KVA. Production in the organised sector during the last four years has been as under :—

	Million KVA.
1973-74	12.47
1974-75	12.4
1975-76	13.78
1976-77	16.00 (estimated)

Production figures in the small scale sector are not readily available but a substantial contribution in regard to distribution transformers is from the small scale sector.

(c) Yes, Sir.

Transformer factory near Ambala, Haryana

5060. **Shrimati Chandravati :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether any factory near Ambala, Haryana is manufacturing transformers, if so, since when;

(b) the names of metals and the quantity used in the manufacture of these transformers;

(c) the number of transformers manufactures per annum and whether their quality has been tested and if so, the result thereof;

(d) whether instead of manufacturing transformers, the metals espacially copper was sold in black market there; and

(e) whether that factory is earning profit ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) According to the information available in the Ministry of Industry, there is only one unit, namely Haryana State Electricity Board, Dhulkkote (Ambala) in the State of Haryana manufacturing distribution transformers upto 100 KVA ratings. They were issued an industrial licence on 11.8.1971. The capacity licensed was 2000 Nos. per annum equivalent to 200,000 KVA approximately. This unit was initially set up for the repairs of the transformers of Haryana State Electricity Board. The transformers they manufacture are mainly for the captive use of Haryana State Electricity Board.

(b) For the manufacture of transformers, the major requirements of metals are Cold Rolled Grain Oriented (CRGO) Electrical Steel sheets, Copper, Aluminium and Mild Steel. The quantity of material required varies from the design and size of transformer. The rough estimate for the requirements of metals for the distribution transformer per KVA rating is given as under :

(i) CRGO Sheets—between 2.1 to 2.3 kg/KVA.

(ii) Copper—between 0.85 to 1.0 kg/KVA. (for copper wound transformers).

(iii) Aluminium—between 0.6 to 0.75 kg/KVA. (for aluminium wound transformers).

(iv) Mild Steel—2 kg/KVA.

As a measure of import substitution, the transformer manufacturers were informed in 197[illegible] switch over from copper to aluminium wound transformers upto 300 KVA/11 KV ratings. Whenever special transformers are, however, to be manufactured with copper, the parties approach Govt. for necessary permission.

(c) The production of the above unit for the last three years is as under :—

1974—24,660 KVA (579 nos.)

1975—46,340 KVA (738 nos.)

1976—40,175 KVA (467 nos.)

Government have not received any complaint regarding the quality of the transformer manufactured by this firm.

(d) Government are not aware if the firm have sold metals specially copper in the black market. Government are also not aware from whom they obtained copper & other metals.

(e) Government have no information in this regard.

केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री द्वारा
भारतीय वायु सेना के विमानों का प्रयोग

5061. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री ने नवम्बर और दिसम्बर, 1976 में कितनी बार भारतीय वायु सेना के विमानों का प्रयोग किया ;

(ख) उनके दौरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उड़ीसा के राज्यपाल के तत्कालीन सलाहकार के कुछ संबंधियों ने भारतीय वायु सेना के विमानों से यात्रा की ;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त यात्रायें नियमानुसार हैं ;

(ङ) क्या उक्त यात्रायें अनधिकृत थीं; और

(च) यदि हां, तो क्या तत्कालीन सलाहकार से किराया वसूल किया गया है और क्या भारतीय वायुसेना के विमानों के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई है

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री श्री जानकीबल्लभ पटनायक ने नवम्बर और दिसम्बर 1976 में 9 बार भारतीय वायु सेना के विमानों का उपयोग किया। ये सभी उड़ानें उड़ीसा राज्य को और उड़ीसा से वापसी के लिए की गई।

(ग) से (च) यात्रियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। यह मालूम नहीं है कि क्या उन यात्रियों में से कोई व्यक्ति उड़ीसा के राज्यपाल के तत्कालीन सलाहकार का संबंधी था। वर्तमान आदेशों के अधीन, भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री भारतीय वायु सेना के वी आई पी विमान के लिए मांग कर सकता था। वह उन व्यक्तियों को भी अपने साथ विमान में ले जा सकता था जिन्हें वह अपनी यात्रा के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता था। ये यात्राएं अनधिकृत नहीं थी क्योंकि विमानों की मांग एक प्राधिकृत मंत्री द्वारा की गई थीं इसलिए उड़ीसा के राज्यपाल के तत्कालीन सलाहकार से खर्च वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्र सरकार के भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री द्वारा नवम्बर से दिसम्बर 1976 के दौरान भारतीय वायु सेना के विमानों से की गई उड़ानों के ब्यौरों का विवरण।

तारीख	से	को	यात्रियों की सूची	
1	2	3	4	
6-11-76	दिल्ली	राउरकेला	श्री जे बी पटनायक	मंत्री
			श्री ए एन पुरी	
			श्री गजधाम	
			श्री एस एस महापात्र	
1-12-76	दिल्ली	चारबतिया	श्री जे बी पटनायक	मंत्री
			श्री ए एन पुरी	
			श्री बी सी मोहन्ती	
7-12-76	चारबतिया	दिल्ली	श्री जे बी पटनायक	मंत्री
			श्री ए एन पुरी	
			श्री बी सी मोहन्ती	
8-12-76	दिल्ली	चारबतिया	श्री जे बी पटनायक	मंत्री
			श्री ओम प्रकाश	
			श्री बी सी मोहन्ती	
9-12-76	चारबतिया	दिल्ली	श्री जे बी पटनायक	मंत्री
			श्री ओम प्रकाश	
			श्री जगन्नाथ राव	
			श्री ए यू सिंह देव	
			श्री यू पी देव	

1	2		3	4
16-12-76	दिल्ली	भुवनेश्वर	श्री जे बी पटनायक श्री सी० पी० माझी श्री ए० आर० अंतुले श्री राम कृष्णेया श्री राम चन्द्र श्री बसन्त कुमार श्री मनोज कुमार श्री ओम प्रकाश	मंत्री
19-12-76	चारबतिया	दिल्ली	श्री जे० बी० पटनायक श्रीमती जे० बी० पटनायक श्री ओम प्रकाश	मंत्री
24-12-76	दिल्ली	भुवनेश्वर	श्री जे० बी० पटनायक श्री जगन्नाथ राव श्री एम रामाकृष्णैया डा० जी० डी० चौधरी श्रीमती जी० डी० चौधरी श्री एस० सी० भट्ट श्री डी० एस० मेहता श्री एन० पी० आर० स्वामी डा० जे० राउत श्री ओम प्रकाश श्री एल सी तीर्थानी	मंत्री
25-12-76	भुवनेश्वर	दिल्ली	श्री एस० सी० भट्ट श्री डी० एस० मेहता श्री एल० सी० तीथानी	

कुकिंग कोयले के नये स्रोत

5063. **श्री के० लकप्पा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुकिंग कोयले के नए स्रोतों का पता लगाया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) कोककर कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोककर कोयले के नए स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है किन्तु यह उपयोग इस्पात उद्योग के लिए ऐसे कोयले की उपयुक्तता पर निर्भर है। मध्यम कोककर कोयले के कुछ बढ़े स्रोतों का, हजारीबाग एरिया के पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के पेंच-काहन कोयला क्षेत्र में विकास किया जा रहा है।

कोककर कोयले के अर्ध कमजोर वर्ग में रानीगंज कोयला क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश में चुर्चा कटकोना में नए स्रोतों के परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस्पात संयंत्रों के लिए आसाम कोयले की उपयुक्तता का भी निर्णय किया जा रहा है। इन क्षेत्रों से प्राप्त कुछ कोयलों का इस्पात संयंत्रों की कोक भट्टियों में प्रयोग शुरू हो चुका है तथा कुछ कोयलों की पाइलट संयंत्र परीक्षण तथा वाणिज्यिक परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर परीक्षा की जा रही है ताकि कोककर कोयला ब्लेन्ड में उनकी उपयुक्तता का पता लग सके।

ईस्टर्न कोल लिमिटेड में स्थायी स्वरूप के कार्यों पर कार्यरत नैमित्तिक श्रमिक

5064. **श्री रोबिन सेन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोल लिमिटेड के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में हजारों नैमित्तिक श्रमिक स्थायी स्वरूप के कार्यों पर कार्यरत हैं;

(ख) क्या उनमें से बहुत से श्रमिक सात वर्ष से अधिक की अवधि से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन श्रमिकों को, जहां वे स्थायी कार्यों पर लगे हुए हैं स्थायी करने का है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क), (ख) और (ग) यह सच नहीं है कि हजारों नैमित्तिक श्रमिक स्थायी रूप से चलने वाले काम में लगे हुए हैं तथा वे सात वर्षों से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। नैमित्तिक श्रमिकों को, वैगनों को भरने वाले स्थायी श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए, मुख्य रूप से जमीन पर वैगनों की भराई के काम में लगाया जा रहा है। वैगनों को भराई करना ऐसा काम है जिसमें रेलवे वैगनों की उपलब्धि में परिवर्तन के कारण कभी-कभी अतिरिक्त श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। गत वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में नैमित्तिक श्रमिकों को पहले ही नियमित किया जा चुका है। किन्तु रेलवे वैगनों की सप्लाई में प्रतिदिन अन्तर पड़ने के कारण यह संभव नहीं होगा कि सभी नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित कर दिया जाए।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड श्रमिक यूनियन की मांगे

5065. **श्री रोबिन सेन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड श्रमिक यूनियन, हिन्दुस्तान केबल्स, आफ़ बर्दवान पश्चिम बंगाल से 15 अप्रैल, 1977 को एक मांग-पत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों को एच० सी० एल० श्रमिक संघ के पत्र संख्या एस० यू०/डी०/2/77 दिनांक 15 अप्रैल, 1977 द्वारा प्रेषित हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के कर्मचारियों की मांगों के ज्ञापन की एक प्रति औद्योगिक विकास विभाग में प्राप्त हुई थीं। प्रबन्धकों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित रुपाकार और नीतियों के अधीन मांगों पर विचार किया जायेगा।

10 LSS/77—7

Production in Cement Factories

5067. **Shri Lalji Bhai :**

Shri Dharamsinhbhai Patel :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number and locations of cement factories in various States, State-wise, the minimum production capacity thereof during 1974 to 1976, year-wise and whether the annual production conformed to the estimated capacity;

(b) the allocation of cement to various States, State-wise, during the years 1974 to 1976, year-wise; and

(c) the names of States which were not supplied cement on time as per their demand ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) to (c) Required information is furnished as per the following Statements attached :—

(1) Statement I . Showing the number and location of cement factories with their licensed capacity State-wise.

(2) Statement II Showing estimated production at 85% of the licensed capacity and actual production during the year 1974—76.

(3) Statement III . Showing allocation of cement to various States, State-wise during the years 1974 to 1976, year-wise.

[Placed in the Library. *See* No. LT.—849/77].

Capacity of J. K. Tyre-Tube Factory Udaipur

5068. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the annual minimum capacity of J.K. Tyre-Tube Factory, Kankroli, District Udaipur, Rajasthan during 1974-75, 1975-76 and whether the annual production was as per the capacity during the period;

(b) the names and locations of the tyre-tube factories in the country, State-wise; and

(c) the names of countries to which tyres and tubes were exported during 1974—76, year-wise and the quantity and value of goods exported to each country and the amount of foreign exchange earned ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) An industrial licence was granted to M/s J.K. Industries Ltd., in February 1974 for the establishment of a new undertaking in Kankroli, District Udaipur for the manufacture of automobile tyres and tubes with a capacity of 4 lakh nos. of each per annum. The undertaking commenced commercial production only in January, 1977.

(b) and (c) : Two statements are attached

[Placed in the Library. *See* No. LT.—850/77].

भारतीय फिल्म फैडरेशन द्वारा प्रदर्शन के लिए नई फिल्में देना स्थगित किया जाना

5069. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म फैडरेशन ने नये बजट में मूल्यानुसार 10 प्रतिशत प्रस्तावित उत्पादन शुल्क व्यवस्था के विरोध स्वरूप प्रदर्शन के लिए नई फिल्म देना स्थगित कर दिया है ;

(ख) क्या उत्पादन शुल्क संबंधी निर्णय थोड़ी लागत से तथा क्षेत्रीय भाषाओं में बनायी गई फिल्मों पर भी लागू होगा; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) इस आशय के कुछ समाचार कुछ समाचारपत्रों में छपे हैं।

(ख) और (ग) फिल्म उद्योग द्वारा किए गए अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री ने फिल्मों पर उत्पाद-शुल्क लगाने के मूल प्रस्ताव में कतिपय संशोधनों की पहले ही घोषणा कर दी है। उम्मीद है ये फिल्म उद्योग की शिकायतों को दूर करने में काफी सहायक होंगे।

तमिलनाडु में तारों एवं कण्डक्टरों का निर्माण करने वाले एकक

5070. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तारों एवं कंडक्टरों का निर्माण करने वाले एककों के वितीय कठिनाइयों के कारण बन्द हो जाने की आशंका है;

(ख) क्या उन्हें कच्चेमाल और बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) क्या सरकार ने उन्हें बन्द होने से बचाने की दृष्टि से उद्योग की समस्याऐं सुलझाने के लिए कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार से केबलों एवं कन्डक्टरों का निर्माण करने वाले किसी भी एकक से उसके वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द हो जाने अथवा कच्चेमाल तथा विद्युत् सप्लाई की कमी के बारे में भारत सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। फिर भी, सरकार को पता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन महीनों में पिछले वर्ष की उसी अवधि की अपेक्षा लगभग 12,000 मीट्रिक टन अल्युमिनियम का कम उत्पादन हुआ है। ऐसा बेलगाम स्मेल्टर में बिजली की कटौतियों तथा हड़ताल के कारण हुआ है। मैसर्स मद्रास अल्युमिनियम कम्पनी लि० के लिये बिजली सप्लाई पुनः चालू कर दी गई है और बेलगाम स्मेल्टर में हड़ताल समाप्त हो गई है।

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान (वेरियेबल एनर्जी साइक्लोट्रान) को चालू करना

5071. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता द्वारा उपयोग के लिए परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान (वी० ई० सी) को चालू किया गया है;

(ख) इस वी० ई० सी० परियोजना की विदेशी मुद्रा व्यय सहित क्या लागत है; और

(ग) वी० ई० सी० परियोजना परमाणु अनुसंधान उद्योग तथा कृषि में किस प्रकार सहायता करती है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन 16 जून, 1977 के उषा काल में चालू किया गया था ;

(ख) परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान परियोजना की कुल लागत लगभग 9 करोड़ रू० है, जिसमें लगभग 1 करोड़ रू० की विदेशी मुद्रा भी शामिल है ; और

(ग) भारतीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों के विद्यार्थी और वैज्ञानिक, इस साइक्लोट्रॉन का प्रयोग न्यूक्लीय और ठोस अवस्था भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए करेंगे। साइक्लोट्रॉन द्वारा उत्पादित आइसोटोपों का उपयोग चिकित्सा, कृषि, विकिरण, रसायन और जीव विज्ञान के क्षेत्रों में किया जायेगा। इसका उपयोग पदार्थों को विकिरण से पहुंचने वाली क्षति के अध्ययन के लिये भी किया जाएगा, जो रिऐक्टरों के अभिकल्पन में सहायक होगा।

तमिलनाडु की एक फर्म द्वारा 'इण्डस टु इंदिरा गांधी' नामक फिल्म बनाना

5072. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की एक फर्म को "इंडस टु इंदिरा गांधी" नामक फ़िल्म बनाने के लिए 12 लाख रुपयों का ठेका दिया गया था;

(ख) क्या इस फर्म को भूतपूर्व मंत्री के मंत्रीपद पर रहने के अन्तिम दिनों में भुगतान किया गया था;

(ग) इस फ़ीचर फ़िल्म की विषयवस्तु क्या है और क्या इस फ़िल्म के लिए दी गई यह राशि बहुत अधिक थी और इस राशि का दुरुपयोग किया गया था; और

(घ) क्या इस पूरे काण्ड की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का सरकार का विचार है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) : मैसर्स कृष्णस्वामी एसोसिएट्स, 5 महात्मा गांधी रोड, शास्त्री नगर, मद्रास को "इण्डस वैली टु इन्दिरा गांधी" नामक फ़िल्म के 50 वर्ष की अवधि के लिए दूरदर्शन अधिकारों के लिए 11.90 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

(ख) भुगतान 14 जनवरी, 1977 को किया गया था।

(ग) यह एक लम्बी डाकुमेंट्री फ़िल्म है और इसकी अवधि लगभग 4 घण्टे की है और इसके दो दो घण्टे के दो भाग हैं। इसमें सिन्धु घाटी की सभ्यता से ले कर अब तक भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न किया गया है। 50 वर्ष के लिए फ़िल्म के दूरदर्शन अधिकारों के लिए 11.90 लाख रुपये की राशि का भुगतान एक समिति, जो एतदर्थ गठित की गई थी, की सिफ़ारिश के आधार पर और वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में फोटो फिल्म कारखाना

5073. **श्री के० ए० राजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आल इण्डिया फ़ैडरेशन आफ़ फ़ोटोग्राफ़िक ट्रेडर्स एसोसिएशन ने गैर सरकारी क्षेत्र में एक फ़ोटो फ़िल्म कारखाना स्थापित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) (क) और (ख) : आल इण्डिया फ़ैडरेशन आफ़ फ़ोटोग्राफ़िक ट्रेडर्स एशोसियेशन के मद्रास में 2 जुलाई, 1977 को हुए सातवें सम्मेलन के अवसर पर एसोसियेशन के अध्यक्ष ने अपने भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि देश में रोल फ़िल्मों का निर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र में एक दूसरा एकक स्थापित करने की मांग न्यायोचित है। इस भाषण के उत्तर में तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा था कि इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान फ़ोटो फ़िल्म्स मैन्यूफ़ैक्चरिंग कम्पनी लि० का उत्पादन बढ़ रहा है तथा कम्पनी ने जर्मनी के लोकतंत्रात्मक गणतन्त्र के सहयोग से रोल फ़िल्मों का निर्माण करने के लिए पहले ही व्यवस्था कर ली है। उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया था कि नई अवस्थाओं के अनुसार उत्पादन प्रारम्भ हो जाने पर एच० पी० एफ़० केवल वर्तमान की नहीं अपितु निकट भविष्य में भी देश की रोल फ़िल्मों की समग्र आवश्यकतायें पूरी कर सकेगा। ऐसी परिस्थितियों में सरकार देश में इस वस्तु का निर्माण करने के लिए निजी अथवा सरकारी किसी भी क्षेत्र में कोई और एकक स्थापित करना आवश्यक नहीं समझती है।

Cost of Newsprint produced by Nepa Mill

5074. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether the cost of newsprint produced by the Nepa Paper Mill is more than that of the imported newsprint;

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken by Government in this regard; and

(c) whether the off-take of newsprint produced by Nepa Paper Mill is less because of lower price of imported newsprint and the Mill is sustaining loss ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) No, Sir. The cost of Nepa newsprint is lower than that of imported newsprint.

(b) Does not arise.

(c) There is a regular off-take of Nepa Newsprint. The Mill has not incurred any losses in the year 1976-77.

विदेश निवेश बोर्ड के निर्णय में उद्योग मंत्रालय का सम्मिलित होना

5075. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश निवेश बोर्ड के निर्णय में उद्योग मंत्रालय को सम्मिलित करने के बारे में किन्हीं तत्काल परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विदेश निवेश बोर्ड के विरुद्ध भारत में विदेशी कम्पनियो और एकाधिकार औद्योगिक कम्पनियों को अनुमति औद्योगिक रियायतें देकर सहायता करने की शिकायतें हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से "सामयिकी और "संसद में आज" कार्यक्रम का प्रसारण

5076. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के "सामयिकी" और "संसद में आज" कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन कार्यक्रमों को आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) 'स्पाटलाइट' और 'टुडे इन पार्लियामेण्ट' कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा अंग्रेजी में प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी के सभी केन्द्रों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे इन कार्यक्रमों को रिले करें। वे केन्द्र, जो अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित हैं, इन दोनों कार्यक्रमों को बहुधा रिले करते हैं।

आकाशवाणी द्वारा इसी प्रकार के कार्यक्रम हिन्दी में भी प्रसारित किए जाते हैं। इसके नाम क्रमशः 'सामयिकी' और 'संसद समीक्षा' हैं। ये कार्यक्रम हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों द्वारा रिले किये जाते हैं।

स्थिति यह है कि 38 केन्द्र 'स्पाटलाइट' कार्यक्रम को नियमित रूप से रिले करते हैं और 23 केन्द्र इसको कभी-कभी रिले करते हैं या इसको रिकार्ड करके प्रसारित करते हैं। जहां तक 'टुडे इन पार्लियामेण्ट कार्यक्रम' का संबंध है, 36 केन्द्र इसको नियमित रूप से रिले करते हैं और एक केन्द्र इसको कभी-कभी रिले करता है। 34 केन्द्र 'टुडे इन पार्लियामेण्ट' के बजाय 'संसद समीक्षा' कार्यक्रम रिले करते हैं।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल को स्वामित्व का भुगतान

5077. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से यह अनुरोध कर रही है कि उसे देय स्वामित्व का तुरन्त भुगतान किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) : भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को रायल्टी के रूप में लगभग 31 लाख रुपए की राशि दी जानी है। इस राशि की तुलना में पश्चिम बंगाल सरकार के एक उपक्रम "दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि०" के ऊपर भारत कोकिंग कोल लि० का लगभग 350 लाख रुपए प्रेषित कोयले की कीमत के रूप में बाकी है। इस राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार और कम्पनियों के बीच बातचीत चल रही है। राज्य सरकार से औपचारिक समझौता होने तक, भारत कोकिंग कोल लि० ने उक्त रायल्टी के भुगतान को स्थगित कर दिया है।

पश्चिम बंगाल में श्री मायापुर मठ, नवद्वीप में ठहरे विदेशी

5078. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्री मायापुर मठ, नवद्वीप, पश्चिम बंगाल में ठहरे श्री चार्ल्स एडवार्डस और कई अन्य विदेशियों को देश में रहने के लिए वीजा दिये गये थे; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि वे राष्ट्र विरोधी और जन विरोधी गतिविधियों में लगे हैं तथा स्थानीय सरकार के लिए कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) अन्तर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी के श्री चार्ल्स एडवर्ड बासिम नामक एक विदेशी समेत कुछ विदेशी श्री मायापुर मठ, नवद्वीप, पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं।

(ख) स्थानीय आबादी के कुछ लोगों और मठ के कुछ निवासियों के बीच 8 जुलाई, 1977 को एक झगड़े की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के मामले दर्ज किये हैं। एक मामले में छ: विदेशियों समेत मठ के 11 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे, जबकि दूसरे में पांच स्थानीय व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। सी० आई० डी०, पश्चिम बंगाल द्वारा मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के पदों के लिये आयु सीमा बढ़ाना

5079. **श्री रामानन्द तिवारी**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान सशस्त्र सेना के ब्रिगेडियर और इससे ऊपर के समान पदों के लिए, सेना के अन्य दोनों विंगों में समान पदों के लिए, आयु सीमा बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप सामान्य असन्तोष है जो सम्पूर्ण सशस्त्र सेना के मनोबल के लिए हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्व स्वीकृत परिपाटी/नियमों/आदेशों का पालन न करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (जगजीवन राम): (क) और (ख) ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के पदों तथा नौसेना और वायु सेना में तदनुरूप पदों के अफसरों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमाओं में वृद्धि किये जाने के बारे में स्थिति इस प्रकार है:—

थल सेना :

चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, रिमाउन्ट, वेटरिनरी तथा फार्म कोरों और विशेष सूची अफिसरों और अनुसंधान, विकास तथा निरीक्षण संगठनों में स्थायी रूप से स्थानांतरित सैनिक अफसरों को छोड़कर

ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के पदों के अफसरों के लिए सेवा-निवृत्ति की अधिकतम आयु हरेक पद के लिए समान रूप से दिसम्बर, 1976 में 2 वर्ष बढ़ा दी गयी थी। इस संशोधन पर किसी प्रकार का आम असंतोष नहीं हुआ है बल्कि इसके विपरीत अफ़सर संवर्ग ने इसका सामान्यतः स्वागत किया है, क्योंकि अधिकांश मामलों में ब्रिगेडियर पद से नीचे के अफसरों की सेवानिवृत्ति की आयु को भी बढ़ा दिया गया है।

सेवानिवृत्ति की आयु में संशोधन इसलिए किया गया है ताकि अफसरों के अनुभव एवं ज्ञान से अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इसके लिए उनकी शरीरिक क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

नौसेना तथा वायु सेना :

नौसेना और वायु सेना में, ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के पदों के समकक्ष अफसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

प्रैस परिषद को फिर से चालू करना

5080. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री प्रैस परिषद् को फिर से चालू करने के बारे में 22 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : देश के प्रमुख प्रेस संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत की रोशनी में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

अम्बाला छावनी में जल की सप्लाई

5081. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम० ई० एस० अम्बाला छावनी में गहरे नलकूप लगा कर जल की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने हेतु पिछले कुछ वर्षों में काफी बड़ी राशि खर्च की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कुल कितनी राशि खर्च की गई और कुल कितने नलकूप लगाए गए;

(ग) क्या पानी की सप्लाई में वहां कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ है चूंकि अधिकांश नलकूप काम नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) 5-2-1977 को अम्बाला छावनी में से सिविल क्षेत्रों को काट दिए जाने से पूर्व छावनी बोर्ड के नियंत्रण में 15 नलकूप थे। सिविल क्षेत्र को अलग कर दिए जाने के परिणामस्वरूप 14 नलकूपों को अधिसूचित क्षेत्र समिति, अम्बाला को हस्तांतरित कर दिया गया है और बोर्ड के नियंत्रण में अब केवल एक नलकूप है। इस नलकूप से छावनी के तोपखाना बाजार की सिविल जनता की आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं।

2. शेष क्षेत्र में जल पूर्ति का प्रबन्ध एम० इ० एस० द्वारा किया जाता है। 1970 तक मिलिटरी इंजीनियरी सर्विस द्वारा 45 नलकूपों का निर्माण किया गया था। पिछले 7 वर्षों के दौरान, 55.07 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 150 से 180 मीटर की सामान्य गहराई के 10 नलकूप मंजूर किए गए, उनमें

से छः नलकूप चालू कर दिए गये हैं और तीन नलकूपों का कार्य काफी प्रगति पर है तथा एक नलकूप का कार्य अभी हाथ में लिया जाना है। 31 मार्च, 1977 तक कुल 45.41 लाख रुपए व्यय हुए जिसमें से चालू किए गये छः नलकूपों और साथ ही उन तीन नलकूपों पर जिनका कार्य प्रगति पर है, पिछले तीन वर्षों में 21.21 लाख रुपए व्यय हुए। इन नलकूपों के पूरा हो जाने से अम्बाला छावनी में जल पूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लगाए गए नलकूपों में से इस समय कोई भी नलकूप खराब नहीं है। तथापि, 10 से 15 वर्ष पूर्व निर्मित पुराने नलकूपों के स्थान पर औसतन दो नलकूप प्रतिवर्ष की दर से नए लगाने की आवश्यकता है क्योंकि उनसे कम पानी मिलता है और उन्हें चलाना किफायती नहीं है।

3. जलपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के माध्यम से 400 से 500 मीटर की गहराई पर खोदे गए दो नलकूपों के विकास के लिए अन्वेषणात्मक कार्य हाथ में लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में चालू की जाने वाली किसी उत्थापक सिंचाई योजना में भाग लेने की सम्भावना की भी राज्य सरकार के परामर्श से जांच की जाएगी।

दिल्ली परिवहन निगम के बस स्टापों पर प्रतीक्षा स्थल

5082. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** . क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम के सभी मुख्य स्टापों पर प्रतीक्षा-स्थलों का निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम के साथ विवाद के कारण बस स्टापों पर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा नये शैल्टरों के निर्माण का कार्य 1975 से रुका हुआ है। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली परिवहन निगम के बोर्ड की पुष्टि के अधीन दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष और नगरपालिका आयुक्त के बीच अब एक समझौता हो गया है। पुष्टि के बाद, धन की उपलब्धता और इस प्रयोजन के लिए स्थलों को ध्यान में रखते हुए, नये बस शैल्टरों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

दिल्ली परिवहन निगम का दिल्ली नगर निगम को अन्तरण

5083. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली परिवहन निगम को दिल्ली नगर निगम को अन्तरित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Porbandar Port in Gujarat

***5084. **Shri Dharam Sinhbhai Patel:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be please to state:

***(a) Whether the work for converting the Porbandar Port (Gujarat) into an all-weather port was started;

(b) if so, the time by which it is likely to be completed;

(c) the expenditure incurred so far and likely to be further incurred thereon;

(d) the grants given by the Central Government to Gujarat so far in this .connection and the grants proposed to be given in future and when; and

(e) the reasons for the inordinate delay in completion of this work?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) to (e) The scheme for the development of Porbandar Port was sanctioned for Rs. 7.72 crores.

Work on it was started by the State Government in 1966. They have reported delay in its completion due to changes in the scope of the project, time required in carrying out extensive model studies, and effects of unprescedented cyclones in May, 1971, October 1975, January 1976 and June 1976. In any case no work is possible during the four monsoon months of the year.

An expenditure of Rs. 725.6 lakhs has been reported by the state Government till the end of March, 1977. Central loan assistance has been given to the tune of Rs. 566.46 lakhs. According to present indications of the State Government, the work is likely to be completed by March, 1978.

कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में एन० सी० सी० और ए० सी० सी० के कार्यक्रम

5085. **श्री पी० जी० मावलंकर:** /क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में क्रमश: कालिजों, विश्वविद्यालयों, और स्कूलों में एन० सी० सी० और ए० सी० सी० के कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चले हैं और उनमें सुधार और प्रगति हुई है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसमें विशेषकर कालिजों और विश्वविद्यालयों में एन० सी० सी० के कार्यक्रम में ढील आने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) ए० सी० सी० को 1964-65 में एन० सी० सी० के साथ मिला दिया गया था। गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल कैडेट कोर ने अपने कार्यक्रमों में लगातार सुधार एवं प्रगति दिखाई है।

(ख) सुधार एवं प्रगति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:—

(1) नेशनल कैडेट कोर की बदलती हुई आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम प्रगतिशील हैं और नेतृत्व-गुणों के विकास पर अधिक बल देते हैं।

(2) व्यायाम और शस्त्र प्रशिक्षण जैसे पारम्परिक विषयों की सम्भावना को अपेक्षाकृत कम कर दिया गया है साहसिक प्रशिक्षण खेल-कूद और सामाजिक सेवा की भावना पर अधिक बल दिया जा रहा है। साइकिल अभियान, लम्बी पैदल यात्रा, जल यात्रा, नाव चलाना, पर्वतारोहण और हवाई छत्री से कूद में अधिक कैडेट भाग ले रहे हैं।

(3) बालिका कैडेटों के लिए, चयनात्मक आधार पर वायु नौसैनिक और घुड़सवारी प्रशिक्षण चालू किया गया है।

(4) नेशनल कैडेट कोर में लिए जाने वाले सैनिक अफसरों के रिकार्ड की अब जांच-पड़ताल की जाती है और केवल अच्छे रिकार्ड वाले अफसरों को ही लिया जाता है। इससे स्टैंडर्ड में सुधार आया है।

(5) नेशनल कैडेट कोर में नियुक्त किए जाने वाले प्रशिक्षक कर्मचारियों के लिए वांछित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं और प्रशिक्षण के स्तर को उपयुक्त रखने के उद्देश्य से इसका अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

खोसला आयोग का प्रतिवेदन

5086. श्री **कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोसला आयोग के प्रतिवेदन में की गई वे सिफारिशें कौन सी हैं जिन पर सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

(ख) इन सिफारिशों पर अब तक अमल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में एक पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने खोसला आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया है। इन में से बहुत सी सिफारिशों को पहले से ही कार्यान्वित कर दिया गया है। शेष सिफारिशों पर जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है कार्रवाई की जा रही है।

(ग) सरकार द्वारा खोसला आयोग की इस सिफारिश पर पहले विचार किया गया था परन्तु मंजूर नहीं किया गया था। तथापि, मामला फिर से खोला गया है तथा सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जांच

5087. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राजपत्रित अधिकारियों के नाम व पते क्या हैं जिनके विरुद्ध दिल्ली में केन्द्रीय जांच ब्यूरो विगत चार माह से जांच कर रहा है;

(ख) प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामलों में जांच पूरी हो गई है, और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) विगत चार महीनों के दौरान दिल्ली में 39 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच की है।

(ख) इस स्टेज पर ब्यौरे देना जांच के हित में नहीं होगा ?

(ग) तथा (घ) : उपर्युक्त मामलों में से एक में जांच पूरी हो गई है और न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है। इस मामले का संबंध, दिल्ली वाटर सप्लाई एण्ड सीवेज डिस्पोजल अण्डरटेकिंग द्वारा मैसर्स मारुति टैक्नीकल सर्विसेज (पी०) लिमिटेड से विवक फ्लोक पोलोमिक्स खरीदने मे है।

थल सेना द्वारा लघु वायु सेना के लिये मांग

5088. **डा० हेनरी आस्टिन** :

श्री के लक्कप्पा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "सन्डे स्टैंण्डर्ड", दिनांक 10 जुलाई, 1977 में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि थल सेना ने प्रभावी स्थल बल के लिए अपनी स्वयं की लघु वायु सेना की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी सच्चाई है;

(ग) क्या पहले सेनाध्यक्षों ने भी यह मांग की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विचार का विरोध किया था; और

(ङ) इस समाचार पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ) जी हां। सैनिक विमानन कोर बनाए जाने का एक प्रस्ताव है। पहले भी इस प्रकार का एक प्रस्ताव था। प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

लाइसेंसों का उपयोग

5089. **डा० हेनरी आस्टिन** :

श्री निहार लास्कर :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976-77 में 662 लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनमें से अब तक कितने लाइसेंसों को पूरी तरह उपयोग किया गया है;

(ग) क्या लाइसेंस धारियों ने सभी औद्योगिक परियोजनायें स्थापित कर लीं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडीज) : (क) 1976-77 (1-4-76 से 31-3-77 तक) में 641 लाइसेंस जारी किए गए थे।

(ख) करीब 120 लाइसेंसों का क्रियान्वयन हो चुका है।

(ग) और (घ) आमतौर पर एक औद्योगिक लाइसेंस शुरू में खर्च की वैधता अवधि के लिए जारी किया जाता है जो सामान्यतया और 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। वैधता की अवधि न्यायसंगत आधार होने पर और आगे बढ़ाई जा सकती है। औद्योगिक लाइसेंस जारी होने के बाद नया उद्योग स्थापित करने में 3 से 4 वर्ष तक का समय लगता है और बड़ी परियोजनाओं के लिए पनपने की अवधि और अधिक होती है अतः इस स्थिति पर यह बताना कि 1976-77 में लाइसेंस प्राप्त सभी परियोजनाएं स्थापित हो जायेंगी समय पूर्व होगा।

कोयले से पैट्रोलियम का निकाला जाना

5090. **श्री डी० डी० देसाई**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले को पेट्रोलियम में बदलने वाले संयंत्र स्थापित करने के संबंध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) क्या हमने भी इसके लिए अपेक्षित सभी प्रौद्योगिक जानकारी प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) कृत्रिम तेल पर विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सरकार जांच कर रही है।

(ख) और (ग) कोयले के गैसीकरण के लिए भारत में ही जानकारी उपलब्ध है। परन्तु गैस से तेल के संश्लेषण के लिए विदेशी जानकारी की जरूरत पड़ सकती है।

कोयले पर आधारित घरेलू ईंधन को नगरीय क्षेत्रों को सप्लाई

5091. **श्री डी० डी० देसाई**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया ने सभी नगरीय क्षेत्रों को कोयले पर आधारित घरेलू ईंधन सप्लाई करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जलाने की लकड़ी के स्थान पर कोयले पर आधारित घरेलू ईंधन के उपयोग से कितनी ईंधन-लकड़ी की बचत होने की आशा है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) और (ख) देश में उपभोक्ताओं को साफ्ट कोक और भी शीघ्रता से मिल सके इस उद्देश्य से कोल इंडिया लि० "विपणन अभियान" चलाता रहा है। साथ ही पिसे हुए कोयले की गोलियों और छोटी ईंटों जैसे धुआं रहित घरेलू ईंधन की नमूने के तौर पर बिक्री भी की जा रही है।

(ग) ईंधन नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 116 मिलियन टन कोयले के बराबर लकड़ी हर वर्ष ईंधन के रूप में जलाई जा रही है। ईंधन के रूप में जलाए जाने से कितनी लकड़ी बचाई जा सकती है यह बात उपभोक्ताओं की पसंद और कोयले तथा उससे बने घरेलू ईंधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कारखाने

5092. **श्री दुर्गाचन्द**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के कितने कारखाने हैं तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं और उनकी क्षमता कितनी कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने धर्मकोट (कांगड़ा) में चूने के पत्थर के भंडार के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार धर्मकोट स्थित चूने के पत्थर के कारखानों का अधिग्रहण करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) हिमाचल प्रदेश में उत्पादनरत कोई सीमेंट कारखाना नहीं है। किन्तु राज्य में निम्नलिखित योजनाओं के स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृति दी गई है :--

क्रमांक	पार्टी का नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता
			(लाख मी० टन में)
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	राजबन (जि० सिरमूर)	2.00
2	हिमाचल प्रदेश मिनरल एण्ड इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	सामलोटी (जि० कांगड़ा)	2.00
3	मै० एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी	गागल (जि० बिलासपुर)	4.00

(ख) जी, हां।

(ग) जियालाजीकल सर्वे आफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धरमकोट में 18 मिलियन मी० टन सीमेंट ग्रेड चूने के पत्थर की खोज की थी। किन्तु सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के जियोलोजिस्टों द्वारा जो सर्वेक्षण बाद में किये गये उनसे पता चला कि धरमकोट में लगभग 9.6 मिलियन मी० टन खनन योग्य निक्षेप ही होने का अनुमान है। ये निक्षेप धर्मशाला, कांगड़ा के जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में गरीबी से निचले स्तर पर रहने वाले लोग

5093. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो गरीबी से निचले स्तर पर रह रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास की वर्तमान योजनाओं से वहां की जनसंख्या के कमजोर वर्गों की आर्थिक दशा में कुछ सुधार होने की आशा है। 1977-78 की वार्षिक योजना को नया रूप दिया गया है जिससे कि कृषि और संबद्ध विषयों के लिए तथा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 25 लाख रोजगार उत्पन्न करने के लिए 30 प्रतिशत धन का आवंटन किया जा सके। छठी योजना की कार्यनीति में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भारत के सभी भागों में गरीबी को दूर किया जा सके।

हिमाचल प्रदेश/डोगरा रेंजीमेंट के लिए भर्ती

5094. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश/डोगरा रेजीमेंट के लिए भर्ती के कोटे में कमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की गई और कब की गई ;

(ग) मूलतः कोटा कितना था और उसमें कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या मूल कोटे को पुनः बहाल करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

छोटे भाषायी समाचारपत्रों को विज्ञापन

5095. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे भाषायी समाचार पत्रों को भारी संख्या में सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने वाले समाचारपत्रों की स्वीकृत सूची में से हटा दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को छोटे भाषायी समाचारपत्रों को विज्ञापन न देने की सलाह दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा अधिकारियों के तबादले

5096. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रक्षा अधिकारियों के सम्बन्ध में बहुत से परिवर्तन/उनके तबादले किये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे तबादलों अथवा परिवर्तनों का समाचारपत्रों में खण्डन किया है ; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सेवा की आवश्यकता, दक्षता प्राप्त करने, रिक्त स्थानों को भरने, करुणाजन्य परिस्थितियों के लिए व्यवस्था करने और पदोन्नति आदि पर रक्षा कार्मिकों के परिवर्तन और स्थानांतरण पहले की तरह ही सामान्य रूप से होते रहे हैं। इस तरह के परिवर्तनों अथवा स्थानान्तरणों में किसी प्रकार की असामान्यता नहीं हुई है।

(ख) सरकार ने किसी वरिष्ठ सैनिक अफसर की समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के निराधार समाचार का खण्डन किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Thermal Power station at Katihar, Bihar

5097. **Shri Yuvraj:** Will the **Minister of Energy** be pleased to state:

(a) whether in view of the acute power shortage in Bihar, the Bihar legislative Assembly had passed a resolution in June, 1972 for setting up a thermal power station in Katihar and submitted it to Central Government; and

(b) if so, when it is likely to be the set up there ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) & (b) The Bihar authorities have intimated that in June, 1972 a Resolution to the effect that the Government of Bihar should set up a Thermal Power Plant at Katihar was passed in the State Legislative Assembly.

In view of expansion of the Patratu and Barauni power stations which are under construction and sanction of the Kool Karo Hydel Project and the proposal of the Central Government to set up a Super Thermal Station for the Eastern Region, the proposal for a thermal power station at Katihar has not been pursued.

टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन

5099. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जब से टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन को बी० आई० सी० से अपने नियंत्रण में लिया है तभी से वह घाटे में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना घाटा हुआ और सरकार द्वारा इसके अर्जन के बाद कुल संचित घाटा कितना हुआ है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी, हां। बी०आई०सी० की कूपर एलन एण्ड नाथ वेस्ट टेनरी यूनिट में जो अब टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० कहलाती है, 1954 से ही हानियां होती रही है तथा 1969 में सरकार द्वारा उसे अपने हाथ में लिये जाने के बाद भी हानि होती जा रही है ।

(ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों में कारपोरेशन को हुए घाटे की राशियां निम्न प्रकार है:--

वर्ष	घाटे की रकम
1974-75	94.49 लाख रुपये
1975-76	55.29 लाख रुपये
1976-77	124.75 लाख रुपये

सरकार द्वारा इसे अपने हाथ में लिये जाने से लेकर कारपोरेशन का कुल संचित घाटा 573.80 लाख रुपये हैं।

(ग) कारपोरेशन में घाटा होने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :--

(1) क्रयादेशों (आर्डरों) के अभाव में फुटवियर के बारे में अधिष्ठापित क्षमता का अल्प-उपयोग ,

(2) बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों और कर्मचारियों को नियुक्त किए जाने के कारण हुआ अत्य-धिक ऊपरी खर्च ,

(3) पर्याप्त विपणन सुविधाओं के अभाव में तैयार स्टाक का भारी मात्रा में जमा होना जिसके फलस्वरूप ब्याज का भार बढ़ जाना ,

(4) पुराने तथा टूटे-फूटे मंयंत्र एवं उपकरणों का होना जिससे उत्पादकता तथा किस्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और रखरखाव की लागत अधिक हुई ;

(5) कच्चे माल के मूल्यों की अस्थिरता जिससे अनुमानित तथा वास्तविक उत्पादन लागत में भारी उतार चढ़ाव हुए ; तथा

(6) कमजोर और प्रभावहीन प्रबन्ध ।

Development of regional power grids

5100. **Shri S. R. Damani :** Will the Minister of Energy be pleased to state:

(a) the latest position with regard to development of regional power grids; and

(b) the details of planning done in this behalf?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) & (b) The latest position regarding development of regional power grids is as follows:

In the northern region, the power systems of Jammu & Kashmir, Punjab, Haryana, Delhi, Chandigarh, Himachal Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh are inter-connected The constituents of the western and southern regions are operating in an integrated manner. In the eastern region, till recently, the Bihar, West Bengal and Damodar Vally Corporation systems were operating in parallel. Since February 1977, the Bihar system is being operated in parallel with the Orissa grid which, in turn, is operating in parallel with the southern region. In the north-eastern region, the Assam, Meghalaya and Tripura systems are operating in parallel.

As part of the Strategy of developing regional grids, certain inter-State and inter-regional transmission lines have been taken up. For accelerated development of such lines these projects are treated as Centrally-Sponsored projects and States given 100% loan assistance outside the State Plan ceilings.

The coordinated operation of grid systems requires the establishment of load despatch centres at the State, Regional and National levels. Most State Electricity Boards have established State load Despatch Centres, and some are in the process of doing so. It is proposed to establish regional load despatch centres in the south, west, north and eastern regions. A national load despatch has also been proposed. In addition to all this, long term planning studies have been initiated with a view to assessing the requirements of the country as a whole.

दिल्ली तथा हरियाणा में समीपवर्ती उद्योग समूहों के लिये बिजली की आवश्यकता

5101. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा हरियाणा में समीपवर्ती उद्योग-समूहों के लिए बिजली की कुल आवश्यकता कितनी है ,

(ख) उसकी सप्लाई के स्रोत क्या हैं ; और

(ग) क्या कारण है कि वे स्रोत घरेलू तथा औद्योगिक खपत के लिए उतने अविश्वसनीय हो गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) इस समय दिल्ली में बिजली की कुल आवश्यकता प्रतिदिन लगभग 6 से 6.5 मिलियन यूनिट के बीच रहती है और दिल्ली के निकटवर्ती हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत तथा बहादुरगढ़ की औद्योगिक बस्तियों की कुल आवश्यकता लगभग 2 मिलियन यूनिट प्रतिदिन रहती है। दिल्ली की आवश्यकता इन्द्रप्रस्थ और राजघाट विद्युत केन्द्रों से (जिनकी कुल प्रतिष्ठापित क्षमता, हरियाणा के हिस्से को छोड़कर लगभग 250 मै०वा० है) और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से होने वाली बिजली की सप्लाई से पूरी की जाती है। व्यस्ततम समय में भाखड़ा-नंगल प्रणाली से भी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा सहायता ली जाती है और इस प्रकार ली गई ऊर्जा रात्रि के समय भाखड़ा प्रणाली को वापस कर दी जाती है।

दिल्ली की निकटवर्ती हरियाणा की औद्योगिक बस्तियों की बिजली की आवश्यकता फरीदाबाद स्थित 130 मेगावाट के विद्युत केन्द्र में हरियाणा के अपने विद्युत उत्पादन से, इन्द्रप्रस्थ केन्द्र के विद्युत उत्पादन में अपने हिस्से से तथा भाखड़ा नंगल प्रणाली से उत्पन्न बिजली में अपने हिस्से से पूरी की जाती है।

इस क्षेत्र में घरेलू और औद्योगिक उपभोग के लिए बिजली की सप्लाई में समय-समय पर महसूस की गई कठिनाइयों के लिए कारण निम्नलिखित हैं:--

(1) ताप विद्युत केन्द्रों में नई-नई चालू की गई उत्पादन यूनिटों का जबरन बन्द हो जाना।

(2) गोविन्दसागर जलाशय में कम अन्तर्वाह के कारण भाखड़ा में विद्युत उत्पादन कम होना।

(3) प्रणाली में पारेषण और वितरण क्षमता का अपर्याप्त होना।

ताप विद्युत केन्द्रों में अपर्याप्त उत्पादन होने की स्थिति में और पारेषण तथा वितरण व्यवस्था की कमियों में सुधार एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का निष्पादन सोपानबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

कुड्डप्पा रेडियो स्टेशन में स्टेशन डायरेक्टर

5102. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुड्डप्पा रेडियो स्टेशन में स्टेशन डायरेक्टर हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) आकाशवाणी, कुड्डप्पा के लिए केन्द्र निदेशक का फिलहाल कोई स्वीकृत पद नहीं है।

कुड्डप्पा हैदराबाद का सहायक केन्द्र है और यह कुछ कार्यक्रम मूल रूप से प्रसारित करता है, अतः वहां के लिए सहायक केन्द्र निदेशक का पद स्वीकृत है।

आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा केरल से बिजली की खरीद

5103. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड ने वर्ष 1974-75 के दौरान केरल से बिजली खरीदी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु ग्रिड लाइनों से केरल की बिजली की पारेषण की सुविधा के लिए लाइन प्रभार सहित सेवा प्रभार मांगा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) और (ख) 1974-75 में केरल ने अपनी आवश्यकता से अतिरिक्त 66.326 मिलियन यूनिट जल-विद्युत ऊर्जा आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक को दी। अक्तूबर, 1974 से जून, 1975 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु प्रणालियों ने अपनी-अपनी कमियों की प्रतिशतता के अनुपात में इस ऊर्जा को बांटा था। इस प्रक्रिया के दौरान बिजली पहुंचाने के लिए तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने किसी प्रकार के शुल्क नहीं लगाए।

More time for Devotional Songs in A. I. R.

5104. **Dr. Ramji Singh**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government proposed to allot more time to patriotic, devotional and other songs based on social changes in the programmes of A. I. R. in place of light film songs;

(b) if so, when the new programme will be introduced; and

(c) whether depiction of Indian culture in films will be against the national interest; if not, the action being taken by Government to check the distortion in the presentation of the image of Indian gods, goddesses and dress and erosion of values of our family life in films?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) While no specific proposal is under consideration, All India Radio has recently, through its choral groups, made special efforts to popularise singing of patriotic songs with nationalistic and other themes of social relevance.

(b) Does not arise.

(c) There is no bar to depiction of Indian culture in films.

All films presented for censorship are examined and dealt with by the prescribed authority in accordance with the provisions of the Cinematograph Act, 1952 and the Rules and Directions made thereunder. Under the Directions issued to the Board of Film Censors, indecent portrayal of national institutions, traditions, customs, and culture, in films is to be treated as objectionable.

गुजरात में नमक उद्योग

5105. **श्री अनन्त दवे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में नमक उद्योग बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है और वर्षा के कारण करोड़ों रुपए का नमक वह गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस उद्योग की सहायता करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस): (क) नमक आयुक्त को हाल ही में इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि जून 1977 में हुई भारी वर्षा के कारण गुजरात के सुरेन्द्र नगर और सौराष्ट्र जिले के क्षेत्रों में नमक कारखाने (वर्कस) और नमक के भण्डारण को कुछ क्षति पहुंची है। नमक आयुक्त क्षति को आंक रहे हैं।

(ख) सरकार लाइसेंस प्राप्त उन नमक उत्पादकों को जिनके नमक क्षेत्रों को साइक्लोन, बाढ़ और वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति पहुंचती है, नमक विभाग द्वारा आंकलन कर लिए जाने के बाद उनकी इस प्रकार हुई क्षति के 75% की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह अनुदानों अथवा ऋणों के रूप में सहायता प्रदान करती है। किन्तु वर्षा के कारण नमक वह जाने के कारण हुई क्षति को पूरा करने के लिए कोई सहायता नहीं दी जाती है।

विरोधी दलों द्वारा रेडियो पर प्रसारण

5106. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किस आधार पर विरोधी दलों को रेडियो से प्रसारण करने का अवसर दिया है और इस बारे में अन्य लोकतांत्रिक देशों में किस प्रकार का प्रावधान है ; और

(ख) राजनीतिक दलों को किस मानदण्ड के अनुसार समय आवंटित किया जाएगा तथा निर्दलीय नेताओं, सामाजिक संगठनों, वाणिज्यिक संगठनों, शिक्षा संस्थाओं आदि का समय आवंटित करने के क्या नियम हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं, आदि के हाल ही के चुनावों के लिए उन राजनीतिक दलों, जो निर्वाचन आयोग से मान्यताप्राप्त थे, को आकाशवाणी से अपने दृष्टिकोण प्रसारित करने के लिए समान अवसर दिया गया था। इस संबन्ध में निर्णय, निर्वाचन आयोग और मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के बाद लिया गया था।

विश्व के अन्य देशों में प्रचलित प्रथा मालूम की जा रही है और इस संबन्ध में एक विवरण बाद में उपलब्ध किया जायेगा।

(ख) कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं, आदि के हाल ही के चुनावों के लिए प्रत्येक पात्र मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल को आकाशवाणी से प्रसारण के लिए पन्द्रह पन्द्रह मिनट के दो दौरों में आधे घंटे का समय आबंटित किया गया था। विभिन्न दल किस क्रम में प्रसारित करें इसका निर्णय संबन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में लाटरी डालकर किया गया था। निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए कोई समय आबंटित नहीं किया गया था।

सामाजिक संगठनों, वाणिज्यिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं, आदि को समय आबंटित करने का प्रश्न उपर्युक्त संदर्भ में नहीं उठता।

Order placed with American Universal Company, Faridabad

5107. **Shri Manohar Lal**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether G. M. of H. A. L. Kanpur had placed order worth Rs. 8 lakhs with American Universal Company, Faridabad at the instance of Sanjay Gandhi;

(b) whether order placed with Scooters India (a public undertaking) was for Rs. 3 lakhs only and an amount of Rs. 1 lakh was paid to American Universal Company, Faridabad, in advance in violation of rules; and

(c) whether this company should have deposited the security money?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) In March, 1977, Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur, placed an order of the value of Rs. 7.32 lakhs on M/s. American Universal Company, Faridabad for tooling and fabrication of certain parts. There is no reason however to imply that the order was placed at the instance of Shri Sanjay Gandhi

(b) The value of the proposed order under discussions with M/s. Scooters India Ltd., for tooling and fabricated parts was Rs. 9.27 lakhs. No order was placed on them as their price and delivery terms were not as favourable as those of M/s. American Universal Company. An advance of Rs. 1 lakh was paid to M/s. American Universal Company against a Bank guarantee for the same amount, in accordance with the normal practice.

(c) In view of the Bank guarantee having been furnished by M/s. American Universa Company, the question of obtaining security money from the firm did not arise.

Manufacture of HS-748 Passenger Aeroplane

5108. **Shri Manohar Lal:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the reasons for which the manufacture of HS-748 passenger aeroplane is being stopped in H. A. L., Kanpur when nowhere in the country as a whole passenger aeroplanes are manufactured?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): The manufacture of HS-748 Passenger Aeroplane in Hindustan Aeronautics Limited, Kanpur has been suspended in the absence of orders from the Indian Airlines or from any other user/customer.

भूतपूर्व मंत्रियों के साथ सम्बन्द्ध अधिकारियों के विरुद्ध की गई जांच

5109. **श्री मनोहर लाल :**

श्री नथुनी राम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस सरकार के भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा मंत्रियों के साथ सम्बद्ध विशेष सहायकों/अतिरिक्त निजी सचिवों तथा अन्य राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध कोई जाँच की जा रही है ;

(ख) क्या उन्होंने अपनी उन आस्तियों का ब्यौरा दे दिया है जो उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्राप्त की थीं और यदि हां, तो इन आस्थियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भूतपूर्व प्रधान मंत्री एवम् अन्य मंत्रियों के कितने विशेष सहायकों/निजी सचिवों ने सरकार में परिवर्तन के बाद अपने त्याग-पत्र दे दिये हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) अनुमानतः प्रश्न में उन राजपत्रित अधिकारियों की ओर संकेत है, जो संसद् के पिछले आम चुनाव से तुरन्त पहले भूतपूर्व मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त थे।

संगत सूचना एकत्रित की जा रही है।

भूतपूर्व मंत्रियों के कहने पर केन्द्र में लाये गये अधिकारी

5110. **श्री मनोहर लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति के दौरान भूतपूर्व मंत्रियों के कहने पर उप-सचिव तथा उससे ऊपर की श्रेणी के कितने अधिकारी केन्द्र में लाये गये ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

आपात काल के दौरान नजरबन्द रहे संसद् सदस्य

5112. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल के दौरान कितने संसद् सदस्य नजरबन्द रखे गए, उनके नाम क्या हैं, कितने समय तक वे नजरबन्द रहे और उन्हें किस-किस स्थान पर रखा गया ;

(ख) जेलों में उन बन्दियों को क्या सुविधायें दी गयीं ;

(ग) उनमें से प्रत्येक को कितना दैनिक अथवा मासिक भत्ता दिया गया ;

(घ) क्या सरकार को इनमें से किसी सदस्य के द्वारा कारागार की अवधि में पुलिस के दुर्व्यवहार के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या इन संसद सदस्यों को नजरबंदी के दौरान संसद सदस्य के रूप में संसद से अपना वेतन लेने की अनुमति थी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उपलब्ध सूचना के अनुसार आपातकाल के दौरान 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक 49 संसद सदस्यों को नजरबन्द किया गया था। उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्रम सं०	नाम	क्या मीसा/कोफेमोसा के अधीन नजरबन्द किये गये थे ।
1	2	3
1.	श्री मोहन धारिया	मीसा
2.	श्री मुखत्यार सिंह	–तदैव–
3.	श्री जनेश्वर मिश्र	–तदैव–
4.	श्री महादीपक सिंह	–तदैव–
5.	श्री राम रतन शर्मा	–तदैव–
6.	श्री ए० के० गोपालन	–तदैव–
7.	श्री शरद यादव .	–तदैव–
8.	श्री बालकृष्ण पिल्ले	–तदैव–
9.	श्री ज्योतिर्मय बसु .	–तदैव–
10.	श्री मधु दण्डवते .	–तदैव–
11.	श्री श्याम नन्दन मिश्र	–तदैव–
12.	श्री अटल बिहारी बाजपेयी .	–तदैव–
13.	श्री मधुलिमे . .	–तदैव–
14.	श्री हुकमचन्द कछवाई .	–तदैव–
15.	श्री जगन्नाथ राव जोशी	–तदैव–
16.	श्री लक्ष्मीनारायण पांडे	–तदैव–
17.	श्रीमती विजय राजे सिंधीया	–तदैव–
18.	श्री नरेन्द्र सिंह	–तदैव–

1	2	3
19. श्री चीती बाबू		—मीसा—
20. श्री नूरूल हूडा		—तदैव—
21. श्री मोरारजी देसाई		—तदैव—
22. श्री रामधन		—तदैव—
23. श्री पीलू मोदी		—तदैव—
24. श्री समर गुहा		—तदैव—
25. श्री भगीरथ भैरव		—तदैव—
26. श्री मुरामोली मरन		—तदैव—
27. श्री पी० ए० स्वामीनाथन		—तदैव—
28. श्री टी० एस० लक्ष्मनन		—तदैव—
29. श्री फूलचन्द वर्मा		—तदैव—
30. श्री ईश्वर चौधरी		—तदैव—
31. श्रीमती शकुन्तला नैय्यर		—तदैव—
32. श्रीमती गायत्री देवी		कोफेमोसा
	राज्य सभा	
1. श्री एल० के० अडवानी		मीसा
2. श्री वी० के० सकलेचा		—तदैव—
3. श्री रबी राय		—तदैव—
4. श्री चन्द्र शेखर		—तदैव—
5. श्री राजनारायण		—तदैव—
6. श्री कृष्ण कान्त		—तदैव—
7. श्री के० चन्द्रशेखरन		—तदैव—
8. श्री शामभाजी राव अंगरे		—तदैव—
9. श्री भैरव सिंह शेखावत		—तदैव—
10. श्री बनारसी दास		—तदैव—
11. श्री महादेव प्रसाद वर्मा		—तदैव—
12 श्री वीरेन जे० शाह		—तदैव—
13. श्री एस० एम० मरीस्वामी		—तदैव—
14. श्री एम० कमलानाथन		—तदैव—
15. प्रो० रामलाल पारीख		—तदैव—
16. श्री सुन्दर सिंह भंडारी		—तदैव—
17. श्री के० नागप्पा अलवा		—तदैव—

'फ्रीडम एट मिडनाइट' में तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किया जाना

5113. **श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा:** क्या गृह मंत्री 'फ्रीडम एट मिडनाइट' में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किये जाने के बारे में 11 अगस्त, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 222 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'फ्रीडम एट मिडनाइट' नामक पुस्तक में अत्यन्त महत्वपूर्ण, घातक विरूपण, झुठलाकर प्रस्तुत किये गये तथ्य कौन कौन से हैं ;

(ख) पुस्तक के लेखक को यात्रा, आवास, प्रकाशित रिकार्ड तथा सरकारी फाइलों के संदर्भ, राष्ट्रीय अभिलेखागार के पत्र व्यवहार अथवा अन्य हस्तलिपियों को देखने जैसी यदि कोई सुविधा दी गई थी, तो वे क्या हैं ;

(ग) क्या यह पुस्तक ग्रंथालयों आदि के लिये स्वीकृत की गई है और सरकार ने अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अन्य संस्थानों ने इसकी कितनी प्रतियां खरीदी थीं ; और

(घ) ऐसी अत्यधिक छुद्र पुस्तकों को हतोत्साहित करने तथा सही इतिहास, सच्चे तथ्य तथा देश वास्तविक बिम्ब प्रस्तुत करके ऐसी पुस्तकों के कुप्रभाव को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) यह अपने अपने मत की बात है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी एजेंसियों द्वारा लेखकों को ऐसी कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई

(ग) देश में ऐसे बहुत से पुस्तकालय हैं जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकार में हैं अथवा उनसे सहायता प्राप्त करती हैं। पुस्तकें पुस्तकालयों द्वारा अपनी क्रिया विधि के अनुसार खरीदी जाती हैं।

(घ) लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ऐतिहासिक घटनाओं की अपने तौर पर व्याख्या: करने की स्वतंत्रता है। किन्तु यदि कोई प्रकाशन किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे जब्त करने और उपयुक्त मामलों में मुकदमा चलाने की कार्यवाही की जा सकती है ।

राजनैतिक साहित्य का निर्यात

5114. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस, पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, अमरीका, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी द्वारा प्रति वर्ष भारत को हजारों प्रकार का राजनीतिक साहित्य, पुस्तकें और पत्रिकाएं निर्यात की जाती हैं ;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश राजनीतिक साहित्य न तो उच्च कोटि के राजनीतिक साहित्य की श्रेणी में आता है और न ही मानक मानदंड की श्रेणी में आता है अपितु सस्ते राजनीतिक प्रचार से भरा पाया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त देशों ने गत तीन वर्षों के दौरान भारत को ऐसा कितना राजनीतिक साहित्य निर्यात किया ;

(घ) क्या ऐसा साहित्य या तो मुफ्त में दिया जाता है या सहायता प्राप्त दरों से पर बेचा जाता है ; और

(ङ) यदि हां तो भारत की कौन-कौन सी कम्पनियां अथवा व्यक्ति ऐसा निर्यात प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे आयात व्यापार की शर्तें क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह अपने-अपने मत की बात है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कुछ साहित्य मुफ्त वितरित किया जाता है तथा ऐसे कुछ प्रकाशन सस्ती दरों पर बेचे जाते हैं।

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी सूचना एकत्र नहीं की जा रही है।

भारत स्थित विदेशी दूतावासों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन

5115. **श्री समर गुह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, रूस, पूर्वी जर्मनी, उत्तरी कोरिया, क्यूबा, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी जैसे भारत स्थित विदेशी दूतावासों ने गत तीन वर्षों के दौरान (मासिक, पाक्षिक तथा साप्ताहिक) पुस्तकों, विवरणिकाओं और पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया ;

(ख) यदि हां, तो (एक) उनके द्वारा प्रकाशित ऐसा मुद्रित अथवा साइक्लोस्टाइल्ड साहित्य कौन सा है और (दो) उनके द्वारा इसी अवधि में पृथक-पृथक रूप से प्रकाशित भिन्न-भिन्न पुस्तकों, विवरणिकाओं और पत्र-पत्रिकाओं के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसी पुस्तकों, विवरणिकाओं और पत्र-पत्रिकाओं के भारतीय मुद्रकों और प्रकाशकों के नाम क्या है ; और

(घ) उपरोक्त दूतावासों को अपनी पुस्तकों, विवरणिकाओं और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए किस प्रकार की कानूनी औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) विदेशी दूतावासों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वे अपने प्रकाशनों को प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत पंजीकृत करवाएं या इस प्रकार के प्रकाशनों के बारे में घोषणा-पत्र दाखिल करें। तथापि, इनमें से ऐसे प्रकाशनों को, जिनके बारे में दूतावास डाक रियायतें लेना चाहते हैं, भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराना होता है। अतः इस मंत्रालय में सूचना केवल उन्हीं नियतकालिक पत्रों के बारे में उपलब्ध है जो डाक रियायतों के लिए भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत हैं । इन नियतकालिक पत्रों में से इस प्रकार के नियतकालिक पत्रों के बारे में वर्ष 1974, 1975 और 1976 से संबन्धित अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया हुआ है। [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल टी०-851/77]

केरल के समुद्र तट में पाये जाने वाले रेडियो एक्टिव कच्चे माल से यूरेनियम तैयार करना

5116. श्री समर गुह : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु उर्जा आयोग केरल के समुद्र तट में पाये जाने वाले रेडियो एक्टिव कच्चे माल से यूरेनियम-233 तैयार करने में सफल हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे तैयार करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या परमाणु उर्जा आयोग ने इसे बड़े पमाने पर तयार करने और उसका स्टाक करने की तकनीक प्राप्त कर ली है ;

(घ) क्या इसके उपयोग के लिये 'ब्रीडर रिएक्टर' सहित नये प्रकार के 'रिएक्टर' की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं और यूरेनियम-233 के उपयोग के लिये क्या योजना हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) तटवर्ती रेत से पृथक किये गये थोरियम से ईंधन तैयार किया जाता है और उसे किरणित किया जाता है। किरणित थोरियम के ईंधन को घोला जाता है और यूरेनियम-233 को एक रासायनिक विलायक का प्रयोग करके निष्कर्षण प्रक्रिया द्वारा पृथक कर लिया जाता है।

(ग) इस प्रक्रिया का प्रथम परीक्षण प्रयोगशाला के स्तर पर किया गया था और तदुपरान्त एक पायलट संयंत्र के पैमाने पर। आवश्यकता पड़ने पर इसका संसाधन बड़े पैमाने पर करने हेतु अपेक्षित तकनीक और विशेषज्ञता का विकास कर लिया गया है।

(घ) कलपक्कम में निर्माणाधीन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में किरणित थोरियम के तथा समाच्छद का प्रयोग करके, प्रगत तापीय रिएक्टरों में उपयोग करने हेतु, ।

(ङ) यूरेनियम-233 उत्पन्न करने का प्रस्ताव है।

मद्रास में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण एकक

5117. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मन्युफक्चरिंग कम्पनी ने माइन कलर पाजिटिव के कन्वर्शन, एक्स-रे फिल्मों के प्रसार और औद्योगिक एक्स-रे तथा ग्राफिक आर्ट फिल्मों के निर्माण के लिए मद्रास में एक नया कारखाना स्थापित करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कारखाना कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) उस पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाडीज) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा परियोजना की अंतिम अनुमति दिये जाने के दस महीने के पश्चात्।

(ग) 210 लाख रुपये।

आशय पत्र जारी करना

5118. **क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वित्तीय वर्ष में 545 आशय-पत्र जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से अब तक अर्थात् जून, 1977 तक ऐसे कितने हैं जिनके बारे में उत्तर प्राप्त हो गये हैं ;

(ग) उन व्यक्तियों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने की प्रक्रिया क्या है जिनको ये आशय-पत्र जारी किये जाते हैं ;

(घ) उन में से कितने व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किये गये थे और वे कब तक जारी कर दिये जायेंगे ; और

(ङ) क्या सरकार इस वर्ष तब तक कोई आशय-पत्र जारी न करने पर विचार कर रही है जब तक गत वर्ष के कोटे का पूरा उपयोग न कर लिया जाये ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) कलेण्डर वर्ष 1976 में कुल मिलाकर 547 आशय-पत्र जारी किये थे।

(ख) और (ग) सामान्यतः आशय-पत्र की वैधता 12 महीनों तक रहती है। इस अवधि के भीतर पार्टियों को आशय-पत्र में दी गयी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। जैसे ही पार्टी शर्तें पूरी कर लेती है वह सरकार को आशय-पत्र के औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने हेतु आवेदन पत्र देती है। यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि पार्टी ने शर्तें पूरी कर ली है तो एक औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिया जाता है ।

(घ) केलेण्डर वर्ष 1976 में जारी किये गये 547 आशय-पत्रों में से अभी तक 106 आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया है। जब और जैसे संबन्धित पार्टियां आशय-पत्रों में दी गयी शर्तें पूरी कर लेंगी शेष मामलों में भी औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिये जायेंगे।

(ङ) औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रों का मिलना तथा आशय-पत्रों का जारी किया जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा आशय-पत्र दिये जाने के संबन्ध में कोई वार्षिक कोटा अथवा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। अतएव आशय-पत्र जारी किये जाने को आगे निलंबित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जहाजों की खरीद

5119. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों में जहाजरानी कम्पनियों ने विदेशों से 350 करोड़ रुपयों के मूल्य के जहाज खरीदे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या 16 बड़ी जहाजरानी कम्पनियां ने विस्तृत विस्तार कार्यक्रम तैयार किय है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1975-76 और 1976-77 में विदेशों से खरीदे गए अथवा आदेश दिए गए जहाजों का मूल्य 372 करोड़ रु० आता है । हम अभी पांचवीं योजना के चौथे वर्ष में हैं ।

(ख) और (ग) कुल मिलाकर 23 नौवहन कम्पनियों ने अस्थाई रूप से सूचित किया है कि उनका लगभग 588 करोड़ रु० मूल्य के 14 लाख डी डब्ल्यू टी के 98 जहाजों के खरीदने का प्रस्ताव है। मोटे तौर से कम्पनियों का लाइनरों, खुले माल वाहकों तथा विशेष प्रकार के जहाजों को खरीदने का प्रस्ताव है।

Freedom Fighters amongst Members of Parliament

5120. **Shri Mritunjay Prasad Varma:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased **to** state:

(a) whether any Hon'ble Member of Fourth, Fifth and Sixth Lok Sabha and any Hon'ble Member of Rajya Sabha during the period 1966 to 1977 has been honoured with the award of Tamrapatra and grant of pension; and

(b) if so, their names?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): (a) & (b) Yes, Sir. Three statements containing the available information are placed on the Table of the House. **[Placed in the Library.** *See* **No. LT-852/77]**

आयुध कारखानों में कार्यभार

5121. **श्री सौगत राय :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को ईशापुर, कानपुर और त्रिची में लघु अस्त्रों का निर्माण कर रहे आयुध कारखानों में कार्यभार कम होने का पता है;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों को काम देने के लिए उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ; और

(ग) उसका क्या ब्यौरा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ग) रायफल फैक्टरी, ईशापुर, स्माल आर्मस फैक्टरी, कानपुर और आयुध कारखाना त्रिची में 1978-79 तक की अवधि के लिए पर्याप्त कार्य है। तथापि, आगे के लिए आदेशों की कमी है। इस समस्या का सामना करने के लिए इन कारखानों में छोटे हथियारों की श्रेणी में आने वाली कुछ अतिरिक्त मदों के निर्माण का कार्य स्थापित किया जा रहा है। सहयोगी आयुध कारखानों तथा साथ ही अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उपकरण निर्माण करने की भी योजना बनाई जा रही है।

कलकत्ता में आयुध कारखाना महानिदेशालय के लिये नई इमारत

5122. **श्री सौगत राय :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में आयुध कारखाना महानिदेशालय की एक नई मुख्यालय इमारत बनाने का का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित की गई है ; और

(ग) इस मामले में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :(क) जी, हां।

.(ख) जी, हां।

(ग) आयुध कारखाना महानिदेशालय के मुख्यालय के लिए 10-ए आकलैण्ड रोड, कलकत्ता में एक नया भवन बनाने का प्रस्ताव है। वास्तविक क्षेत्र, विद्युत पूर्ति आदि की आवश्यकताओं का पता लगाने का आवश्यक जीवन संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है और इसके लिए प्रारम्भिक अनुमान तैयार कर लिए गए हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को बिहार कोलियरी कामगार यूनियन से अभ्यावेदन

5123. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (धनबाद) की अमलाबाद कोलियरी संबंधी बिहार कोलियरी कामगार यूनियन की ओर से दिनांक 26 जून, 1977 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) बिहार कोयला खान कामगार यूनियन की अमलाबाद शाखा से एक अभ्यावेदन दिनांक 28 जून, 1977 को प्राप्त हुआ है।

(ख) उसमें उठाए गए मद्दों तथा उनपर की गई कार्यवाही का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. कामगारों का तबादला :

अभ्यावेदन में ग्यारह व्यक्तियों के नाम हैं जिनका अमलाबाद से तबादला किया गया है। इन लोगों का तबादला काम की जरूरतों को देखते हुए दूसरी खानों में कर्मचारियों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। फिर भी दो कामगारों को उनकी आयु आदि का विचार करते हुए सहानुभूति के आधार पर तबादला करके अमलाबाद वापस भेज दिया गया है। एक अन्य व्यक्ति का तबादला उसके अपने अनुरोध पर जीलगोरा कर दिया गया है।

2. आकस्मिक कामगारों का नियमित किया जाना :

कम्पनी की नीति के अनुसार ऐसे आकस्मिक कामगारों को 1-10-1976 से नियमित कर दिया गया था जिन्होंने स्थायी रिक्तियों पर 240 दिन की जमीनी अथवा 190 दिन की भूमिगत उपस्थिति पूरी कर ली थी। बाद में उन कामगारों को भी नियमित कर दिया गया जिन्होंने अलग-अलग कामों में उतने ही दिन की हाज़िरी पूरी कर ली थी। श्री शत्रुघन महतो तथा श्री राम जतन भुइया का मामला दूसरे वर्ग में आता है। तदनुसार इन दो व्यक्तियों को क्रमश: 8-1-77 तथा 2-3-77 से नियमित कर दिया गया। श्री राजेन्द्र कौरी, श्रीमती निहाली राजवरिन तथा श्रीमती सरोथी बौरिन के मामलों पर इसी प्रकार के अन्य आकस्मिक वैगन भरने वाले कामगारों के साथ नियमित करने पर विचार किया जा रहा है।

3. श्री जोखीमन हरिजन का हटाया जाना

इसकी सेवाएं एक जांच के बाद समाप्त की गई थीं और जांच के दौरान बचाव के लिए उसे पूरा मौका दिया गया था। फिर भी, सहानुभूति के आधार पर उसे सेवा में वापस ले लिया गया है।

4. श्री सीताराम प्रसाद का मामला :

उन्होंने कम्पनी की ऐच्छिक रिटायरमेन्ट स्कीम के अधीन अपना इस्तीफा दिया था जो स्वीकार कर लिया गया था। बाद में यह पाया गया कि वह इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते थे। अतः इस्तीफा वापस लेने की उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी।

5. **श्री बहाल चन्द्र, भूमिगत ट्रैमर का मामला :**

प्रबंध मंडल ने उसे नियमित कर्मचारी के रूप में वापस लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

6. **श्री धर्मदेव सिंह व श्री दलबीर सिंह के बारे में औद्योगिक न्यायाधिकरण नं० 1 के अवार्ड को लागू करना :**

मामले की जांच की जा रही है।

7. **सुरक्षा कार्मिकों के इस्तेमाल के लिये सहकारी समिति और कैन्टीन बनाना :**

एक केन्टीन शीघ्र चलाने तथा सहकारी समिति को फिर से चालू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय में स्टेनोग्राफरों का स्थायी किया जाना

5124. **श्री ए० के० राय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के अन्य संवर्गों से बुलाए गए और रक्षा मंत्रालय में कार्य कर रहे ग्रेड III के स्टेनोग्राफरों से जूनियर व्यक्तियों को स्थायी कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्थायी करने के अनुदेश जारी किए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अनुदेशों के बावजूद इस प्रकार बुलाए गए और रक्षा मंत्रालय में कार्य कर रहे स्टेनोग्राफरों को स्थायी नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्टेनोग्राफरों के साथ न्याय करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (घ) इसका संबंध उन 6 ग्रेड-III आशुलिपिक (5 खाद्य विभाग के तथा 1 शिक्षा विभाग के) से हैं जो इस ग्रेड के प्रारम्भिक गठन की तारीख 1-8-1969 से पहले की तारीखों से उधार स्वरूप रक्षा मंत्रालय में कार्य कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय से इन आशुलिपिकों को स्थायी आधार पर खपा लिए जाने का अनुरोध किया गया है। यद्यपि वे ऐसा करने के लिए सहमत हैं किन्तु विवाद इस बात को लेकर है कि इन आशुलिपिकों को किस तारीख से खपाया जाए और स्थायी किया जाए, क्योंकि उनकी वरिष्ठता उस मंत्रालय के उन आशुलिपिकों की वरिष्ठता की तुलना में जो पहले से स्थायी किए जा चुके हैं, उनके संविलयन तथा स्थायी किए जाने की तारीखों पर निर्भर करती है। मामले पर अन्तर-विभागीय बैठकों में तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा बोर्ड द्वारा विचार किया गया है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा बोर्ड की सलाह के आधार पर रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि इन आशुलिपिकों को, रक्षा मंत्रालय में आशुलिपिकों को स्थायी किए जाने की तारीख अर्थात् 1-8-1971 से पूर्व की किसी तारीख से खपा लिया जाय जिससे कि वे 1-8-1971 से उस मंत्रालय के संवर्ग में स्थायी किए जा सकें और उनकी वरिष्ठता सुरक्षित रखी जा सके। रक्षा मंत्रालय में मामले पर विचार किया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारियों में स्वाधीनता सेनानी

5125. **श्री आर० के० महालगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकारी कर्मचारियों में ऐसे कर्मचारियों की काफी संख्या है जो स्वाधीनता सेनानी हैं और नवम्बर, 1948 तथा फरवरी, 1951 के सरकारी आदेशों के अधीन बिना आयु सम्बन्धी रियायत प्राप्त किए ही 31 दिसम्बर 1951 से पहले अधिक उम्र में सरकारी सेवा में आये थे ;

(ख) क्या इन सरकारी कर्मचारियों को जुलाई, 1975 के सरकारी आदेशों के अधीन पेंशन योग्य सेवा में पांच वर्ष जोड़े जाने के लाभों से वंचित किया जा रहा है,; और

(ग) यदि हां, तो इस अन्याय को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग) दिनांक 11 जुलाई 1975 के सरकारी आदेशों के अनुसार पेंशन के लिए अर्हक सेवा में रियायत, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दी जा सकती है, जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था और जो दिनांक 29-11-1948 तथा 14-2-1951 के अनुदेशों के अनुसार, आयु में छूट की रियायत का लाभ उठाकर सरकारी सेवा में आए थे। जो लोग निर्धारित आयु सीमा के भीतर सरकारी सेवा में आए थे, उन्हें इसी प्रकार की रियायत दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जिस समय तक वे सेवा-निवृत्त होते हैं, अथवा हो गए थे, उन्हें पूरी पेंशन मिल गई होगी।

जो स्वतंत्रता सेनानी बड़ी आयु में सरकारी सेवा में प्रविष्ट हुए थे, वे सरकारी आदेशों के अधीन उन्हें दी गई आयु सम्बन्धी छूट का लाभ उठाने के बाद साधारणतया ऐसा कर चुके होंगे। कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग के पास ऐसे व्यक्तियों के मामलों के बारे में सूचना नहीं है, जो आयु सम्बन्धी छूट के बिना बड़ी आयु में सरकारी सेवा में आए थे।

Checks on power consumption due to increase in oil price

5126. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether Saudi Arabia, etc. oil producing countries are considering increasing oi prices again and the countries like Soviet Russia, U. S. A. etc. have started exercising checks on power consumption in their countries; and

(b) if so, steps being taken or proposed to be taken by Government in this direction?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Saudi Arabia and U. A. E. are reported to have increased the crude price by 5% with effect from 1st July 1977. Countries like Soviet Russia, USA etc. are reported to be pursuing measures to conserve energy in various forms.

(b) In regard to oil, our National Energy Policy envisages that the policy for oil shall be to reduce the quantum of imports and maximise indigenous production and use of oil shall be substituted, wherever technically and economically feasible, by other forms of energy. Several steps have been taken to control the inessential consumption of petroleum products and to encourage use of alternative fuels like coal and soft coke. These include (i) fiscal and regulatory measures, (ii) measures to promote efficiency and economy in the use of petroleum products and (iii) substitution of various petroleum products by other fuels like coal, soft coke, electricity etc.

The National Energy Policy also envisages that energy production and utilisation must be made as efficient as possible. The possibilities of energy conservation in different sectors of the economy are being pursued. In regard to conservation of electrical energy, efforts are being taken to improve the efficiency and performance of power stations, reduce transmission and distribution losses and improve efficiency in the use of electricity.

आसाम में तेजु-साडिया सड़क

5127. **श्री के० बी० चेतरी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में तेजू-साडिया सड़क की देखभाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त उड़क की मरम्मत पर कितना धन खर्च हुआ ;

(ग) क्या उक्त सड़क पर वाहनों के चलने में अक्सर रुकावट बनी रहती है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रश्नगत सड़क असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों में पड़ती है और इसका रखरखाव अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित राज्यों द्वारा न कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रुफ और प्रयोग संस्थापन में रोजगार

5128. **श्री समरेन्द्र कुण्डू :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967, 1971 में और मार्च, 1977 को बालासौर स्थित प्रुफ और प्रयोग संस्थापन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था ; और

(ख) क्या बालासौर स्थित प्रुफ और प्रयोग विभाग के विस्तार की कोई योजनायें हैं और यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) प्रुफ और प्रयोग प्रनिष्ठान, बालसौर में नियुक्त कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	राजपत्रित	अराजपत्रित
1967 . .	17	691
1971 . . .	23	932
1977	26	1057

(ख) परास सुविधाओं तथा यांत्रिकरण को आधुनिक तथा अद्यतन बनाने की एक योजना है। इसका विस्तार करने के लिए इस समय कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

एच० एम० टी० ट्रैक्टरों का मूल्य

5129. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस्कार्ट तथा स्वराज्य ट्रैक्टरों की अश्व शक्ति के आधार पर उनकी कीमतों की तुलना में एच० एम० टी० के ट्रैक्टरों की अश्व शक्ति के आधार पर कीमतें क्या हैं ;

(ख) आयातित जेटोर ट्रैक्टर की उस समय की कीमत, जब इसका अंतिम बार आयात किया गया, उसकी वर्तमान कीमत की तुलना में क्या थी और अब जबकि यह यहां बनाया जा रहा है इसकी कीमत इतनी अधिक क्यों है ; और

(ग) पिंजौर एकक के प्रारम्भ से लेकर एच० एम० टी० ट्रैक्टरों की कीमतें कितनी बार बढ़ाई गई हैं और इस प्रकार बार-बार कीमतें बढ़ाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाडीज) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है:—

माडल	अश्वशक्ति	प्रति अश्व शक्ति चालू बिक्री मूल्य (गंतव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त)
एच० एम० टी० जीटर	25	1,542.80 रु०
एस्कार्ट्स-3036	35	1,167.34 रु०
स्वराज-724	23.6	1,549.87 रु०

(ख) तथा (ग) 1969-70 की आवश्यकताओं पर अंतिम बार आयात किए गए जीटर ट्रैक्टर का कारखाने से निकलते समय का मूल्य 17, 380 रुपये था। देश में निर्मित टैक्टर की कारखाने से निकलते समय की वर्तमान कीमत 33,700 रु० है। कीमत में वृद्धि कच्चे माल और हिस्से-पुर्जों का मूल्य बढ़ जाने के कारण हुई है। मुख्य रूप से कच्चे माल और हिस्से-पुर्जों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण जीटर ट्रैक्टर की कीमत जब से यह नवम्बर 1972 में पहली बार निर्धारित की गई थी, तब से सात बार बढ़ाई गई है।

ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये एच० एम० टी० के साथ विदेशी सहयोग

5130. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एच० एम० टी० जीटर ट्रेक्टरों के निर्माण के लिए किसी अन्य देश से कोई सहयोग करार व्यवस्था की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में हाइड्रालिक व्यवस्था के बिना एच० एम० टी० ट्रेक्टर सप्लाई किये गये थे; यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को इस प्रकार कितने ट्रेक्टर सप्लाई किये गये; और

(ग) क्या विदेशा सहयोगकर्ता और एच० एम० टी० के बीच कोई विवाद था जिसके कारण सहयोगकर्ता की तकनीकी सहायता के बिना हाइड्रालिक मशीनों का निर्माण नहीं किया जा सका; और यदि, हां तो इस समय उनके संबंध कैसे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाडीज) : (क) जी, हां। मे० हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड चेकोस्लोवाकिया के मे० मोटोकोव फारिन ट्रेड कारपोरेशन के सहयोग से जीटर ट्रेक्टर बना रहा है। करार इस आधार पर मंजूर किया गया था कि $2\frac{1}{2}\%$ की दर से (कर योग्य) रायल्टी होगी और टैक्नीकल डाकूमेंटेशन की सप्लाई के लिए 9.80 लाख रुपये और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 4.12 लाख रुपये की एकमुश्त अदायगी करनी होगी।

(ख) जी, हां। मे० हिमटू ने राज्य कृषि उद्योग निगमों को बिना हाइड्रालिक वाले 1543 ट्रैक्टर सप्लाई किए थे। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

हिमाचल प्रदेश	20
आंन्ध्र प्रदेश	28
बिहार	84
चण्डीगढ़	35
गुजरात	14
हरियाणा	299
जम्मू एण्ड कश्मीर	5
महाराष्ट्र	7
मध्य प्रदेश	126
दिल्ली	100
पंजाब	341
राजस्थान	76
कर्नाटक	133
उत्तर प्रदेश	275
योग	1,543

हाइड्रालिक अब दे दिए गए हैं और इन सभी ट्रक्टरों में लगा दिए गए हैं ।

(ग) जी, नहीं। सहयोगियों ने हाईड्रोलिकों को देश में ही बनाने के लिए तकनीकी सहायता दी थी।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में ट्रैक्टरों का उत्पादन

5131. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजौर में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई और गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उसमें कितनी आय हुई;

(ख) अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में 31 मार्च, 1977 तक प्रत्येक वर्ष कितने ट्रैक्टर बनाए गये और विभिन्न वर्षों में क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(ग) इस एकक के कार्य निष्पादन एवं ट्रेक्टरों की किस्म में सुधार लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने ट्रेक्टर डिवीजन, पिंजौर में 31-3-77 तक कुल 1196 लाख रुपये लगाए हैं। गत तीन वर्षों में आय की दर निम्नलिखित रही है :

वर्ष	आय की दर
1974-75 . .	22%
1975-76	4%
1976-77	अभी लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है:—

वर्ष	उत्पादन	अधिष्ठापित क्षमता
1974-75	6,800 नग	8,000 नग
1975-76	7,000 नग	8,000 नग
1976-77	4,500 नग	8,000 नग

क्षमता का न्यून उपयोग आंशिक रूप से इस रेंज में अन्य एककों द्वारा निर्मित ट्रैक्टरों की उपलब्धता में में सुधार होने के कारण और आंशिक रूप से देशी स्त्रोतों से हाइड्रोलिकों के सम्भरण में विलम्ब होने के कारण हुआ है।

(ग) हाइड्रालिकों के निर्माण और सम्भरण के लिए देशी स्त्रोत स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। जटिल प्रकार के हिस्से पुर्जो जैसे एजीबेंट्स ऑफ हाइड्रालिक हाउसिंग का निर्माण पिंजौर में स्थापित किया गया है। अधिक अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए उत्पादन में विविधता लाई जा रही है। आर० एण्ड डी० सुविधाओं की स्थापना के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

कर्नाटक में ग्रामीण विद्युतीकरण पर शीट कैपैसीटरों की कमी का प्रभाव

5132. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्नाटक में शीट कैपैसीटरों की कमी है, जिससे ग्रामीण विद्युतीकरण शीघ्रता से नहीं हो रहा है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : स्पष्टतः प्रश्न में आशय "शन्ट कैपेसिटरों" से है। शन्ट केपेसिटरों की कमी के कारण कर्नाटक में ग्राम विद्युतीकांण की गति में बाधा नहीं आई है।

छोटे कागज संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

5133. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने पर कागज बनाने वाले संयंत्र अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त संयंत्रों की क्षमता के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस : (क) और (ख) 1976 की अवधि में छोटी कागज मिलों की क्षमता के उपयोग का प्रतिशत केवल 60% के करीब रहा है ; जबकि कागज उद्योग का समग्र क्षमता उपयोग करीब 80% रहा है । इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है:—

(1) मांग में बताई गई कमी ;

(2) बड़ी कागज मिलों से प्रतिस्पर्धा ;

(3) बिजली की कमी ;

(4) अलाभप्रद उत्पादन लागत ।

(ग) जहां तक बिजली की कमी का सम्बन्ध है ; केन्द्रीय सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों/राज्यों विद्युत बोर्डों पर कागज उद्योग को सामान्य रूप से और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के मामलों में बिजली की अबाध सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर डाला है ।

छोटी कागज मिलों द्वारा बड़ी कागज मिलों से सफलतापूर्वक होड़ करने और उनकी आर्थिक जीव्यता में सुधार करने के लिए चालू बजट वर्ष में उत्पादन संबंधी पर्याप्त रियायतों की घोषणा की गई है। मांग संबंधी स्थिति के कारण जिसमें सुधार के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहें हैं, छोटी कागज मिलों की क्षमता के उपयोग में वृद्धि हो जाने की आशा है।

नागरिक अधिकार आयोग

5134. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या गृह मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक नागरिक अधिकार आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है लेकिन प्रस्तावित आयोग इनमें से कुछ ग्रुपों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि उनका अभी तक भली भांति पता नहीं लगाया गया है ;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने भी पिछड़े वर्गों का पता लगा लिया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं और इस बारे में सरकार ने क्या मानदंड अपनाये हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) यह सुनिश्चत करने के लिए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य अल्पसंख्यक भेदभाव तथा असमानता से पीड़ित न हों, सरकार ने नागरिक अधिकार आयोग गठित करने का निर्णय किया है । इसका उद्देश्य संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को सही रूप से ध्यान में रखते हुये उनके अधिकारों को अच्छा संरक्षण सुनिश्चित करना है।

(ख) तथा (ग) विवरण संलग्न है [ग्रंन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 853/77]

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का विकास

5136. **श्री सूखेन्द्र सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर सरकार का कितनी राशि खर्च करने का विचार है ; और

(ख) इसका ब्यौरा है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के लिये एक जनजाति उपयोजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत वे सभी क्षेत्र आ जाते हैं जिनमें 50% से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है।

राज्य योजना से जनजाति उपयोजना में 210 कराड़ रुपये की राशि पांचवीं योजना में दी जायेगी। भारत सरकार द्वारा 50.57 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता की भी व्यवस्था की जायेगी। चालू वित्तीय वर्ष में जनजातीय उपयोजनाओं के लिये कुल 67.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसमें से 53.24 करोड़ रुपया राज्य योजना से और 14.41 करोड़ रुपया विशेष केन्द्रीय सहायता से होगा।

पांचवी योजना का तथा चालू वित्तीय वर्ष का भी क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

विवरण

पांचवीं योजना परिव्यय और राज्य योजना तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्षेत्र	राज्य योजना		विशेष केन्द्रीय सहायता	
	पांचवीं योजना परिव्यय	1977-78 के लिए परिव्यय	पांचवीं योजना परिव्यय	1977-78 के लिये परिव्यय
1 2	3	4	5	6
1. कृषि	67.55	18.77	25.26	8.00
2. सहकारिता	7.00	1.56	8.50	1.95
3. जल तथा विद्युत प्रभाग	56.50	15.57	—	—
4. उद्योग तथा खनिज पदार्थ . .	5.33	1.23	3.00	0.75
5. परिवहन तथा संचार व्यवस्था	20.00	3.42	3.00	0.98
6. सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं .	50.62	12.69	7.81	2.73
7. आर्थिक सेवाएं .	3.00	—	3.00	—
योग .	210.00	53.24	50.57	14.41

जनता रेफ्रिजिरेटर

5137. **श्री के० मलन्ना**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र राज्य के स्वामी स्वाधीन ऐल्विन मेटल वर्क्स लिमिटेड द्वारा हाल ही में एक कम मूल्य वाला 'जनता रेफ्रिजिरेटर' तैयार किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसका मूल्य क्या है और सार्वजनिक उपयोग के लिए यह संभवतः किस तारीख तक बाजार में आ जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडिस) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के स्वामित्व में मैसर्स हैदराबाद एलविन मेटल्स वर्क्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया (85 लिटर की क्षमता) का 'प्रिजर्व' नामक रेफ्रिजिरेटर अक्टूबर/नवम्बर 1976 में समस्त भारत में बिक्री के लिये रख दिया गया था। इसका कारखाने से निकलते समय का मूल्य 1,135 रुपये बताया गया है। भिन्न-भिन्न स्थानों पर उसका मूल्य उपभोक्ताओं के लिये अलग-अलग होता है जो भाड़ा, ढुलाई एवं स्थान से बाहर के अन्य खर्च जैसे स्टाकिंग, ब्याज, क्षेत्रीय कार्यालयों में बिक्री और अन्य खर्चे तथा अन्य स्थानीय करों आदि पर निर्भर करता है।

Assistance to Persons going from Patna to Farakka

5138. **Shri Ishwar Choudhary:** Will the **Minister of Shipping and Transport** be pleased to State:

(a) Whether any assistance is being given by the Government to persons going from Patna to Farakka through river Ganga; and

(b) If so, the details thereof?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटस आर्गेनाइजेशन के श्रमिक संघ के नेताओं द्वारा बारी बारी भूख हड़ताल

5139. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमैंन्ट्स आर्गेनाइजेशन नामक सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों के श्रमिक संघों के नेता गत पंद्रह दिनों से बारी बारी भूख हड़ताल कर रहे हैं ;

(ख) उनकी क्या मांगें हैं और श्रमिकों की यूनियन तथा कर्मचारियों की एसोसिएशन के साथ इस बारे में बातचीत कराने के क्या प्रयत्न किये गए हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि सी० एस० आई० आर० की अन्य यूनिटों की यूनियनें सी० एस० आई० ओ० के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन कर रही हैं; और

(घ) श्रमिकों द्वारा और आन्दोलन किये जाने को टालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) सदन के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

यह सूचित किया गया है कि केन्द्रीय उपकरण संगठन (सी० एस० आई० ओ०) चण्डीगढ़ के कुछ व्यक्ति जो अपने आपको "यूनियन" नेता के रूप में जाहिर करते हैं, वे 23 जून, 1977 से क्रमबद्ध उपवास पर हैं।

उनकी मुख्य मांगे और उनसे संबंधित सी० एस० आई० आर० की स्थिति नीचे प्रस्तुत है।

यूनियन की मुख्य मांगें	सी० एस० आई० आर० की स्थिति
क—सी० एस० आई० आर० को वैधानिक निकाय घोषित करना।	कई अवसरों पर इस प्रश्न पर विचार किया गया था और एक अन्वेषणात्मक निकाय के लिये ऐसा करना उपयुक्त नहीं पाया गया।
ख—सी० एस० आई० आर० कर्मचारी और कामकरों की यूनियनों, एसोसिएशनों और संवाद्धित एककों के संघ को मान्यता प्रदान करना।	चूंकि सी० एस० आई० आर० एक "उद्योग" नहीं है इसलिए टेड यूनियनों को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
ग—ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों के कारण सताये गये कर्मचारियों के दण्ड को समाप्त करना।	ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिये किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया गया।
घ—एक समान पदोन्नति की नीति	सी० एस० आई० आर० अनुसंधान और विकास के कार्य में लगा हुआ है जिसमें वैज्ञानिक तकनीकी और सहायक तकनीकी, प्रशासनिक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ऐसी संस्था में समस्त श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये पदोन्नति की एक समान नीति बनाना सम्भव नहीं हैं।

सी० एस० आई० आर के उपयुक्त निर्णय सी० एस० आई० आर० की समस्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों को भेज दिये गये हैं।

सी० एस० आई० ओ० क्लब का चुनाव केन्टीन सम्बन्धी उपयुक्त सुविधाएं, कर्मचारियों की सेवा स्थाई रूप से पुष्ट करना, आदि उनकी अन्य शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है।

सी० एस० आई० ओ० चण्डीगढ़ और सी० एस० आई० आर० के वरिष्ठ अधिकारी "यूनियन" के विभिन्न सदस्यों के साथ कई बार बैठकें कर चुके हैं। "यूनियन" नेताओं ने महानिदेशक—सी० एस० आई० आर० से भी नई दिल्ली में भेंट की थी। सी० एस० आई० आर० के उपाध्यक्ष और शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री ने भी दिनांक 13-7-77 को "यूनियन" के प्रतिनिधियों और सी० एस० आई० आर० के साथ बातचीत की थी।

निम्नलिखित गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसियेशनों से सी० एस० आई० आर० में पत्र प्राप्त हुए हैं।

1. केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
2. राष्ट्रीय धातुकर्मी प्रयोगशाला, जमशेदपुर

3. सी० एस० आई० आर० वैज्ञानिक कामगर संघ

4. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली

5. केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी

6. केन्द्रीय इलेक्ट्रो-रसायन अनुसंधान संस्थान, कराईकुडी

जिम्मेदारी तथाकथित "यूनियनों" की है। उन्हें इस स्थिति को समझना चाहिये कि एक वैज्ञानिक निकाय में वे यूनियन की तरह कार्य नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें सेवा संघों को मान्यताओं की शर्तों और औपचारिकताओं के अनुरूप कार्य करना चाहिये।

Development of Backward areas in the country

5140. **Shri S. S. Somani:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps to set up Development Boards at State and district level, like those set up at central level for the development of backward areas in the country; and

(b) if so, details thereof?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) Some State Governments have set up either statutory authorities or Advisory Councils/Committees/Boards to deal with the development of certain backward regions. Besides, the State Planning Boards/Commissions and District Planning Boards/Councils/Committees are also concerned with problems of especially backward areas within their jurisdictions.

(b) A statement is enclosed.

STATEMENT

Details of planning Machinery/Development Authorities

States

Andhra

I. State Planning Board.

II. (a) Three Regional Planning and Development Committees.

(b) Rayalaseema Development Board.

(c) Telengana Development Committee.

Assam

I. State Planning Board.

II. (a) Planning Board for Hill Areas of Assam.

(b) Planning & Review Boards at the Sub-Divisional level.

Bihar

I. State Planning Board.

II. Development Authority for Choota Nagpur and Santhal Parganas.

Haryana

I. State Planning Board.

II. (a) District Planning Advisory Board.

(b) District Planning Committees.

(c) District Executive Councils.

Himachal Pradesh

I. State Planning Board.

II. District Development Committees.

J & K

I. State Planning Board.

II. Distt. Planning Committees.

Karnataka

I. State Planning Board.

II. (a) District Planning Committees.

(b) District Development Councils.

Kerala

I. State Planning Board.

II. District Planning Unit at State level.

Madhya Pradesh

I. State Planning Board.

II. (a) District Planning Boards.

(b) District Planning Groups.

(c) Dandakarnya Development Authority.

Maharashtra

I. State Planning & Development Council.

II. (a) District Planning & Development Council.

(b) Marathawada Development Corporation.

(c) Development Corporation of Vidarbha.

(d) Development Corporation of Konkan.

(e) Western Maharashtra Development Corporation.

Manipur

State Planning Advisory Committee

Meghalaya

I. State Planning Board.

II. District Planning Board.

Nagaland

I. State Planning Board.

II. District Planning Board.

Orissa

I. State Planning Board.

II. (a) District Development Committees.

(b) District Development Boards.

Punjab

I. State Planning Board.

II. (a) District Planning Committee.

(b) Rural Development Board and Special Advisory Committee.

(c) Advisory Council for (i) Sub-Mountain areas, (ii) Border areas and (iii) Bet areas.

Rajasthan

I. State Planning Board.

II. (a) District Planning Committees.

(b) District Development Agencies.

Tamil Nadu

I. State Planning Commission.

II. (a) District Planning Cells.

(b) Development Corporation for Dharampuri.

Tripura

I. State Planning Board.

II. Block Development Committees.

Uttar Pradesh

I. State Planning Commission.

II. (a) Divisional Planning Committees.

(b) District Plan Implementation Committees.

(c) U. P. Hill Development Board.

(d) Two Regional Development Councils.

(e) Divisional Development Corporations.

West Bengal

I. State Planning Board.

II. (a) District Planning Committees.

(b) North Bengal Development Board.

(c) Sunderbans Development Board.

Abolition of post of Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

5141. **Shri Ram Lal Rahi:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the post of Commissioner for Scheduled Castes was created by U. N. O. for the welfare and uplift of Scheduled Castes;

(b) whether the Commission has completed his work and whether his post is being abolished on the directive of the U. N. O.; and

(b) if not, the reasons for abolishing it ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): (a) to (c) The Special Officer for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is appointed in pursuance of the provisions contained in Article 338 of the Constitution. His duties, as prescribed in the said article, are to investigate all matters relating to the safeguards provided for the scheduled castes and scheduled tribes and report to the President upon the working of those safeguards at such intervals as the President may direct. The post has not been created under any directive of the U. N. O. and the question of abolishing it on their directive does not arise.

देश में निर्मित उत्पादों पर विदेशी ब्रांड के नामों का प्रयोग

5142. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निर्मित उत्पादों पर विदेशी ब्रांडों के नामों का प्रयोग करने की अनुमति न देने का निर्णय किया है ,

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं जो देश में निर्मित अपने उत्पादों के लिए विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग कर रही हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानडीस) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकार की विद्यमान नीति के अधीन आमतौर पर विदेशी छापे नामों का आन्तरिक बिक्री के लिए किए गए उत्पादों के मामलों में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती जबकि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर इसका उपयोग करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इस नीति का पालन विदेशी सहयोग के लिए विदेशी विनियोजन बोर्ड द्वारा अनुमति देते समय तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28(1) (ग) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को निपटाते समय दोनों ही अवस्थाओं में किया जाता है। किन्तु विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28(1) (ग) केवल उसी मामले में लागू होती है जिसमें विदेशी व्यापार चिन्ह का प्रयोग करने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन शामिल होता है । "फारेन ट्रेड मार्क्स" की कानून में परिभाषा नहीं की गई है । किन्तु विदेशी व्यापार चिन्ह की आमतौर पर मान्यता यह है कि यह एक ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व वाला व्यापार चिन्ह है जिसकी कानूनी हैसियत एक विदेशी की होती है तथा इसी आधार पर अनेक विदेशियों ने भारत में

अपने व्यापार चिन्हों को पंजीयन करवा रखा है और अभी भी अपने व्यापार चिन्हों के पंजीयन के लिए वे आवेदन देते रहते हैं । व्यापार चिन्हों के रजिस्टर में दर्ज 88% व्यापार चिन्हों में से 31 मार्च, 1976 को विदेशी व्यापार चिन्हों की संख्या 28, 427 थी। 28, 427 पंजीकृत विदेशी व्यापर चिन्हों में से सभी का भारत में उपयोग नहीं किया जा रहा है । किसी व्यापार चिन्ह के उपयोग का प्रश्न केवल उसी स्थिति में पैदा होता है जबकि जिन वस्तुओं पर इसका उपयोग किया जा रहा है वे देश में बिक्री के लिए अथवा अन्य किसी भी व्यापारिक उद्देश्य के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि बिक्री के अलावा वस्तुओं के लिए व्यापार चिन्ह नहीं होता। व्यापार एवं पण्य चिन्ह अधिनियम के अन्तर्गत व्यापार चिन्हों के उपयोग के लिए (भारतीय अथवा विदेशी) पंजीयन कराना जरूरी नहीं है । यहां तक कि यदि व्यापार चिन्हों छापे के नामों का रजिस्टर्ड स्वामी अथवा रजिस्टर्ड उपभोक्ता अधिनियम के अधीन अपना पंजीयन नहीं कराते, फिर भी वे इन व्यापार चिन्हों का उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र हैं और उनके विरुद्ध व्यापार एवं पथ्य चिन्ह अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती । अधिनियम के अधीन पंजीयन न कराने के लिए मिलने वाला केवल कानूनी संरक्षण उन्हें नहीं मिलेगा । फिर भी उनके छापे के नामों के अतिलंघन का मामला सामान्य कानून के अन्तर्गत उठाया जा सकता है ।

आसाम के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

5143. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें आसाम के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जांच कराने का निर्णय किया है ;

(ग) जांच समिति कब तक नियुक्त की जायेगी ;

(घ) क्या उन सभी मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध, जो आपात काल के दौरान इस पद पर थे आरोप लगाये गये हैं और उनके विरुद्ध जांच बिठाने की बहुत मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सह) : (क), (ख) तथा (ग) : जी हां, श्रीमान । आरोपों के ज्ञापन पर सामान्य कार्य-विधि के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(घ) तथा (ङ): जी नहीं, श्रीमान् । उन सभी व्यक्तियों पर आरोप नहीं लगाए गए हैं, जो जून, 1975 में घोषित आपातस्थिति की अवधि के दौरान राज्यों के मुख्य मंत्रियों के पदों पर कार्य कर रहे थे।

कुछ मुख्य मंत्रियों तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, उन पर सामान्य कार्यविधि के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश, श्री जे०आर० विमादलाल तथा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री ए० एन० ग्रोवर की अध्यक्षता में दो जांच आयोग, क्रमशः आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the table

मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई की वर्ष 1975-76 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 831/77]

अन्दमान और निकोबार प्रशासन का वर्ष 1975-76 के लिये वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन और अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अन्दमान और निकोबार प्रशासन के वर्ष 1975-76 के वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 832/77]

(2) अखिल भारतीय सेवाऐं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 9 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 864 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 9 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 865 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) दसवां संशोधन विनियम, 1977, जो दिनांक 9 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 867 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छटा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 9 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 868 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 834/77]

राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 1 मई, 1975 से 31 मार्च, 1976 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई / देखिये सं० एल० टी० 834/77]

कागज (संरक्षण और उपयोग का विनियमन) आदेश, कागज (उत्पादन नियंत्रण) संशोधन आदेश आदि

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कागज (संरक्षण और उपयोग का विनियमन) आदेश, 1974 के खण्ड 5 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या मा० आ० 243(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई।

[ग्रंथालय में रखा गया / देखिये सं० एल० टी० 835/77]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत कागज (उत्पादन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 416 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया / देखिये सं० एल० टी0 836 /77]

(3) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 407 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें मैसर्स आन्ध्र साईंटिफिक कंपनी लिमिटेड मचिलीपटनम के प्रबन्ध पर नियंत्रण जारी रखने सम्बन्धी आदेश दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखा गया / देखिये सं० एल० टी० 837/77]

(4) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए / देखिए सं० एल० टी० 838/77]

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1976 का प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक भाग 4 और भाग 5) तथा सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं श्री एच० एम० पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक का वर्ष 1976 का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) --भाग चार-विभिन्न रुचिकर विषय तथा कम्पनी लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों का सार।

(दो) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1976 का प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक)--भाग पांच-मजगांव डाक लिमिटेड ।

[ग्रंथालय में रखे गये / देखिए सं० एल० टी० 839/77]

(2) सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:--

(एक) डाकघर बचत प्रमाण पत्र (संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 16 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 914 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (चौथा निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 16 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 915 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (पांचवां निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 16 जुलाई 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 916 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये / देखिए सं० एल० टी० 840/77]

कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, कलकत्ता (अब जिसका नाम कोल इंडिया लिमिटेड है) का वर्ष 1973-74 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, कलकत्ता (अब जिस का नाम कोल इंडिया लिमिटेड है) के 1 मई, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, कलकत्ता (अब जिस का नाम कोल इंडिया लिमिटेड है) का 1 मई, 1973 से 31 मार्च, 1975 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये / देखिए सं० एल० टी० 841/77]

(2) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(3) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 842/77].

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

चौथा प्रतिवेदन

श्री एम० गोपाल रेड्डी: (निज़ामाबाद) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

Sh. Mani Ram Bagri (Mathura) : I want to raise a point of clarification, we do not get replies of our calling attentions. I had given notice of a call attention regarding total prohibition.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं केवल एक मिनट चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देता।

श्री ज्योतिर्मय पसु : ....**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) उत्तर बिहार के कटिहार जिले में पटसन मिलों के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप 3,500 मजदूरों का बेरोजगार हो जाने का समाचार

Shri Yuvraj (Katihar): Sir, Bihar is the most backward state of this country. There is a big jute mill in Katihar in Northern Bihar in which 3500 workers are employed. Due to mismanagement and financial crisis this mill was closed down on 8-3-1976 resulting in

*प्रतिवेदन 11 अगस्त, 1976 को सभा पटल पर रखा गया था।

**अध्यक्ष के निदेशानुसार कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

Not recorded as ordered by the Chair.

unemployment of workers. The closure of this mill has also created a big crises for the farmors of the area particularly for three districts of Purnea, Katihar and Sharsa because jute is their only Cash Crop. The situation has become wrose with the closure of another jute mill in that area on the 14th July.

The workers are not getting their dues and they are facing starvation. One male and one female worker have died recently due to starvation. Let the Government take over these mills and run them properly otherwise the situation will become unbearable for the people of that area. The industries Commissioner of the former Government of Bihar had written to the Government of India that the State Government is not in a position to take over and run these mills. Therefore, I request the Govenment of India take them over and run these mills under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act so that the workers who have lost their jobs may be rehabilitated. The condition of workers has become pitiable.

(दो) **पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग में 28 जुलाई, 1977 से हड़ताल का समाचार**

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : पश्चिम बंगाल के समूचे पटसन उद्योग में कल से होने वाली हड़ताल की ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं । कल से 2 लाख कर्मचारी छंटनी, जबरी छुट्टी तथा बोनस की अदायगी न किये जाने के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं । हमने पटसन उद्योग का मामला सभा में कई बार उठाया है तथा वाणिज्य मंत्री ने छंटनी रोकने के लिए दृढ़ कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है।

कल के समाचार पत्रों में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य आया है कि 3 जुलाई को जब वाणिज्य मंत्री कलकत्ता आये थे तो उद्योगपतियों ने उन्हें वचन दिया था । लेकिन अब वे अपना वचन नहीं निभा रहे हैं । अतः अब वाणिज्य मंत्री को तुरंत उपाय करने चाहियें।

कर्मचारियों की बोनस सम्बन्धी मूल समस्या भी सुलझायी जानी चाहिये । मंत्री जी के कलकत्ता जाने के बाद से दो और मिलों ने तालाबंदी कर दी है । आशा है मंत्री जी कोई वक्तव्य देंगे जिससे श्रमिकों की समस्याएं सुलझायी जा सकेंगी ।

Sh. Hukam Dev Narain Yadav (Madhubani): Sir, in my areas also these are famine conditions and people are starving.

Mr. Speaker: This is a State subject.

चाय संशोधन विधेयक—जारी

TEA (AMENDMENT) BILL—Contd.

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर) : महोदय, असम और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में चाय ही मुख्य उपज है। 1833 के बाद से यहां चाय बागानों का विकास किया गया । अब तो यह कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है। उन दिनों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने चाय की खेती के विकास के लिए एक चाय समिति बनायी थी।

आजादी के बाद में चाय बोर्ड ने चाय समिति का स्थान ले लिया । इन बागानों में आजकल 25 लाख श्रमिक कार्य कर रहे हैं । उनकी अधिकतम मजदूरी 4.99 रु० प्रतिदिन है । वे एक छोटे कमरे के मकानों में रहते हैं जहां शोचालय, गुसलखाने आदि की भी कोई सुविधा नहीं है ।

10 LSS/77—10

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्षों बाद भी चाय बागानों में काम करने वाली जातियां, जो कि अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां हैं, बहुत पिछड़ी हुई हैं। वहां प्राथमिक स्कूल तो हैं, लेकिन भवनों की स्थिति खराब है। न वहां छात्र होते हैं और न ही शिक्षक।

चाय बोर्ड को जो धन आवंटित किया जाता है, वह बड़े-बड़े नौकरशाहों पर व्यय कर दिया जाता है। इनके अधिकारी विश्व भर में बिखरे पड़े हैं। चाय का अधिकतर रुपया बड़े-बड़े नौकरशाहों तथा विभिन्न स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों पर व्यय कर दिया जाता है।

बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर बहुत अधिक है। युवा उद्यमकर्ताओं को ब्याज की कम दरों पर ऋण नहीं मिल पाता। मेरे विचार में चाय बोर्ड चाय उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच है। मजदूरों, सरकार एवं प्रबंधकों को समान प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। अगले सत्र में व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिये।

चाय बागान श्रमिकों ने मंत्री महोदय को यह पेशकश की है कि वे आसाम की अच्छी चाय 14-15 रुपये प्रति किलो उपलब्ध करा सकते हैं।

लोगों को अच्छी किस्म की चाय उपलब्ध कराने के लिए चाय अधिनियम का संशोधन करना होगा। चाय बोर्ड के तंत्र एवं प्रणाली को भी बदलना होगा।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि चाय अधिनियम में संशोधन किया जाए और नया विधेयक लाया जाए।

हम जो चाय पीते हैं, वह चाय वैसी नही है जो आसाम में पैदा होती है। चाय बोर्ड ऐसी चाय बेचता है जिसका न स्वाद होता है और न ही जायका या रंग ही होता है। अच्छे किस्म की चाय का बाहर के देशों को निर्यात कर दिया जाता है। आसाम की चाय विश्व की सबसे बड़ी चाय है। चाय बोर्ड ने चाय की किस्म सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया बल्कि चाय बोर्ड ने चाय की किस्म खराब करने के लिए काम किया है। अतः मेरा निवेदन है कि चाय बोर्ड का पुनगर्ठन किया जाए। अधिकारियों एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में संशोधन विधेयक ही पर्याप्ति न होगा। समय की मांग है कि चाय बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए। ऐसा करके ही उपभोक्ताओं, शीघ्र पेश किया जाए।

श्री एन० श्रीकान्तन नैयर (क्विलोन) : मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय उत्तर के लिए कितना समय चाहेंगे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं लगभग 20 मिनट लूंगा।

श्री एन० श्रीकान्तन नैयर : क्या मंत्री महोदय मध्यान्ह भोजन के पश्चात् उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): Mr. Speaker, I rise to support the Bill.

There is no doubt that the Tea Corporation has done quite well so far as the sale of Indian tea abroad is concerned. But it is regrettable that we have not paid any attention towards the welfare of workers engaged in the tea plantations. A visit to the tea plantations Workers how pitiable is the condition of those workers. They have no housing or medical facilities. Their wages are also very low. It is high time Government paid attention to those thing and took some concrete steps to improve the lot of those workers.

The financial condition of most of the plantations is very bad. The main cause of this is that the plants therein are very old. The life of tea plants is 30 to 40 years. But most of the plants are older then that. Government should ensure that the old plants are replaced by new plants so that we get good quality tea.

There is need to provide creches for the babies of the women workers engaged in tea plantations.

It has been seen that in some countries the Indian tea is sold after mixing it, with inferior quality tea of other countries. This brings bad name to our country. Therefore, when we sell tea to any country a condition should be laid down that it will not be sold by mixing it with the tea of other countries.

Although we are spending a lot on publicity abroad. It has not yet gained much popularity in the Arab and European countries. The hon. Minister should pay attention to it and take necessary steps.

Shri Pius Tirkey (Alipurdwar): The Tea Board has been set up with the object of bringing about an all round development of tea industry. It is regrettable that the previous Government paid no attention to improving the lot of the plantation workers. It is hoped that the Janata Government will pay attention to it.

It is learnt that some tea is being sold to private traders at cheap rates without auction and thereby the plantation owners have been making a lot of money. It is hoped that the new Government will be able to stop this immoral transaction.

After the departure of the foreign plantation owners, some Indian owners acquired the plantations. These persons, while trying to earn the maximum from those plantations are paying no attention to their development. It is well known that the tea plants grow good leaves only for 20 to 25 years. After that it is necessary that those plants are replaced. But this is not being done. It is neglected for some time more, moreover plantations would be ruined and our tea trade will suffer. It is therefore necessary that Government took timely action. The best thing is that the plantations are nationalised.

About 99 percent workers of the tea plantations are tribals, from the Hindi speaking areas. They are being treated as second class citizens. There are no educational facilities for their children. It is time a central school is opened in each plantation.

The workers of tea plantations who are mostly tribals from Orissa should be given the status of scheduled tribes.

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय मध्यान्हन भोजन के बाद उत्तर देंगे । दूसरी चर्चा तीन बजे तक चलेगी ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी प्रतिवेदन पर चर्चा स्थगित की जायेगी और बाद में यदि सभा को कोई आपत्ति न हुई तो पुनः आरम्भ की जायेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । मरे विचार में बेरोजगारी संबंधी प्रस्ताव के लिये दो घंटे का समय मिश्रित किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा 3 बजे आरम्भ करेंगे । श्री चन्द्रप्पन के प्रस्ताव के लिये 1½ घंटे का समय नियत किया गया है । हम इन दोनों प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा करेंगे ।

Shri Vinayak Prasad Yadav: I have moved an amendment for circulating this Bill for eliciting public opinion.

अध्यक्ष महोदय : वर्तमान अनुमान के हिसाब से विधेयक पर 2.30 बजे तक अन्तिम निर्णय लेना है ।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री श्री (रवीन्द्र वर्मा) : कार्य सूची के अनुसार, श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री पी० के० चन्द्रप्पन के प्रस्तावों पर 2.30 बजे चर्चा आरम्भ की जानी चाहिये । सभा द्वारा यह बात स्वीकार की गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो हम इस पर 3 बजे चर्चा करेंगे ।

श्री हितेन्द्र देसाई (गोधरा) : हम जानना चाहते हैं कि क्या आप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आज चर्चा की जायेगी या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : : इस पर चर्चा की जायेगी ।

श्री वयालार रवि : हमें संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार चलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । प्रस्तावों के निपटाये जाने के बाद ही प्रतिवेदन पर चर्चा की जायेगी ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये मध्याह्न पश्चात् 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद मध्याह्न पश्चात् 2 बजकर 7 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at seven minutes, past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

चाय (संशोधन) विधेयक—जारी
Tea (Amendment) Bill—Contd.

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं सभा का और उन सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने देश के इस महत्वपूर्ण बोर्ड को इतना महत्व दिया । बोर्ड के कार्यकरण का जिक्र किया गया है । चाय उद्योग का कार्य काफी अच्छा रहा है । चाय की खेती का क्षेत्र 3,42,000 हेक्टेयर से बढ़कर अब 3,64,000 हेक्टेयर हो गया है जो विश्व में सबसे अधिक है ।

उत्पादन प्रति हेक्टेयर 1089 कि० ग्रा० से बढ़कर 135,55 कि० ग्रा० हो गया है । दक्षिणी क्षेत्र में यह 1,400 कि० ग्राम से अधिक है । 1968-69 में 156 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई थी जो बढ़कर 1976-77 में 795 करोड़ रुपये हो गई ।

इसी प्रकार पिछले वर्ष देश में 5150 लाख कि० ग्राम चाय का उत्पादन हुआ । यह विश्व में सर्वाधिक है । अतः जो उपलब्धियां हुई हैं उन्हें कम न आंका जाए ।

जहां भी सम्भव है वहां चाय उगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। यही एक क्षेत्र है जिसमें हम घरेलू आवश्यकता की ही पूर्ति नही करते वरन् बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी कमा सकते हैं।

चाय बोर्ड और भारतीय चाय निगम सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं और सरकार की नीति है कि ये संस्थाएं गति से काम करें। देश के सामाजिक आर्थिक विकास हमें ये संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं तथा इसी दृष्टि से हमें इन्हें देखना चाहिए।

स्टर्लिंग कम्पनियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का जिक्र किया गया है। सरकार ने स्टर्लिंग कम्पनियों से उनका भारतीयकरण करने के लिए दिसम्बर, 1977 तक अपने प्रस्ताव भेजने को कहा है। आशा है प्रस्ताव आ जायेंगे और दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाई की जाएगी।

इस उद्योग के मजदूरों की दयनीय दशा की जानकारी सदन को दी गई है। यह सही है कि अधिकतर मजदूर अनुसूचित जनजातियों के हैं। ये पिछड़े क्षेत्रों और जातियों के लोग हैं। इनकी दशा तुरन्त सुधारने के सदस्यों के सुझाव से मैं सर्वथा सहमत हूं। इसके लिए हम राज्य सरकारों से पूरा सहयोग करना चाहते हैं।

मंत्रालय का भार लेने के बाद मैंने चाय बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से बात की है और यह निर्णय लिया है कि जो उद्योग के विकास के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। हम उनके लिए कर्मचारियों के हित में अपने मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करेंगे और जो कर्मचारियों के हित में योजनाओं को लागू करने के लिए तैयार हैं उन्हें ही इसकी सुविधा दी जाएगी अन्य को नहीं।

जहां तक इस क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन का प्रश्न है मैं यह मानता हूं कि इस दिशा में चाय बोर्ड ने कोई प्रगति नहीं की है। परन्तु मैं इसमें बहुत रुचि रखता हूं। तथा इस संबंध में मैंने सम्बन्धित लोगों से चर्चा भी की है। हम इस क्षेत्र में सहकारी गतिविधियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेंगे।

जहां तक नीलामी प्रथा का सम्बन्ध है सदन को शायद यह जानकारी न हो कि चाय की नीलामी की प्रतिशतता लन्दन बाजार में बहुत कम है। यह भारत के कुल उत्पादन का केवल 7 प्रतिशत है। शेष 93 प्रतिशत चाय की नीलामी देश में ही होती है। सदस्य अन्य देशों में चाय उद्योग के कार्यकरण को भी ध्यान में रखें और स्वयं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रखने के लिए हमें कोई भी क्रांतिकारी कदम उठाने से पहले सावधान रहना होगा।

श्री बसु ने विशेषज्ञों संबंधी एक सुझाव दिया था। सदन को पता होना चाहिए कि इस मंत्रालय की एक संसदीय सदस्यों की सलाहकार समिति है। इसे 5 गुटों में बांटा गया है। एक गुट चाय, काफी, इलायची, रबर आदि बागानों का प्रभारी है। उससे संबंधित सदस्य विशेषज्ञों का काम करेंगे तथा राष्ट्रहित में रुचि रखने वाले हमें उचित मार्ग दर्शन देंगे।

भारतीय चाय व्यापार निगम के बारे में भी उल्लेख किया गया है। मैं इस बारे में जांच करूंगा। विधेयक बहुत सामान्य है। उपाध्यक्ष का पद पहले से ही वहां है अब हम उस संस्था को कानूनी रूप दे रहे हैं।

जहां तक वेतनमानों का संबंध है मैंने पहले ही बताया है कि बोर्ड को केवल 1700 रुपये तक के वेतनमानों को देने का अधिकार है इससे ऊपर के वेतनमानों के बारे में सरकार सर्वोपरि है।

जहां तक रुग्ण चाय बागानों का संबंध है सरकार ने वाह तुक वार टी एस्टेट दार्जलिंग पाशोक टी एस्टेट, दार्जलिंग और बुकसन टी एस्टेट जलपाईगुडी को अपने हाथ में ले लिया है। इसके अतिरिक्त कुमाई टी एस्टेट को 18-6-1977 को 17-6-77 के एक आदेश द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया और उसका प्रबंध पश्चिम बंगाल चाय विकास निगम लि० कलकत्ता को सौंप दिया गया है।

इसके अतिरिक्त चाय अधिनियम 1953 के अंतर्गत सरकार ने कतिपय चाय बागानों के कार्यों की जांच करने के लिए एक आदेश जारी किया है। जांच समिति में दो प्रतिनिधि चाय बोर्ड के एक संबंधित राज्य सरकार का और एक सरकारी उद्यम ब्यूरो का होगा। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम संपूर्ण चाय उद्योग का विकास करना चाहते हैं। यह हमारा एक प्रमुख उद्योग है। जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है इसका बड़ा विस्तार हुआ है और इसके लिए हम बोर्ड को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। बोर्ड के विरुद्ध शिकायतों की सरकार अवश्य जांच करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि अब विधेयक को पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है "कि 15 अक्तूबर 1977 तक राय जानने हेतु विधेयक को परिचालित किया जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है "कि चाय-अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम खण्ड वार विचार करेंगे। प्रश्न यह है: 'कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है: "कि खण्ड 3 और 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clauses 1 and 4 were added to the Bill.

Clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री मोहन धारिया : मैं प्रस्ताव करता हू !

"कि विधेयक पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

बेरोजगारी की समस्या के बारे म प्रस्ताव

MOTIONS RE : UNEMPLOYMENT PROBLEM

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा प्रधान मंत्री के इस आश्वासन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करती है कि बेरोजगारी की समस्या 10 वर्ष में हल हो जायेगी और पुरजोर सिफारिश करती है कि 'काम के अधिकार' को संविधान में समाविष्ट किया जाये जिसे एक निश्चित तारीख से प्रभावी बनाया जाये और इस बीच सभी बेरोजगारी व्यक्तियों, अक्षम और वृद्ध लोगों को निर्वाह भत्ता दिया जाये।"

मैंने नवम्बर 1969 में भी ऐसा ही प्रस्ताव पेश किया था। इसके परिणामस्वरूप 19 दिसम्बर 1970 को बेरोजगारी संबंधी समिति गठित हुई मुझे भी उसका सदस्य बनाया गया । 12 फरवरी 1972 को उसका अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा चौथी योजना के अंतिम दो वर्षों के लिए 250 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की गई थी । उस अंतरिम प्रतिवेदन में ग्रामीण और आर्थिक प्रगति पर अधिक बल दिया गया । 15 मई 1973 को अंतरिम प्रतिवेदन पेश किया । लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे छुआ तक नहीं हालांकि हमें आशा थी इस कार्य द्वारा 40 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा । 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए एक द्रुत कार्यक्रम बनाया गया और इस पर 150 करोड़ रुपया व्यय किया गया लेकिन यह कार्यक्रम असफल रहा और अधिकांश पैसा भूतपूर्व सरकार के चाटुकारों की जेब में चला गया ।

शहरी और ग्रामीण शिक्षित एवं अशिक्षित लोगों में बेरोजगारी बहुत तेजी से फैल रही है लेकिन कांग्रेस सरकार ने सुनियोजित ढंग से इस समस्या को दबाया । गरीबी और बेरोजगारी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता।

भारत में आज 75 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या गरीबी के स्तर से नीचे जीवनयापन कर रही है । क्योंकि अच्छा रोजगार मिलने का अवसर ही नहीं मिलता है । जहां तक ग्रामीण बेरोजगारी का संबंध है इसके व्यापकता के संबंध में हमारे पास अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी यह तो सिद्ध हो गया है कि बेरोजगारी बढ़ रही है । अतः इस बुराई को दूर करना हमारी नीति का प्रथम प्रयास होना चाहिए । हम प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई और सरकार के बेरोजगारी पर दिए गए नीति संबंधी वक्तव्य को सराहना करते हैं लेकिन देश में व्याप्त वर्तमान सामाजिक आर्थिक ढांचे के संदर्भ में अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं । अधिकाधिक मुनाफा कमाने के लिए हर कार्य किया जाता है और 95 प्रतिशत उत्पादन के साधन राज्य आयोजना की परिधि से अलग हैं । इन परिस्थितियों में पूर्ण रोजगार के अवसर संभव नहीं।

1971 की जनगणना के अनुसार 474.8 लाख खेतिहर मजदूरों में और 156 लाख बटाईदार थे अर्थात् इस देश में 15 करोड़ मजदूरों में से कुल 636 लाख खेतिहर मजदूर थे। वास्तव में इन लोगों को अर्द्ध रोजगार प्राप्त है। उन्हें वर्ष के केवल 100 या 150 दिन के लिए काम मिलता है। कभी-कभी तो इन्हें वर्ष में केवल 90 दिन ही काम मिलता है।

ग्रामीण कारीगरों की संख्या एक करोड़ है और इन्हें भी बहुत कम वेतन मिलता है। खादी का काम करने वालों की दशा विशेषकर पश्चिम बंगाल में बहुत दयनीय है।

जहाँ तक पश्चिमी बंगाल में रोज़गार की स्थिति का संबंध है इसमें दो बातें हैं। पहली है रोजगार के अवसरों की खोज करने वाले लोगों की कमी होना। 1951 में पश्चिम बंगाल में 34.8 लोगों को रोज़गार प्राप्त था और 1971 में समनरूप अनुपात केवल 28.4 प्रतिशत था। दूसरे गत 6-7 वर्षों में संगठित क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों में नितांत गिरावट होना। मैंने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है उन्होंने जो तथ्य और आंकड़े दिए हैं वह देश में व्याप्त वास्तविक स्थिति का बोध कराते हैं। केरल में 1966 में रोज़गार प्राप्त करने के इच्छुक लोगों की संख्या 1,57,156 थी और 1976 में कांग्रेस के तीन दशकों के शानदार शासन के बाद उनकी संख्या बढ़कर 7,53,579 हो गई। केरल सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि बेरोजगारी केरल की सबसे महत्वपूर्ण समस्या रही है और अब तो इसने और भी विशालकाय रूप धारण कर लिया है। केरल में यह स्थिति है।

भारत में 1966-67 निजी क्षेत्र में 68.13 लाख लोग लगे हुए थे। 1975-76 में उनकी संख्या कम हो कर 68.04 लाख हो गई। मार्च 1977 में रोजगार केन्द्रों में 102,38,000 लोगों के नाम दर्ज थे शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या आन्ध्र प्रदेश में 317.5 हजार, पश्चिम बंगाल में 688,000 केरल 409,400 उत्तर प्रदेश में 633.7 हजार है।

अब मैं उन कर्मचारियों के बारे में बताता हूं जिनकी जबरी छुट्टी की गई या जिनकी छंटनी कर दी गई। जुलाई 1975 से दिसंबर 1975 तक केवल 6 महीनों के दौरान आंध्र प्रदेश में 21,467, गुजरात में 8,199, हरियाणा में 8,684, कर्नाटक में 6,386, केरल में 6,803, मध्य प्रदेश में 45,948 लोगों की छंटनी की गई।

तालाबंदी के कारण केरल के 42,221, कर्नाटक के 3,290, तमिलनाडु के 3,102, पश्चिम बंगाल के 3,237 लोग प्रभावित हुए।

अब मैं आपको पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों के लोगों की प्रति दिन की आय के बारे में बताऊंगा। वर्ष के पूरे 365 दिनों का हिसाब लगाकर एक परिवार के प्रत्येक सदस्य की आय इस प्रकार है।

बीरभूम--15 पैसा, नाडिया--30 पैसा, जलपायगुड़ी--37 पैसा, मालदा--21 पसा, 24 परगना--25 पैसा।

इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों की हालत क्या होगी। वर्तमान सरकार को विरासत में ऐसी अर्थव्यवस्था मिली है। हम सब लोग इस व्यापक बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में आपका पूर्ण सहयोग देंगे।

अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों के लोगों की स्थिति तो और भी दयनीय है वह गोबर में से अनाज के दाने चुनकर उबाल कर खाते हैं और अगर यह सब विदेशों में टेलिविजन पर दिखाया जाए तो हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा।

पश्चिम बंगाल 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के आयु वर्ग के काम करने वाले लोगों की संख्या 1,22,225 है लेकिन इनमें से केवल 60,464 लोगों को ही रोजगार प्राप्त है।

जहाँ तक आर्थिक स्थिति का संबंध है उन्होंने थाना वार आंकड़े दिए हैं। एक घर की औसतन आय 176.64 रुपये से लेकर 194.22 रुपये तक है और व्यय 176.50 रुपये से लेकर 214.78 रुपये तक है।

ग्रामीण आर्थिक प्रगति और ग्रामीण उत्पादन शक्ति पैदा करने के लिए समुचित रूप से भूमि सुधार करना प्रथम आवश्यकता है। फ़िर छोटे सिंचाई कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुल सिंचित क्षेत्र में से 58 प्रतिशत क्षेत्र में छोटे सिंचाई साधनों के माध्यम से सिंचाई की जाती है।

आसाम में कुल सिंचित क्षेत्र कुल फ़सल वाले क्षेत्र का केवल 18.4 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल के भी आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। 1974-75 में वहाँ का कुल सिंचित क्षेत्र कुल फ़सल वाले क्षेत्र का 20 प्रतिशत था। सारे देश में कुल सिंचित क्षेत्र कुल फ़सल वाले क्षेत्र का 25.4 प्रतिशत है।

22 राज्यों में से 11 राज्य ऐसे हैं जिनकी औसत अखिल भारतीय स्तर से भी नीचे है।

वास्तविक भूमि सुधार की कमी के कारण बेरोज़गारी बढ़ी है और इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण और उपादान आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। कृषि और उद्योगों में श्रमिक वर्ग को काम करने वाले तरीकों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तैयार शुदा माल का मुनाफ़े पर ही निर्यात करना चाहिए। हमें दोहरी उत्पादन नीति अपनानी चाहिए। भारी और मुख्य उद्योगों की बहुत आवश्यकता है। लेकिन हमें अपनी तकनीक बनानी चाहिए। विदेशी-तकनीकी जानकारी पर निर्भर करने से हम दासता की ओर बढ़ रहे हैं।

स्वदेशी माल के प्रयोग को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा आनुषंगिक उद्योगों की प्रगति को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र के लिए सभी संभव क्षेत्रों का आरक्षण करना चाहिए। बड़े व्यापार गृहों और बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने तो छोटे उत्पादकों का भट्ठा ही बिठा दिया है। जैसे की लीवर्ज बन्धुओं के द्वारा बनाए जाने वाले साबुन की तुलना में एक लघु उद्योगपति द्वारा बनाया जाने वाला साबुन बाजार में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता इसी प्रकार बाटा भी अन्य जूते बनाने वाली सभी कम्पनियों पर हावी है क्योंकि बाज़ार में उसके नाम की धाक जमी है। इसी प्रकार यही हाल कोका कोला बनाने वालों का है अतः जब तक आप इन एकाधिकारियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर नियंत्रण नहीं करते तब तक आम जनता का कुछ भला नहीं होगा।

मैं ग्रामीण सड़कों पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूँ। 3 लाख गांव ऐसे हैं जो कि फ़ीडर सड़कों के माध्यम से भी नगरों से जुड़े नहीं है। गाँवों में शिक्षा के प्रसार से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारी समस्या संसाधनों के अभाव की नहीं है किन्तु उन्हें उत्पादक प्रयोजनों के लिए सुरक्षित करना चाहिए।

हमारी कार्य शक्ति देश की सबसे विशाल आस्ति है श्री मोरारजी देसाई साहिब आप बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित करें। जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा, राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस कार्य में सहायता करनी चाहिए इसके परिणाम भी जल्दी दृष्टि-गोचर होंगे और अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह एक बार चीन जाएं फ़िर कोई निर्णय लें संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में 'काम करने के अधिकार' की व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही बेरोज़गार व्यक्तियों को गुज़ारा भत्ता देने का भी उपबंध करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा प्रधान मंत्री के इस आश्वासन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करती है कि बेरोजगारी की समस्या 10 वर्ष में हल हो जायेगी और पुरजोर सिफ़ारिश करती है कि 'काम के अधिकार' को संविधान में समाविष्ट किया जाये जिसे एक निश्चित तारीख से प्रभावी बनाया जाये और इस बीच सभी बेरोजगारी व्यक्तियों, अक्षम और वृद्ध लोगों को निर्वाह भत्ता दिया जाये।"

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या एक, दो प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि बेरोजगारी की समस्या का जिसने भयावह रूप धारण कर लिया है, आंशिक और स्थायी हल ढूंढने हेतु सरकार दूरगामी प्रभाव वाले ठोस कदम तुरन्त उठाये। बेरोज़गारी की समस्या हल करने के लिए स्पष्ट कदम उठाए जाने चाहिएं और सरकार को स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। मेरे विचार में बेरोज़गारी और गरीबी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। योजना आयोग द्वारा प्रकाशित पत्रिका "योजना" में कहा गया है कि बेरोजगार लोगों की संख्या लगभग इस समय 290 लाख होगी। केन्द्रीय रोजगार निदेशालय का अनुमान है कि बेरोजगार तथा बेरोजगार से नीचे वाले लोगों की संख्या पाँचवीं योजना के बाद 600 लाख हो जायेगी।

हमारे देश में यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने प्रधान मंत्री पद संभालने के बाद कहा है कि यह एक गंभीर समस्या है और हमें इसको हल करना है। किन्तु यह काम एक ही दिन में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने में दस वर्ष का समय लगेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जनेवा में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न देशों ने समाज में मूलभूत ढांचीय परिवर्तन नहीं किये हैं। अतः, इसका सम्बन्ध अर्थ व्यवस्था में ढाँचीय परिवर्तनों से है। यह आवश्यक नहीं है कि अधिक आर्थिक प्रगति से भी बेरोजगारी की समस्या हल हो जायेगी। अगर ऐसा होता तो अमेरिका जैसे विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या न होती। कई देश हर प्रकार से बहुत विकसित हैं, किन्तु बेरोजगारी वहां भी है। समाजवादी देशों में बेरोजगारी नहीं है। इसका कारण यह है कि वहां किसी एक व्यक्ति को सम्पत्ति एकत्र करने का अधिकार नहीं है। यदि हर देश में ऐसी स्थिति हो जाये तो फ़िर बेरोजगारी की समस्या पैदा ही नहीं होगी। प्रश्न यह नहीं है कि देश का प्रधान मन्त्री कौन है। प्रश्न तो यह है कि आर्थिक प्रगति का कौन सा मार्ग अपनाया जा रहा है।

जब तक देश में पूंजी पतियों का बोलबाला रहेगा तब तक बेरोजगारी और भी बढ़ती रहेगी। मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी अब प्रधान मंत्री नहीं हैं और श्री मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री बन गये हैं इसलिये भारत का भविष्य अब उज्वल है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता (**व्यवधान**) यदि आप पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे तो यह समस्या और भी बढ़ेगी।

अब मैं बेरोजगारी की समस्या के अन्य पहलुओं पर आता हूँ। यदि अधिक धन का निवेश किया जाय तो हम अपने देशवासियों को धनी बना सकते हैं। किन्तु निवेश के लिये इतना धन कहां से लायें। उदाहरण के लिये मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है किन्तु वहाँ के लोग बहुत निर्धन है । इस तरह उड़ीसा तथा केरल भी प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भरपूर हैं किन्तु उनका उपयोग तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं।

मेरा पहला सुझाव यह है कि सर्वप्रथम एकाधिकारियों को समाप्त किया जाए । देश की कुल सम्पत्ति का 75% भाग इन्हीं के पास है । क्या आप इसे राष्ट्रीय सम्पत्ति बनायेंगे। इससे कुछ सीमा तक बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है । जब तक आप मूलभूत नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक इस स्थिति में सुधार नहीं हो सकता । इसीलिये मैं कह रहा हूँ कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर प्रभाव डाला जाए। क्योंकि ये लोग केवल लाभ कमाना चाहते हैं। उन्हें रोजगार देने से कोई सरोकार नहीं है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सभी एकाधिकार गृहों की कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए साथ ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। कर की बकाया राशि एकत्र की जाये और धनी लोगों के पास जो सोना तथा अन्य सम्पत्ति है उसे छीन लिया जाए।

आयात निर्यात का व्यापार अपने हाथों में लिया जाए और उद्योगों को पूरी क्षमता का उपयोग में लिया जाए। यदि ये सारे कदम उठाये जायें तो हमें निवेश के लिये पर्याप्त संसाधन प्राप्त हो जायेंगे।

आपने सभा में जो प्रतिवेदन पेश किया है, उसके अनुसार सरकारी क्षेत्र में 130-38 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है जबकि गैर सरकारी क्षेत्र में केवल 68 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है सरकारी क्षेत्र इसलिए अधिकाधिक लोगों को रोजगार देता है क्योंकि उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है । अतः आपको गैर-सरकारी क्षेत्र को कहना पड़ेगा कि वह अधिकाधिक लोगों को रोजगार दे। इसके अतिरिक्त हमें कई अन्य कदम भी उठाने पड़ेंगे।

इसके अतिरिक्त हमें भूमि सुधार कार्य भी करने चाहिएं । श्री राज कृष्ण के अनुसार जो कि योजना आयोग के सदस्य हैं, हमारे देश में 190 लाख बेरोजगार लोग हैं; जिनमें से 30 लाख शहरों में हैं और शेष गांवों में हैं। अतः आपको आमूल भूमि सम्बन्धी सुधार करने हैं और फालतू भूमि गरीब किसानों में बांटनी है । (व्यवधान)

इसके अतिरिक्त कृषि उद्योगों, कुटीर उद्योगों, लघु पैमाने के उद्योगों का विकास किया जाये । साथ ही बड़े पमाने पर सार्वजनिक कार्य, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि का काम आरम्भ किया जाना चाहिए । प्राइमरी शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए । देश से निरक्षरता समाप्त करने के लिए बृहत योजना तैयार की जाये। इससे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

हमारे प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह उपयोग में लाया जाना चाहिए । मत्स्य पालन तथा बनों का विकास किया जाना चाहिए।

रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि विद्यमान अवसरों को कम न होने दिया जाये। क्योंकि हमारे देश में बड़े पैमाने पर तालाबन्दी, छंटनी, हड़तालें आदि हो रही हैं। गत वर्ष देश में मनमाने ढंग से तालाबन्दी आदि करने से 76 प्रतिशत कार्य दिवसों का नुकसान हुआ । आज भी ऐसी स्थिति बनी हुई है ।

सभी नैमित्तिक तथा अस्थायी श्रमिकों को स्थायी किया जाना चाहिए । अप्रैंटिसों तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए । भूमि काश्तकारों तथा बटाइदारों को बेदखल

10 LSS/77—12

न किया जाये, इसके लिए सांविधिक उपबन्ध किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे अन्य बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

जनता पार्टी ने सरकार बनाने से पूर्व कई उपायों का प्रस्ताव किया था। ये अच्छे उपाय थे। किन्तु उन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। आप लोगों को काम के बदले अनाज आदि दीजिए। उन्हें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं में काम पर लगाइये। राजस्थान नहर, नागार्जुन सागर जैसी बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में बेकार लोगों को काम दीजिए। उन्हें मजदूरी के बदले अनाज दीजिए। इससे उन्हें राहत भी मिलेगी और देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। काम के लिए भोजन वाली योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए। हमने केरल में यह योजना परीक्षण के तौर पर आजमाई है और इसमें सफलता मिली है।

बेरोजगार लोगों को निर्माण कार्यों में लगाने के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसके लिए भाषणों से गुजारा नहीं होगा। इसके लिए कार्यक्रम तैयार करने होंगे। यदि आप 200 लाख बेरोजगार लोगों का हिसाब लगाएं कि इनसे कितने कार्य दिवसों का नुकसान हुआ तो पता चलेगा कि इससे देश को भारी नुकसान हो रहा है। आप इन 2 करोड़ लोगों को 4 रुपये प्रत्येक को प्रतिदिन दीजिए और उनसे काम लीजिए।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कहा है कि इन 2 करोड़ लोगों को 4 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दीजिए। अगर ऐसा किया गया तो एक साल में 3000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। दूसरी बात यह है कि यदि समूचे गैर-सरकारी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये तो क्या इससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मेरे हिसाब में जो गलती है, वह मैं स्वीकार करता हूं लेकिन जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे।

जब तक सरकार ऐसी नीति नहीं अपनायेगी और आमूल परिवर्तन नहीं करेगी, तब तक हम बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर पायेंगे। हमें पूंजीवादी मार्ग से हटना होगा। यह देश गत 30 वर्षों से इसी मार्ग पर चल रहा है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : हम प्रधान मंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हैं कि देश में बेरोजगारी 10 वर्षों के अन्दर समाप्त हो जायेगी। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में 230 से 240 लाख तक बेरोजगार लोग हैं। भगवती समिति ने, जिसने 1970 में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन किया था, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 187 लाख बताई है। तब से इस संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। 1977 में लगभग 230 से 240 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं। इस समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है।

भगवती समिति के अंतरिम प्रतिवेदन में बेरोजगारी हल करने के लिए कुछ कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया है कि छोटी सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क निर्माण तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन, ग्रामीण आवास कार्यक्रम, ग्रामीण जल सप्लाई एवं शिक्षा आदि श्रमिक-बहुल कार्यक्रम हैं। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।

जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वहां उद्योगों में निर्धारित क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए और बन्द एककों को पुनः खोलने का सुझाव दिया गया है।

इसी प्रकार अब सरकार ने कुछ नयी योजनाएं हाथ में ली हैं। लघु किसान विकास योजना तथा सीमान्त किसान, खेतिहर मजदूर योजनाएं आरम्भ हो गई हैं। ग्रामीण रोजगार के लिए भी कुछ योजनाएं हैं। मूल बेरोजगारी की समस्या के बारे में एक द्रुत योजना तैयार की गई है। यद्यपि इन योजनाओं में बहुत से लोगों को रोजगार दिया गया है, फिर भी बेरोजगारी की समस्या के हल होने का कोई संकेत नहीं मिला है। अतः यह कहना गलत है कि पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। वास्तव में श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में बेरोजगारी के बारे में एक समिति गठित की गई थी और इसका प्रस्तावक उस समिति का सदस्य था

खेद की बात है कि प्रधान मंत्री के इस आशय के आश्वासन के बावजूद कि बेरोजगारी दस वर्ष में समाप्त कर दी जायेगी और आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा, बजट में बेरोजगारी की समस्या को हल करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के 'अप्रोच पेपर' में राष्ट्र के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। वे गरीबी दूर करना और आत्म-निर्भरता प्राप्त करना था। परन्तु जनता सरकार के 6 महीने के शासन में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये कोई आधारभूत विकास नीति नहीं बनाई गई है।

रोजगार के लिये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यदि ऐसा किया जाता है तो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को राजसहायता देते समय पहली बात यह देखनी होगी कि जो प्रोत्साहन दिया जाय वह रोजगार में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप दिया जाना चाहिये न कि उसमें कितना धन लगाया गया उस आधार पर दिया जाना चाहिये।

हमें किन लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता देनी चाहिये। गरीब लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिये। महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार गारंटी विधेयक पेश किया है जिसमें प्रत्येक काम करने वाले व्यक्ति को रोजगार दिया जायेगा या 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसे दान दिया जायेगा। यह रोजगार गारन्टी योजना का ही एक अंग है। बेरोजगारी की समस्या ने प्रधान मंत्री के सामने एक चुनौती उपस्थित की है। उन्हें उसके लिए पूरे देश के लिये एक 'वर्क गारंटी' कार्यक्रम स्वीकार करना चाहिये और इससे ग्रामीण लोगों को अगले दशक में रोजगार सुनिश्चित हो सकेगा।

हमारे देश में सभी संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया है और जहां बाढ़ नियंत्रण समस्या का समाधान नहीं हो सका है। अतः यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण तकनीकी शिक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। नगरीय रोजगार को एक नई दिशा दी जानी चाहिये और देश की आवश्यकता को इससे सम्बद्ध किया जाना चाहिये।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): Our Prime Minister has declared that the Janta Government will make efforts to eradicate unemployment within 10 years. This announcement has revived hopes in our frustrated youth who have been fed an empty pro mises during these 30 years by the previous Government. This problem of unemployment is to a great extent a legacy of the previous government. The previous Government was more interested in publicity than in solving this problem. They, therefore, not only failed to solve this problem but they had aggravated it to such a limit that it has now assumed alarming proportions.

The Congress Government too had made a declaration that they would create 5 lakh jobs a year. At that rate they would have taken 22 years to solve this problem,

which is fantastic. On the other hand our Prime Minister has made a declaration that the Janata Government will eradicate unemployment within 10 years. It is hoped that all steps will be taken to fulfil this assurance.

The problem of unemployment is limited to the lower and middle class people of our society, who have no approach or influence. They have to knock at the doors of employment exchanges. This is a serious situation and must be looked into.

There are two types of unemployed persons in our country. One who are absolutely unemployed and the other who are partially unemployed or under employed . The unemployed man may make effort to find a work but those who are underemployed will continue to remain in poverty and their condition deteriorates with the passage of time. This must be looked into and efforts must be made to improve their lot.

The present education makes our youngmen unfit for productive and manual jobs. It only produces clerks and administrators. Therefore, the system of education should be changed to suit the requirements of our times. I feel that three things, namely modern system of education, caste system and possession of wealth are a great hindrance in the path of our youngmen for going into productive jobs. Therefore we have to change this whole outlook in order to see that our youngmen contributed their mite towards the reconstruction of our country.

Right to work should be included in the Directive Principles of our Constitution. I agree that there is no special provision made in the current budget to provide employment. I hope that the next budget will make necessary provision in this regard.

We find today that one individual owns the land, he has also a shop and he also works in some office. This practice has to be given up and the principle of 'one man one job' will have to be adopted.

We must organise a 'land Army' in a big way which can be engaged in productive work in rural areas.

The declaration made by the Prime Minister that the Janata Party will eradicate unemployment within the next 10 years has raised hopes in the minds of our people. It is hoped that the Janata Party will make efforts to see that the expectations of the common man are fulfilled. I fervently hope that opposition parties will also cooperate in this great task of eradicating unemployment in our country.

श्री वेदव्रत बरूआ (कलियाबोर) : यह एक बहुत अच्छी बात है कि इस देश की बेरोजगारी की समस्या पर इस सदन में चर्चा हो रही है। संगठित श्रमिक जोकि संख्या में बहुत कम हैं, अपने अधिकारों की मांग बड़े जोरों से कर रहे हैं। यही कारण है कि देश में भारी मात्रा में बेरोजगार व्यक्तियों के हितों को नुकसान हो रहा है ।

[श्री सोनूसिंह पाटिल पीठासीन हुए
Shri Sonu Singh Patil in the Chair.]

यह सच है कि कांग्रेस शासन में प्रति वर्ष बेरोजगारी की दर बढ़ी है । परन्तु कांग्रेस पार्टी के हटने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ।

विकासशील अर्थव्यवस्था में यह समस्या काफी व्यापक है । इस समस्या का मुकाबला अर्थव्यवस्था में एक नया अभियान चलाकर किया जा सकता है । दो आर्थिक प्रणालियों में अन्तर के बावजूद चीन एक अच्छा उदाहरण हो सकता है । यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं तो हमें चीन से शिक्षा लेनी चाहिये। चीन में सारे कर्मीदल को काम दिया जाता है और उन्हें रचनात्मक कार्य में लिया जाता है । हमारे देश में मजदूरों की भरमार है और काम भी काफी है, लेकिन हमारी अर्थ-संसाधन आर्थिक प्रणाली श्रमिकों का उपयोग नहीं कर पाती और न ही काम के बदले में मजूरी ही दे पाती है । प्रश्न ढूंढने का है । संसाधनों को दूसरी ओर लगाने से यह सम्भव हो सकता है । इस समय सारे संसाधन उद्योग की तरफ लगे हुए हैं। यदि हम श्रमिकों को काम देना चाहते हैं तो हमें श्रमिकों का उपयोग करना चाहिये। हमें सबसे पहले उन परियोजनाओं पर रोक लगानी चाहिये जिनमें श्रमिक नहीं लगते । प्रौद्योगिकी हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिये।

प्रधान मंत्री 10 वर्षों में बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते । यदि हम भरसक प्रयास भी करें तो भी यह सम्भव नहीं है । नये बजट में अर्थव्यवस्था को क्या निदेश दिया गया है? यह बजट एक अन्य उद्देश्य की पूर्ति करता है । आधुनिकतम उद्योगों के लिय पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है । श्रम प्रतिस्थापन करने वाली प्रौद्योगिकी को भी पूंजी निवेश की अनुमति दी जायेगी। 800 करोड़ रुपये की उपभोक्ता वस्तुओं के आयात से रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे। हमें उपभोक्ता उद्योगों में पूंजी लगानी चाहिये। यदि हमें रोजगार के अवसर पैदा करने हैं तो हमें त्याग के लिये तैयार रहना होगा । इसका अर्थ यह है कि हमें आधुनिकतम उत्पादन छोड़ना होगा ।

उन्मुक्त अर्थव्यवस्था की बजाय राष्ट्रीयकृत व्यवस्था वाली अर्थ-व्यवस्था से हमें अधिक लाभ हो सकता है । समाजवादी प्रणाली में श्रमिक का कोई विकल्प नहीं होता । पूंजीवादी प्रणाली में दोष यह है कि आदमी को काम चुनने की स्वतन्त्रता होती है । अतः कुछ बेरोजगारी हो जाती है ।

बड़ी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करना हमारी अर्थव्यवस्था के अनुकूल होगा। यदि सरकार 40 लाख या 50 लाख रुपये लगाकर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करती है तो सरकार को काफी लाभ हो सकता है और एक वर्ष में कराधान आदि से करोड़ों रुपये प्राप्त हो सकते हैं।

आवास कार्यक्रम तथा ग्रामीण साक्षरता कार्यक्रम लागू किये जाने चाहियें। शिक्षा की दिशा में भी परिवर्तन होने चाहियें। बड़े डाक्टर और इंजीनियर बनाने के लिये हमें कारीगर पैदा करने होंगे और उनका उपयोग करना होगा । हमारी तकनीकी शिक्षा की प्रवृत्ति इस ओर होनी चाहिये।

श्री बीजू पटनायक: सरकार इस बात से प्रसन्न है कि सदन के सभी वर्ग एक समान जिम्मेदाराना इस सम्बन्ध में रुचि ले रहे हैं ? अगले 10 वर्षों में लोगों को सन्तोषजनक रोजगार प्रदान करने के प्रयास की सफलता की दिशा में यह एक अच्छी शुरूआत है । मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिये कहूंगा और सदन के समक्ष कुछ विचार रखूंगा।

किसी भी काम में लगाया धन देश के निर्धनतम व्यक्ति से वसूल किया जाता है । यदि हम लोगों को काम देना चाहते हैं तो हमें यह निश्चय करना होगा कि राष्ट्र के समृद्ध वर्ग के जीवन के ढंग में परिवर्तन होना चाहिये या नहीं । इस पर मुख्य रूप से विचार करना होगा।

इस समय हम फैशन वाले कपड़े तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण हेतु रुई और नायलन धागे के आयात के लिये राजसहायता देते हैं और हम एक वर्ष में 160 करोड़ रुपये की राशि रुग्ण कपड़ा निगम

के घाटे को पूरा करने के लिये राजसहायता के रूप में देते हैं। इस राजसहायता के लिये सरकार 50 करोड़ गरीबों से पैसे बटोरती है । क्या राष्ट्र इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा कि लोग अगले 20 वर्षों में एक ही किस्म का कपड़ा पहनें ?

यह सुझाव दिया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ या पूरे भाग के राष्ट्रीयकरण से देश समृद्ध होगा । राष्ट्रीयकरण करने से केवल आस्तियां दूसरे हाथों में आ जायेंगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। यदि राष्ट्र का यही निश्चय है तो क्या हम संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली में ऐसा कर सकते हैं या नहीं ? इस नई प्रणाली में कार्मिक संघ नहीं होंगे।

श्री चित्त बसु: हम यह सहन नहीं करेंगे । यह बहुत घातक होगी ।

श्री बीजू पटनायक: दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2 करोड़ बेरोजगारों को 4 रुपए प्रतिदिन देने के लिए 3000 करोड़ रुपया चाहिए । देश में 10 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं या अपूर्ण रोजगार प्राप्त हैं। इस प्रकार हमें और भी धन की आवश्यकता होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि यह धन कहां है और क्या इसकी आवश्यकता अच्छे निवेश के लिए है । रोजगार और पूंजी निवेश की पद्धति क्या होगी। सदन को इस पर विचार करना चाहिए। यदि हम यह कहें कि कृषि में प्रत्यक्ष रूप से लगे लोगों की प्रतिशतता घटाकर 10 प्रतिशत कर दी जाये, जैसा कि रूस में है या अमरीका की तरह 4 प्रतिशत कर दी जाये तो खेतों में मशीनों से काम होने लगेगा और सभी औजारों का खेतों में प्रयोग किया जाना चाहिए । सभी प्रकार की मशीनें और औजार इस प्रकार बनाए जायें कि उनका उपयोग खेतों में किया जाए ताकि कृषक खेतों से निकल कर औजार बनाने में लगें और उत्पादन बढ़ाने के लिए औजार उपलब्ध हों। यही कृषि का आधुनिकीकरण है।

सदन को इन सभी प्रकार की विचारधाराओं पर विचार करना होगा । जब हम इस उलझन से निकलेंगे और स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति बनायेंगे। तभी देश के लोगों को व्यापक रोजगार प्रदान करने के प्रयास में हमें सफलता मिलेगी।

श्री सौगत राय: क्या कार्यक्रम है ? (**व्यवधान**) । मेरा स्पष्टीकरण का प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कार्यक्रम क्या है ?

श्री बीजू पटनायक: कार्यक्रम के बारे में तो मैं विपक्ष से आशा कर रहा हूं ।

श्री आर० के० अमीन: अब उन्होंने अन्य सदस्यों को बोलने के लिए भड़काया है । क्या आप इस चर्चा का समय बढ़ायेंगे ?

सभापति महोदय: हम इस पर शाम के 6 बजे विचार करेंगे । आज कोई अन्य कार्यक्रम नहीं हैं। हम सदन की अनुमति से समय बढ़ा सकते हैं।

श्री ए० अशोकराज (पेरम्बलूर): सभापति महोदय, मैं श्री ज्योतिर्मय बसु के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि काम करने का अधिकार हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में शामिल किया जाये।

आंकड़ों से पता लगता है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर हो गई है और जहां रोजगार के अवसर गणितीय क्रम से बढ़े हैं वहां बेरोजगारी ज्यामितीय क्रम से बढ़ी है । 30-6-1976 को

49,30,000 व्यक्ति मैट्रिक पास, अवर स्नातक एवं स्नातक थे जिन्होंने अपने नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज कराये थे । इसके अलावा 96,09,000 व्यक्तियों के नाम विभिन्न व्यावसायिक ग्रुपों में अन्तर्गत रोजगार केन्द्रों में दर्ज थे ।

जनवरी, 1976 से अगस्त, 1976 तक 513 रोजगार केन्द्रों से 1,46,42,000 लोगों में से 3,26,000 लोगों को ही रोजगार मिल सका । इस तरह से रोजगार केन्द्रों में दर्ज लोगों को रोजगार देने में सैकड़ों वर्ष लग जायेंगे । केन्द्रीय सरकारी, राज्य सरकारी, अर्ध सरकारी तथा स्थानीय निकायों में रोजगार के अवसर पैदा करना अत्यन्त असम्भव हो गया है क्योंकि वहां कर्मचारियों की संख्या पहले ही 1,28,89,000 हो गई है । सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में रोजगार के अवसर पूरे हो चुके हैं । बागानों सहित कृषि के क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर बचे हैं ।

इस पृष्ठ भूमि में प्रधान मंत्री का यह कहना अत्यधिक आश्चर्यजनक है कि 10 वर्षों में बेरोजगारी की समस्या को बिल्कुल समाप्त कर दिया जायेगा । जब तक राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को बेरोजगार लोगों की आजीविका देने के लिए वैधानिक तरीके से बाध्य नहीं किया जाये, तब तक प्रधान मंत्री की उक्त योजना कागजों तक ही सीमित रह जायेगी । काम का अधिकार न्यायालय में चुनौती देने योग्य मूलभूत अधिकार घोषित किया जाना चाहिए । तमिलनाडु में फिल्म उद्योग कुछ लाख शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे सकता है । लेकिन सरकार की दोषपूर्ण कराधान नीति के कारण फिल्म उद्योग बन्द होने की स्थिति में आ गया है । जनता सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए।

मेरे पेरम्बलूर निर्वाचित क्षेत्र में बुनकरों को सभी सम्भव सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि वहां उनकी दशा बहुत खराब है । इस मामले में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिए। खेतिहर मजदूरों को कुटीर उद्योग चालू करने हेतु सहायता देनी चाहिए ताकि वे अपने आजीविका के साधनों को सशक्त कर सकें ।

सभी हाई स्कूलों और कालेजों में सभी छात्रों के लिए स्वैच्छिक समाज सेवा योजना लागू करनी चाहिए ताकि वे सेवा भाव की गरिमा को समझ सकें। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। गंगा को कावेरी के साथ मिलाने से लोगों को रोजगार मिल सकता है । इस योजना से बेरोजगारी और गरीबी काफी हद तक दूर हो सकती है ।

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : We cannot imagine the seriousness of unemployment only from the figures of the Employment Exchanges because hardly 25 per cent people get their names registered for employment. The problem of unemployment is more acute in certain parts in the country. There is also regional embalance in the matter of unemployment problem. It is more acute in backward regions like North Bihar and Eastern U.P. where there is widespread unemployment and poverty. There is no big industry in these areas. There are only a few out model sugar factories. Government should take urgent measure to remove regional imbalances in the field of employment. Per capita income is also low in the country, particularly in Bihar.

The hon. Minister has made a reference to the innumerable varieties of cloth being produced in the country. But this has no relevance to the matter under discussion. He

has also said that they were trying to reduce the articles of cloth. But how will this help in providing more job opportunities? This step may reduce in the wastage of resources but it will not increase employment potential.

Majority of our population in rural areas is dependent on agriculture. We should set up more industries based on agriculture in the rural areas, it will help in creating more employment opportunities in rural areas.

Farmers need more money for modernising agriculture. But they cannot afford to pruchase modern agriculture implements. The Government should provide at least three or four tractors in every block area. The farmers can avail of the facility of these tractors on hire creation of such tractor pool at block level will also create certain employment opportunities.

Big people get employment easily at present whereas poor and backward people, particularly in rural areas, who need employment badly do not get it. We shall have to change the present system and ensure that poor people get employment on priority.

श्री एफ० एच० मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : मैं इस प्रस्ताव की भावना से बहुत सहमत हूं।

यह सच है कि जनता पार्टी ने चुनावों से पहले अपने चुनाव घोषणा पत्र में 10 वर्ष के भीतर बेरोजगारी समाप्त करने का वायदा किया था। प्रधान मंत्री इस वायदे को दोहरा चुके हैं। लेकिन मुझे सन्देह है कि जनता पार्टी अपने इस वचन को पूरा कर पायेगी। वह भले ही इस के आधार पर 10 वर्ष तक राज्य करने का आर्शीवाद प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकती है। किन्तु इस बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। जनता पार्टी की इस संबंध में कोई योजना है ही नहीं। वह तो जांच आयोग बैठा रही है और इन्दिरा गांधी की सरकार एवं आपात स्थिति की ही आलोचना करने में व्यस्त है।

जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान चुनावों के तुरन्त बाद बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कहा था। लेकिन चुनाव के बाद यह पार्टी अपने वचन से फिर गई है। जनता पार्टी राजनीति से काम ले रही है। चुनावों के दौरान बेरोजगार युवकों को कांग्रेस दल के विरुद्ध होने के लिए उकसाया गया था।

आज बेरोज़गारी की समस्या बहुत विकट है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसमें राजनीतिक छल कपट नहीं होना चाहिए। ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर है। हमें इसके निवारण के लिए विचार करना चाहिए। जब तक हम सिंचाई सम्भाव्यताओं का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पायेंगे। सिंचित भूमि असिंचित भूमि की अपेक्षा अधिक रोजगार प्रदान करती है। श्री मोरारजी देसाई ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों एवं ग्रामोद्योग और खादी उद्योग को अधिक महत्व दिया जायेगा। यह अच्छी बात है। लेकिन कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। इसे कार्यरूप देना चाहिए। श्री पटनायक साहब ने कहा है कि हम सब को खादी पहननी चाहिए। यह प्रस्ताव तो अच्छा है और इसे जनता पार्टी के सदस्य ही आरम्भ करें।

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षित बेरोजगार अपनी आजीविका नहीं कमा सकता। शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाया जाना चाहिए और तभी छोटे छोटे उद्योग आरम्भ किए जा सकते हैं।

जन संख्या नियंत्रण एक अन्य महत्वपूर्ण मामला है । प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 33 लाख बच्चे पैदा होते हैं । इस मामले पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) नई लोक सभा के पहले और अल्पकालीन सत्र में तथा समाप्त होने वाले सत्र में हमने राजनीतिक समस्याओं की ओर अधिक ध्यान दिया है और राष्ट्र के मन में यह धारणा पनप रही है कि जनता के प्रतिनिधि आर्थिक समस्याओं की अपेक्षा राजनीतिक समस्याओं के प्रति अधिक चिंतित हैं । फिर भी मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूं ।

नई जनता सरकार ने महात्मा गांधी और गांधीवादी तरीकों पर ठीक ही बल दिया है । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम 1948 या 1908 के समय में लौटना चाहते हैं जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने परीक्षण शुरू किए थे । हम उस समय में वापिस नहीं लौटना चाहते । हम गांधी जी की भावना का पालन करना चाहते हैं । हम उनके सन्देश का पालन करना चाहते हैं जो अब भी जीवन्त और ताजा है । मेरे विचार में यह महात्मा गांधी के जीवन काल में इतना जीवन्त नहीं था जितना अब है। अतः जनता पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र पर बल देना अच्छी बात है । किन्तु हमें यह देखना होगा कि सरकार 5 वर्षों में इसे किस प्रकार क्रियान्वित करेगी । हम आशा करते हैं यह सरकार योजनाबद्ध तरीके से यह काम कर पायेगी ।

नवगठित योजना आयोग शीघ्र ही योजना प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करेगा । हमें यह भी आशा है कि यह शहरी आधिक्य (शहरी आर्थिक आधिक्य, जनसंख्या आधिक्य इत्यादि सहित) और ग्रामीण वंचनाओं (ग्रामीण निर्धनता सहित) के बीच असन्तुलन दूर करने की दिशा में आदेश देगा। हमारे देश में यद्यपि उत्पादन और धन की वृद्धि हुई है, फिर भी दुर्भाग्यवश वितरण के संदर्भ में यह वृद्धि उस दिशा में नहीं हुई है जिस दिशा में होनी चाहिए थी । इसके फलस्वरूप गरीब और गरीब हुआ है तथा अमीर और अधिक अमीर बना है । वितरण में असमानता व्याप्त होने के कारण अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है तथा गरीब दिनोदिन और गरीब होता जा रहा है । इसे हम बदलना चाहते हैं और परिवर्तन लाना चाहते हैं । यदि हम इस कार्य में सफल रहे तो आगामी 5 वर्षों में देश से बेरोजगारी और गरीबी दूर करने की दिशा में हमारा यह महत्वपूर्ण कदम होगा ।

बेरोजगारी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है । यद्यपि पिछली सरकार ने यह दावा किया था कि जितना विकास इन 10 वर्षों में हुआ इतना 1000 वर्ष में भी नहीं हुआ था । निवर्तमान सरकार का यह दावा निराधार और बेबुनियाद सिद्ध हुआ है ।

बेरोजगारी की समस्या दोतरफा है। देश में शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार की बेरोजगारी है । शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कम है लेकिन वह अपनी मांगों के लिए शोर अधिक मचाते हैं, लेकिन अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या, विशेषकर गांवों में बहुत अधिक है और उनके प्रति उदासीनता का रवैया अपनाना खतरे से खाली नहीं होगा। इस संबंध में लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अतः सरकार को रोजगार नीति का समाधान इस दृष्टि से करना चाहिए और शहरीकरण कम से कम किया जाए । मेरे विचार में मामले के आर्थिक पहलु के अतिरिक्त सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पहलुओं का समाधान भी बहुत जल्दी तथा प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।

इस समस्या पर विचार करते समय सदन को इसे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए क्योंकि धनवान और निर्धन तथा विकसित और विकासशील सभी देशों में बेरोजगारी फैली हुई है । विकसित देशों में यदि बेरोजगारी एक निश्चित स्तर से बढ़ जाती है तो सरकार का तख्ता पलट दिया जाता है । हमारा देश अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचा है, लेकिन यदि बेरोजगारी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो हमारे यहां भी यह स्थिति पैदा हो सकती है ।

श्री बसु ने अपने संकल्प में कहा है कि काम करने का अधिकार हमारे संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए । शायद सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि काम करने का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धान्तों से हटाकर मूल अधिकारों के अध्याय में रख दिया जाए ताकि जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं उन्हें कुछ किस्म का बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो सके। अन्य देशों में इस प्रकार का भत्ता दिया जाता है।

आज राजनीतिक भावना की आवश्यकता है। पहले इस राजनीतिक भावना का अभाव था लेकिन अब यह भावना विद्यमान है। यह एक आशा की किरण है और इसलिए हम इस सरकार से आशा करते हैं कि वह वस्तुएं उपलब्ध कराएगी ।

बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए हमें अपने राजनीतिक मतभेदों को भूल कर एक-राष्ट्र के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि देश समृद्ध हो सके ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर). बेरोजगारी की समस्या ने ऐसा रूप धारण कर लिया है कि अब इसका समाधान तुरन्त किया जाना चाहिए। वर्तमान सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित की है इसके लिए वह बधाई की पात्र है। सरकार ने कहा है 10 वर्षों के भीतर देश में सभी स्वस्थ लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा हो कर रहे।

सबसे पहले तो हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि बेरोजगारी आखिर इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है । देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में समर्थ नहीं। देश में ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और देश में वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अवसर नहीं प्रदान किए जा रहे हैं। शिक्षा बरबाद हो रही है । ग्रामीण जनता को तुरन्त सहायता की आवश्यकता है । उन्हें कृषि क्षेत्र, हथकरघा क्षेत्र और अन्य लघु ग्रामीण उद्योगों में रोजगार प्रदान किया जाए । जब देश में काम करने वाले लोग हैं, सरकार एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रही है जिसमें रोजगार संभाव्यता कम हो रही है । उन्हें एक वृत कार्यक्रम बनाना होगा।

हमने जनता को बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए उपाय अपनाने का वचन दिया है । प्रधान मंत्री को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे उपाय अपनाए जाएं जिससे जल्दी ही फल की प्राप्ति हो । राष्ट्र-निर्माणकारी परियोजनाओं में लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad): The problem of unemployment cannot be tackled as an isolated issue. This problem is the outcome of our economic and social system. Sufficient thought has not been given to identify the causes of this problem. It should be examined as to why there has been an increase in unemployment at the end of each plan. We should have complete statistics and correct picture of the magnitude of this problem. Then we should examine our economic system.

It is said that we can tackle the problem of unemployment by bringing about industrialisation and nationalisation. But I do not agree with the contention that there is no unemployment in Socialist or Communist Countries keeping in view the Social, economic and geographical conditions in our country, we have to invent small machines costing lesser capital.

Adequate attention has not been paid to the modernisation of production in the rura sector. Financial institutions advance credit or loans to monopoly houses only. So, we have to give serious thought to this aspect of the question.

The regional imbalance or the economic disparity between the urban and the rural sectors can be removed only when there is decentralisation of heavy industries and incentives are given to small scale industries.

In order to tackle the problem of unemployment, it is also essential that our educational policy is radically changed. More emphasis has to be laid on the training of artisans rather than on the studies of humanities. Schemes have also to be drawn up to provide employment to those who are un educated and under-employed in the rural areas.

Shri Y. P. Shastri (Rewa): The problem of unemployment has assumed alarming proportions. We have to make all out efforts to solve it before the situation goes out of control. As regards the number of unemployed persons in our Country, no reliable figures are available. It is said that at present the number of unemployed persons is about 23 millions. I feel that this is grossly under estimated, because it is an admitted fact that only literate persons got themselves registered in employment exchanges; illterate and semi-literate persons rarely went there to register themselves. Since hardly 30 per cent of our people are literate, the official figures did not reflect the true dimension of this enormous problem. In fact the total number of unemployed persons is about 70 million. In rural areas there is hardly one man in the family who is employed and all other members remain unemployed during the major part of the year. No doubt they may take to some odd jobs like rikshaw pulling etc. But such jobs can not afford employment to many. Therefore, most people in rural areas lead a miserable life and their future also is dark.

We are happy that our Prime Minister has announced that unemployment will be eradicated within 10 years. This announcement has kindled a new hope in the minds of our people because they believed that the Janata Party will be able to solve this problem within the stipulated time. Therefore, we must formulate a time bound programme to solve this problem and a phased programme based on concrete proposals should be taken up year after year so that this problem can be gradually and steadily overcome.

The previous Government has taken many measures to create employment. A crash programme to provide 5 lakh jobs was undertaken. Then there was an apprenticeship programme but both the programmes could not make any dent on the problem of unemployment.

I also can not agree with the Minister of Steel and Mines that it is possible to reduce the burden on land and to shift the surplus people to industries. I fail to understand this logic for the simple reason that if we are unable to consume the present production of our industries and there is a glut of steel and textiles in the market because there are no buyers. How can we be able to sell our increased production after we have undertaken industrialisation on a massive scale?

Therefore, a complete reorientation is required so far as our programmes regarding employment are concerned. In this Connection I may point out that hardly 25 per cent of our cultivable land is irrigated. Efforts can be made to under take irrigation programmes in a big way throughout the country. This will create employment for a large number of people. I will also like to mention land army as proposed by Dr. Lohia. Such an army can be organised and put to work on land and in projects in a big way.

No amount of exemption in excise duty is going to help our handloom and small scale and cottage industries. If we are serious to assist these industries, we must reserve, the production of consumer goods exclusively for this sector. Only then this sector will expend and will be able to provide more jobs.

Besides, we have to make drastic changes in the present system of education. We must modify the present system of education according to Gandhian pattern. In this Connection the ideas of Shri Jaya Prakash Narayan which he has propounded while in detention will also prove useful. These must be studied and put into practice.

We have promised our youth that they will be given employment-opportunities. Right to work must be included in the fundamental rights in our Constitution. If necessary, constitution should be amended for this purpose. Government must pay unemployment allowance as long as a person in unemployed.

सभापति महोदय : अभी 24 सदस्यों ने बोलना है और समय केवल 8 मिनट रह गया है। इसलिए हम आज 6.30 बजे तक बैठ सकते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्रीमान यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए इस विषय पर अधिक सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। इसलिये आज हम देर तक बैठ सकते हैं।

सभापति महोदय : हम 6.45 बजे तक बैठेंगे।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : बेरोजगारी के कारण उत्पन्न हुई विकट स्थिति के प्रति वर्तमान सरकार गंभीर नहीं है जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में घोषणा कर रखी है कि वे दस वर्षों के अन्दर बेरोजगारी दूर कर देंगे। यह एक अपरिपक्व विचार है। उन्होंने सभा में जो बजट पेश किया है, वह स्पष्ट रूप से इस बात का द्योतक है कि वे इस समस्या को हल करने के प्रति कितने गंभीर हैं।

यह एक विकट समस्या है। भूतपूर्व सरकार ने इस समस्या का अध्ययन करने के लिए भगवती समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने बताया है कि 1971 में देश में 180 लाख से अधिक लोग बेरोजगार थे। उनमें से आधे अर्थात् 90 लाख लोग पूरी बिल्कुल बेरोजगार हैं और आधे लोगों को सप्ताह में 18 घंटे से भी कम समय के लिए काम मिलता है। शहरी क्षेत्रों में 16 लाख पुरुष और 10 लाख महिलाएं बेरोजगार हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 76 लाख पुरुष और 85 लाख महिलाएं बेरोजगार हैं। जनता पार्टी के नेताओं ने इस समस्या की विशालता को महसूस नहीं किया है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वह अगले 10 वर्षों के भीतर देश से बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे। यह केवल जोश में आकर कहा गया है। जनता पार्टी इस वचन को कभी पूरा नहीं कर सकती।

यदि वे वास्तव में अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के लोगों की कम से कम आधारभूत आवश्यकताएं तो पूरी हों।

कार्य मंत्रण समिति

BUSINES ADVISORY COMMITTEE

चौथा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्रीमान, मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन पेश करता हूं।

बेरोजगारी की समस्या सम्बन्धी प्रस्ताव--जारी

Motion regarding unemployment problem—contd.

प्रो० आर० के० अमीन (सुरेन्द्र नगर) : प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर इस परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत विचार किया जाना चाहिए कि लोगों को स्वतन्त्रता तथा रोजी दोनों की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बेरोजगारी के बारे में कोई भी चर्चा करते समय हमें स्वतन्त्रता तथा रोजी दोनों के बारे में साथ-साथ विचार करना चाहिए न कि केवल स्वतन्त्रता पर ही या केवल रोजी पर।

इस चर्चा के दौरान लोगों के मन में एक भ्रांति यह देखने को मिली है कि उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को इस रूप में समझा है जैसे कि इसे विदेशों में समझा जाता है। जहां यह मान्यता है कि 16 वर्ष या इससे ऊपर की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में 300 दिन आठ घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कार्य मिले। योजना आयोग ने दंतवाला समिति की नियुक्ति करके स्वयं ही बेरोजगारी की इस परिभाषा को समाप्त कर दिया है और उस समिति ने भी यही कहा है कि बेरोजगारी की जो परिभाषा अन्य विकसित देशों में मान्य है, उसे हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं माना जा सकता। अतः अपने देश में हमें उसे नई परिभाषा देनी होगी। हमें इसका संबंध निर्धनता के स्तर से जोड़ना पड़ेगा।

बेरोजगारी के दो महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं। पहला यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है, उसे काम उपलब्ध हो। दूसरा पहलू यह है कि बेरोजगारी का संबंध परिवार या घर की निर्धनता के स्तर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ज्योंही कोई परिवार निर्धनता के स्तर तक पहुंचे या उससे ऊपर उठ जाय तो उसे बेरोजगार नहीं समझा जाना चाहिए। यदि इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाये तो यह काफी सार्थक सिद्ध हो सकती है।

देश में कार्यस्थल स्थापित करने की योजना तत्काल शुरू की जानी चाहिए। राज्यों को यह वचन तथा आश्वासन देना होगा कि जो लोग सुबह 9 बजे से पहले कार्य स्थल पर आ जायेंगे उन्हें काम दे दिया जायेगा और उन्हें 4 रुपये प्रतिदिन या नकद राशि और वस्तुएं दी जायेंगी जिससे कि कोई व्यक्ति या परिवार निर्धनता के स्तर से ऊपर रह सके।

इस आश्वासन के बाद ऐसे लोगों को काम भी दिया जाना चाहिये। हमारी गांधीवादी नीति होनी चाहिए। हमें ऐसी वस्तुएं तथा सेवाएं पैदा करनी चाहिएं जिनकी लोगों को अधिक जरूरत है। हमें गांधीवादी तरीके से व्यापक उत्पादन करना चाहिए। ऐसा करने से किसी का शोषण नहीं हो सकेगा। पूंजी निवेश की अनुमति से पूंजी प्रधान उद्योग बनेंगे। लेकिन हम श्रम प्रधान उद्योग चाहते हैं। केवल उसी उद्योग को पूंजी निवेश की अनुमति तथा कर में छूट दी जाये जो लोगों को अधिक रोजगार दे।

ऐसी पद्धति अपनायी जानी चाहिए। उद्योगों को अन्तर्वर्ती क्षेत्रों में ले जाने के लिए कहा जाये जहां कोई श्रमिक कानून लागू नहीं होते। ऐसे उद्योगों के लिए विभिन्न श्रम कानून क्यों न बनाए जायें।

हमारी कराधान नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले न कि बड़े उद्योगों को। गांधीवादी सिद्धांतों में उद्योगों के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया है। हमें इसका पालन करना चाहिए। यदि इसे अभी शुरू कर दिया जाये तो बेरोजगारी 10 वर्षों में समाप्त की जा सकती है।

Shri Hukmdeo Narain Yadav: (Madhubani): It is the responsibility of the entire country to tackle the problem of unemployment. We cannot Leave it to Government alone. If this problem is not solved, our Parliamentary democracy will be in danger.

The Government will have to remove right to property from the fundamental rights for tackling the problem of unemployment. Only then it will be possible for Government to make use of property for providing employment to the people. land above a particular ceiling should be used for creating job opportunities.

Black money should be unearthed. Those who have black money should be asked to invest their money in certain specified industries which create job opportunities by a particular date. They should be told that if they invest their money before that date no action will be taken against them. Otherwise Government will resort to demonetisation

The country will have to save money for tackling the problem of unemployment by following the path of austerity. Expenditure on ostentatious living should be cut down. Import of luxury items should be stopped and money thus saved should be used for setting up for college industries. Small machines should be manufactured and provided to people in rural areas. An improved variety of "Charkha" should be provided to the people.

There should be long term, short term and immediate plans for tackling unemployment. Once there is determination to tackle this problem, it will be possible to find out resources. The Government is determined to tackle this problem within ten years.

Shri Kalyan Jain (Indore): In our country there is density of population and shortage of capital. In this situation employment can not be provided to a large number of people through small and cottege industries and development of agriculture. We should lay great deal of emphasis on providing more and more irrigation facilities.

There should be ceiling on consumption and expenditure. No person in our country should be given a salary more than Rs. 2000 a month and nobody should be allowed to incure an expenditure of more than Rs. 2000 a month. We can have capital formation by curbing consumption and expenditure, ostentatious living should be discouraged. Ministers, Members of Parliament and officials should set an example of austerity.

We should set up College industries. We should provide small machines to the people. There is no need for having computers, but we should get small tractors.

The age of retirement of Government employment should be reduced from 58 to 55 years. No employee should be given extension. Administrative expenditure should be

cut down to 20 per cent. At present it is 70 or 80 per cent. Fresh recruitment in Government offices should be stopped. The money thus saved should be invested in constructive works.

The Janata Government has restored freedom to the people. Now they should make a determined effort to provide bread to the people.

श्री चित बसु (बारसात) : बेरोजगारी की समस्या ने न केवल गम्भीर रूप धारण कर लिया है अपितु दिन प्रतिदिन यह भयानक होती जा रही है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या अक्टूबर 1975 में 92 लाख 7 हजार थी जो कि अक्टूबर 1976 में बढ़ कर 95 लाख 9 हजार हो गयी। इससे प्रतीत होता है कि यह दशक, जिसे विकास दशक कहा गया है, कैसा था।

इस गम्भीर बेरोजगारी की समस्या का कारण यह है कि हमने गलत आर्थिक नीतियों को अपनाया है। इस लिए हमें अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन करना होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि गरीबी की रेखा स्थिर की जानी चाहिये। यह बहुत गलत सुझाव है। इस पर प्रधान मंत्री को ध्यान नहीं देना चाहिये। हमारा यही एक मात्र उद्देश्य होना चाहिये कि देश में गरीबी का उन्मूलन हो।

गैर सरकारी क्षेत्र पर सरकार को नियन्त्रण रखना चाहिये। इसके कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। सरकारी क्षेत्र को दिशा प्रदान की जानी चाहिये।

औद्योगिक कारण मुख्यतया भूमि सुधार पर निर्भर करता है। देश में तेजी तथा सही दिशा में औद्योगिकीकरण किया जाना चाहिये। केवल तभी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : The Government have promised to remove unemployment within ten years. The Government will not be able to achieve this unless family planning programmes are pursued vigorously to check the phenomenal growth of our population.

There will be an addition of two crores in our population every year. It means that during the next ten years our population will increase by 20 crores. There is already 5 to 10 crores unemployed people. Thus the task of providing jobs to unemployed persons is a stupendous one. Our birth rate and death rate should be the same, and it should continue for ten years. Then it will be possible to tackle this problem.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 जुलाई, 1977/6 श्रावण, 1899 (शक) के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till **Eleven of the Clock on Thursday, the 28th July, 1977/Sravana 6, 1899 (Saka).**

MGIPRRND—10 LSS/77—Sec III N/S-3-12-77—200.